जुलाई-दिसंबर
July-December

अंक : 104

2020

ISSN : 0976-0024

महिला
Mahila

विधि भारती
Vidhi Bharati

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेज़ी) शोध पत्रिका
Research (Hindi-English) Quarterly Law Journal

(केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंशिक अनुदान से प्रकाशित)

ISSN 0976-0024
9 770976 002001

प्रधान संपादक
सन्तोष खन्ना
संपादक
डॉ. उषा देव

पत्रिका में व्यक्त विचारों से सम्पादक/परिषद् की सहमति आवश्यक नहीं है।

Indexed at Indian Documentation Service, Gurugram, India
Citation No. MVB-25-26/2020

विधि भारती परिषद्
बी.एच./48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110088 (भारत)
मोबाइल : 09899651872, 09899651272
फ़ोन : 011-27491549, 011-45579335
E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail.com, santoshkhanna25@gmail.com
Website : www.vidhibharatiparishad.in

'महिला विधि भारती' पत्रिका (पूर्व यू.जी.सी. की सूची में भी शामिल, क्रमांक 156, पत्रिका संख्या 48462)

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेज़ी) विधि-शोध त्रैमासिक पत्रिका

E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail. com

Website : www. vidhibharatiparishad. in

अंक : 104 (जुलाई-सितंबर, 2020)

प्रधान संपादक : सन्तोष खन्ना, **संपादक :** डॉ. उषा देव

बोर्ड ऑफ रेफरीज एवं परामर्श मंडल

1. डॉ. के.पी.एस. महलवार : चेयर प्रो., प्रोफेशनल एथिक्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न.दि.
2. डॉ. चंदन बाला : डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जयनारायण व्यास वि.वि., जोधपुर
3. डॉ. राकेश कुमार सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय
4. डॉ. किरण गुप्ता : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय
5. न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर : पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली।
6. प्रो. (डॉ.) सिद्धनाथ सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
7. प्रो. (डॉ.) गुरजीत सिंह : संस्थापक वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं न्यायिक अकादमी, असम
8. श्री हरनाम दास टक्कर : पूर्व निदेशक, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

परिषद् की कार्यकारिणी, संरक्षक : डॉ. राजीव खन्ना

1. डॉ. सुभाष कश्यप (अध्यक्ष)
2. न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद (उपाध्यक्ष)
3. श्रीमती सन्तोष खन्ना (महासचिव)
4. रेनू नूर (कोषाध्यक्ष)
5. श्री अनिल गोयल (सचिव, प्रचार)
6. डॉ. प्रवेश सक्सेना (सदस्य)
7. डॉ. आशु खन्ना (सदस्य)
8. डॉ. पूरनचंद टंडन (सदस्य)
9. श्री जी.आर. गुप्ता (सदस्य)
10. डॉ. उषा टंडन (सदस्य)
11. डॉ. सूरत सिंह (सदस्य)
12. डॉ. के.एस. भाटी (सदस्य)
13. डॉ. शकुंतला कालरा (सदस्य)
14. डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम् (सदस्य)
15. डॉ. उमाकांत खुबालकर (सदस्य)
16. अनुरागेंद्र निगम (सदस्य)

शुल्क दर

वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए
आजीवन शुल्क 5,000/-- रुपए
संस्थागत वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए
संस्थागत आजीवन शुल्क 20,000/-- रुपए

डाक शुल्क अलग

अंक 104 में

1. संपादकीय / **सन्तोष खन्ना** -- 205
2. नौ लाख अंग्रेजी तकनीकी शब्दों के लिए उपलब्ध है हिंदी शब्दावली / **प्रो. बिभा त्रिपाठी** -- 209
2. मनु स्मृति में दंड व्यवस्था : एक अवलोकन / **प्रो. बिभा त्रिपाठी** -- 211
3. हिदी में अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन / **चंदन बाला** -- 217
4. राम जन्मभूमि मंदिर : विवाद एवं समाधान / **एस.एस. दास एवं कार्तिका सिंह** -- 221
5. मॉब लीचिंग : कारण और निवारण / **संतोष खन्ना** -- 235
6. महिला सुरक्षा और सामाजिक जागरुकता / **सुजाता प्रसाद** -- 244
7. महिला सुरक्षा एवं सामाजिक जागरुकता / **साक्षी वर्मा** -- 248
8. नारी सशक्तिकरण एवं भारत का संविधान / **अनुराधा सिंह** -- 250
9. साक्षात्कार : प्रो. ज्योति पांचाल / **निशा तंवर** -- 257
10. मीडिया, महिला और कानून / **डॉ. गीता शर्मा** -- 259
11. 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका के अंक 51 से 104 तक की सामग्री का वर्गीकरण / **रेनू** -- 263

लेखक मंडल

प्रो. बिभा त्रिपाठी : विधि संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी,
ई-मेल : bibha.tripathi@bhu.ac.in
मोबाइल : 9451587252, 8004929733

चंदन बाला : प्रोफेसर, अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं विभागाध्यक्ष विधि, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर

Dr. S.S. Das : Assistant Professor, Centre For Juridical Studies, Dibrugarh University-786004, Assam, India
Mobile : 91-9435594172

कार्तिका सिंह : धपुर

सन्तोष खन्ना : प्रधान संपादक, 'महिला विधि भारती', त्रैमासिक पत्रिका। संसदीय अधिकारी (सेवा-निवृत्त) एवं सदस्य (सेवा-निवृत्त) जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली।

सुजाता प्रसाद : धपुर

साक्षी वर्मा : पूर्व छात्रा, भारतीय अनुवाद परिषद्, 24, स्कूल लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-1,
मोबाइल : 9911334606

अनुराधा सिंह : सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

प्रो. ज्योति पांचाल : विधि विभाग, सेज विश्वविद्यालय, इंदौर

निशा तंवर : धपुर

डॉ. गीता शर्मा : एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
पता : सी-2/75, जनक पुरी, नई दिल्ली-110058
ई-मेल : sh.gita@gmail.com
मोबाइल : 8800230973

रेनू : धपुर

संपादकीय

विधि भारती परिषद ने 25 जुलाई, 2000 को हिंदी में विधि लेखन के विषय पर एक-दिवसीय राष्ट्रीय बेबीनार का आयोजन किया था जिसमें देश के राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेज के विद्वान विधि प्राध्यापकों और अन्य गणमान्य विद्वानों ने भागीदारी की थी। 'हिंदी में विधि लेखन' विषय पर बेबीनार आयोजित करने का उद्देश्य यह था कि भारत के संविधान को लागू होने के सात दशक के पश्चात् भी यहाँ की जनता को न्याय उनकी भाषा में नहीं मिलता। न्याय और विधि के क्षेत्र में अभी भी अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बना हुआ है। कुछ विश्वविद्यालयों में विधि शिक्षा में छात्र हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ाई करते है और परीक्षाएँ भी हिंदी माध्यम से देते हैं परंतु जब वह प्रैक्टिस करने के लिए न्यायालयों में जाते हैं तो वहाँ उनका सामना अंग्रेजीदाँ न्यायालयों और न्यायाधीधों से होता है तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद उन्होंने अपने देश की भाषा हिंदी के माध्यम से पढ़ाई करके कुछ गलती कर दी है।

पढ़ाई के दौरान भी उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बेशक अध्यापक उन्हें हिंदी के माध्यम से कानून की पढ़ाई कराते हैं और उन्हें विधि की पुस्तकें भी मिल ही जाती हैं परंतु अंग्रेजी भाषा में विधि में अधिक पुस्तकें उपलब्ध होती हैं और जब वह विधि संबंधी किसी विषय पर शोध भी करते हैं तो उन्हें प्रायः अंग्रेजी की पुस्तकों पर भी निर्भर रहना पड़ता है और अगर कहीं वह किसी अंग्रेजी पुस्तक से उद्धरण देना चाहते हैं तो उन्हें उन उद्धरणों का अनुवाद भी करना होता है जिसमें उन्हें काफी कठिनाई आती है।

विधि भारती परिषद 'हिंदी में विधि लेखन के माध्यम से इस प्रश्न का हल ढूँढ़ना चाहती थी कि विधि और न्याय के क्षेत्र में आखिर अंग्रेजी का वर्चस्व कब तक बना रहेगा? क्या कभी हिंदी और भारतीय भाषाओं को विधि और न्याय के मंदिर में प्रवेश मिलेगा? ज्यों ही हमार इस प्रश्न से सामना होता है तो सर्वप्रथम हमारे समक्ष भारत का संविधान अपने पन्नों पर हमारा उपहास उठाता नजर आता है क्योंकि देश के सर्वोच्च प्रतिमान भारत के संविधान ने ही सर्वप्रथम विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रवेश वर्जित कर रखा है; यही नहीं, भारतीय भाषाओं का प्रवेश केवल संविधान के धरातल पर ही नहीं, वस्तुतः विधान के धरातल पर भी वर्जित है, नियम विनियम के धरातल पर भी वर्जित है। जब भारत का संविधान का मुख्य लौह द्वार ही भारतीय भाषाओं के लिए बंद है तो विधि शिक्षा के लिए उसका प्रवेश कैसे संभव है?

सबसे पहले हम यह देखते हैं कि संविधान के धरातल पर विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाएँ कैसे वर्जित हैं। जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने देश में शासन संबंधी भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यापक प्रावधान किए, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह इस बात का भी प्रवधान करते कि देश का शासन कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। भारत चूँकि एक संघीय स्वरूप लिए था तो स्पष्ट है कि दो स्तरों पर शासन चलाने के लिए प्रावधान किए गए। अर्थात् भारत में संघ सरकार और राज्यों के स्तर पर शासन चलाया जाना था। हमारे देश में भाषाओं का तो बहुत बड़ा खजाना है। अतः संविधान के माध्यम से स्पष्ट करना जरूरी हो गया था कि कौन-सा शासन कौन-सी भाषा में चलाया जाएगा। इसके लिए भारत के संविधान में भाषाओं के प्रयोग और उनके विकास के बारे में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान के अध्याय 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक भाषायी प्रावधान किए गए हैं। जहाँ तक संघ सरकार के शासन के लिए भाषा का संबंध है, अनुच्छेद 343 की प्रथम उक्ति में यह निर्धारित कर दिया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का शासन अंग्रेजी भाषा में चलाया जाता था। अतः स्वाभाविक था कि स्वतंत्र भारत का शासन यहाँ की ऐसी भाषा में चलाया जाएगा जिसे भारत के अधिकांश लोग जानते हों और उसे पढ़-लिख सकते हों। हिंदी को राजभाषा बनाना बिल्कुल ही स्वाभाविक था परंतु संविधान सभा के सदस्यों के कई 'किंतु, परंतु' ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान भी किया गया कि संविधान के लागू होने के पंद्रह वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग उन प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिनमें अब तक अंग्रेजी का प्रयोग होता था। शायद इसके पीछे मंशा यह थी कि इन पंद्रह वर्षों में शासनकर्मी हिंदी सीख लेंगे। विडंबना इतनी ही नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी थी जब संविधान के इसी अनुच्छेद में यह प्रावधान भी कर दिया गया कि इन पंद्रह वर्षों की समाप्ति के बाद भी यदि संसद को महसूस होगा कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उसके बाद भी जारी रखा जाना चाहिए तो वह कानून बना कर ऐसी की सकेगी।

भारत की संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया जिसमें यह तो कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी परंतु यह भी प्रावधान कर दिया कि अंग्रेजी भी संघ की राजभाषा बनी रहेगी। इस कानून के कारण और इसी कानून की धारा 3(3) के कारण जो प्रावधान किया गया। वह यह कि संघ सरकार से जाररी होने वाले सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाएगा। इस धारा का दुःखद परिणाम यह हुआ कि संघ सरकार के सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में किए जाते रहे हैं, बस उन अंग्रेजी दस्तावेजों को अनुवाद के माध्यम से हिंदी में तैयार किया जाने लगा जिससे हिंदी की स्थिति राजभाषा के धरातल पर दोयम दर्जे की ही बन गई और अंग्रेजी का वर्चस्व बकायदा कायम रहा है।

संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 120 में किया

गया था कि संसद की भाषा 15 वर्ष तक अंग्रेजी रहेगी किंतु तत्पश्चात् वह हिंदी हो जाएगी। परंतु जब राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया तो उसमें संसद की भाषा के प्रयोग को मानयता दी गई। अतः आरंभ में तो संसद में भी अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा और हिंदी केवल अनुवाद की भाषा का दर्जा पा सकी।

शासन के तीन अंग होते हैं -- सरकार, संसद और न्यायपालिका। हमने ऊपर सरकार और संसद के संबंधी भाषायी प्रावधानों का उल्लेख किया है। अब हम यह देखते हैं कि संविधान में कानून और न्याय की भाषा में क्या प्रावधान किए गए हैं। विधि और न्याय की भाषा के बारे में अनुच्छेद 348 में प्रावधान किए गए हैं जिसमें कहा गया है -- ''जब तक संसद कानून बना कर कोई अन्यथा व्यवस्था नहीं करती तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। उच्च न्यायालय चूँकि राज्यों में स्थित होते हैं। उसके बारे में एक परंतुक दिया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय में हिंदी अथवा उस राज्य की भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकेगी किंतु उच्च न्यायालय द्वारा जारी किएए जाने वाले निर्णय, डिक्री और आदेश अंग्रेजी भाषा में ही जारी किए जाएँगे और यदि किसी न्यायालय में न्याय निर्णय, डिक्री आदि हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा में जारी किए जाएँगे तो उनका अनिवार्यतम अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा और उन्हें ही प्राधिकृत माना जाएगा।

विधि की भाषा के बारे में भी अंग्रेजी के प्रयोग को ही अनिवार्य किया गया है। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि संसद में या राज्यों के विधान मंडल में पुरःस्थापित किए जाने वले सभी विधेयक अथवा प्रस्तावित संशोधन, अध्यादेश या नियम-विनियम अंग्रेजी में होंगे। अगर किसी राज्य में शिक्षा और भाषा में कानून बनाए जाते हैं तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाएगा और ऐसे अनूदित कानूनों को प्राधिकृत माना जाएगा।

अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के राज्यपाल अपने यहाँ उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति ले चुके हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों में अन्य राज्य भी वहाँ की क्षेत्रीय राजभाषा के प्रयोग की अनुमति ले चुके हैं। जब उच्च न्यायालय अंग्रेजी से इतर किसी भाषा में निर्णय अथवा आदेश जारी करता है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद अनिवार्य होता है। न्यायालयों में गलत अनुवाद को लेकर कई मामले भी आ रहे हैं। केरल राज्य चुनाव आयोग बनाम मर्सी जार्ज का मामला भी उच्चतम न्यायालय के मलयालम में दिए गए निर्णय का गलत अंग्रेजी अनुवाद के कारण पुनः निर्णय के लिए रिच लगाई गई थी।

विधि भारती परिषद के 25 जुलाई, 2020 के 'हिंदी में विधि लेखन' विषय पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की विधि संकाय की डीन और विभागाध्यक्ष, डॉ. चंदन बाला, भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक, डॉ. अवनीश कुमार, मध्य प्रदेश की बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय की विधि संकाय की डीन और विभागाध्यक्ष डॉ. मोना पुरोहित, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विधि

संकाय के डीन एवं पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. रविकांत दुबे, दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज की पूर्व प्रोफेसर डॉ. प्रवेश सक्सेना, लखनऊ विश्वविद्यालय की विधि संकाय के पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, डॉ. अशोक अवस्थी, मध्य प्रदेश के सेज विश्वविद्यालय (इंदौर) की विधि विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. निशा केवलिया शर्मा, हरियाणा और रोहतक स्थिति एम.डी.यू. विश्वविद्यालय की विधि संकाय की विभागाध्यक्ष डॉ. कविता ढुल, लखनऊ के डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज के एसासिएट प्रोफेसर देवदत्त शर्मा, उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता। श्री ओ.पी. सक्सेना तथा असम के डिब्रूगढ़ के सेंटर फॉर जूरीडिकल स्टडीज के प्रोफेसर एस.एस. दास ने इस बेबीनार में अपने विचार व्यक्त किए। विधि भारती परिषद की ओर से परिषद की महासचिव एवं 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका की प्रधान संपादक डॉ. सन्तोष खन्ना ने इस प्रक्रिया का संचालन किया और विषय का बीज वक्तव्य भी दिया और विषय का समाहार भी किया।

इस बेबीनार का यही निष्कर्ष निकला कि विधि शिक्षा में बहुत सारे विश्वविद्यालयों विशेष रूप से नेशनल लॉ संस्थानों में हिंदी का प्रवेश वर्जित है। छात्रों को माध्यम के रूप में हिंदी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषाओं की अनुमति नहीं है। कुछेक विधि संस्थानों में छात्रों को हिंदी विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। बेशक विधि से संबंधित पुस्तकें आमतौर पर उपलब्ध नहीं हैं फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विधि विषय पर अंग्रेजी अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसलिए अभी विधि विषयों पर हिंदी में और अधिक पुस्तकें लिखी जानी चाहिए। डॉ. सन्तोष खन्ना ने देश के सभी विधि विद्वानों का आह्वान किया कि वह हिंदी में विधि पुस्तकें लिखने के लिए आगे आएँ। विधि भारती परिषद ने 2008 से 'हिंदी विधि पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना' आरंभ की हुई है और उसके लिए हिंदी की पुस्तकें भिजवाएँ। उन्होंने विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रदेश के लिए एक आंदोलन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

❑

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'

नौ लाख अंग्रेजी तकनीकी शब्दों के लिए उपलब्ध है हिंदी शब्दावली

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'त्रिशंक' जी ने आज 04 अक्टूबर, 2020 को मुख्य अतिथि के रूप में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (उच्च शिक्षा विभाग) के हीरक जयंती समारोह में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे भी सम्मानीय अतिथि के रूप में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' जी ने उद्घाटन करते हुए शब्दावली आयोग परिवार को हीरक जयंती समारोह के उपलब्ध में बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा कि वज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने 60 वर्ष की अपनी गौरवपूर्ण यात्रा में हिंदी ओर अन्य भारतीय भाषाओं के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण और विकास में महत्त्वपूर्ण काम किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री पोखरियाल ने हीरक जयंती समारोह के अवसर पर शब्दावली आयोग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 6 शक की अपनी शानदार यात्रा के दौरान विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, कृषि और चिकित्सा विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में 9 लाख से अधिक अंग्रेजी शब्दों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावली का विकास करना बेहद प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के भाग 4 में निर्दिष्ट आठवाँ मौलिक कर्त्तव्य हमें 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद और सीखने तथा सुधार की भावना को विकसित करने का निर्देश देता हे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सीखने की प्रक्रिया के लिए, अपनी भाषा में विकास करना आवश्यक है।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शब्दावली आयोग दोनों को एक साथ योगदान देना चाहिए ताकि हम भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भाषा और ज्ञान की अभिव्यक्ति में आत्मनिर्भर बन सकें। हमें ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसी विभिन्न धाराओं में शब्दों के निर्माण, शबदावली के प्रसार और आम जनता तक इसकी आसान पहुँच और उपयोग के लिए अत्यंत सतर्कता के साथ करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही, हम इस दिशा में शब्दावली आयोग का कार्य और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। श्री पोखरियाल ने महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा, ''यदि हमारी भाषाओं से हमारा विश्वास

उठ गया है, तो यह इस बात का संकेत है कि हमें स्वयं पर कोई भरोसा नहीं है।'' राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर आयोग के काम तक हम सभी भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने भी आयोग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और सभी को हीरक जयंती की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने विज्ञान, यांत्रिकी, कृषि, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आयोग द्वारा बनाई नई परिभाषा की भी सराहना की। श्री धोत्रे ने कहा कि आयोग सही मायने में अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहा है और इसका अनुमान आयोग द्वारा बनाए गए शब्दावलियों से लगाया जा सकता है। आयोग की उपलब्धियों से पता चलता है कि आयोग लगातार सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है। शिक्षा के क्षेत्र में और इसके अनुरूप काम करने के लिए भारतीय भाषाओं के महत्त्व और भूमिका की व्याख्या करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। वैज्ञानिक तकनीकी विषयों की शब्दावली और विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण के साथ, आयोग की जिम्मदारी और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है।

हीरक जयंती समारोह के अवसर पर शिक्षा मंत्री भी पोखरियाल ने आयोग को विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया जिसमें आयोग को हीरक जयंती का लोगों, आयोग की अधिकारिक वेबसाइट, प्रकाशन वेबसाइट, मोबाइल ऐप, हिंदी विज्ञानवाणी, यूट्यूब चैनल, हीरक जयंती ई-स्मारिका, शब्दावलियाँ आदि शामिल हैं। लोकार्पण के इस क्रम में शब्दावली आयोग द्वारा वर्तमान में प्रकाशित विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरी, कृषि विज्ञान एवं आयुर्विज्ञान शब्द-संग्रहों के बीस खंडों का विधिवत् लोकार्पण करते हुए इन बीस खंडों को आयोग की विशेष उपलब्धि बताया तथा आयोग के अधिकारियों को साधुवाद दिया।

इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी और प्रोफेसर योंगेंद्रनाथ शर्मा 'अरुण' ने भी शुभकामनाएँ देते हुए शब्दावली आयोग द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पद्मश्री डॉ. श्याम सिंह शशि ने आयोग के हीरक जयंती समारोह में सभी को बधाई और धन्यवाद देते हुए आयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया और इसी के साथ भारतीय भाषाओं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा आत्म-निर्भर भारत विषय पर आयोजित होने वाली दो-दिवसीय बबीनार के लिए शुभकामनाएँ भी दीं।

आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर अवनीश कुमार जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि आयोग ने पिछले छह दशकों से अपनी विभिन्न योजनाओं से आयोग को निरंतर विकसित किया।

❑

प्रो बिभा त्रिपाठी

मनुस्मृति में दंड व्यवस्था : एक अवलोकन

दंड की उत्पत्ति उतनी ही प्राचीन है जितनी की सृष्टि की उत्पत्ति। दंड का विस्तार सार्वभौमिक है और इसके स्वरूप में विविधता है। जो देश, काल, समय और परिस्थिति के सापेक्ष परिवर्तनीय है। आत्म संरक्षण को प्रथम विधि कहा जाता है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में दंड समाविष्ट है। मनु को भारत में प्रथम विधि प्रदाता की संज्ञा दी गई है। आपके द्वारा रचित श्लोकों के संग्रह को मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। इसमें आचार, व्यवहार, शासन, प्रशासन, जन्म-मरण से मोक्ष तक की स्थितियों के नियम कायदे और कानून वर्णित हैं। मनुस्मृति जीवन विधियों की स्मृति है। मनुस्मृति के अध्याय सप्तम, अष्टम एवं नवम के अंतर्गत व्यवहार न्याय की चर्चा, दंड का उद्देश्य, दंड के प्रकार एवं अपराधों के प्रकार की विस्तृत चर्चा की गई है।

दंड की सामान्य अवधारणा

मनुस्मृति में वर्णित दंड व्यवस्था की भली-भांति व्याख्या के पूर्व यह आवश्यक है कि दंड की सामान्य अवधारणा को समझा जाए कि दंड है क्या? कब दिया जाता है? किसको दिया जाता है? कितना दिया जाता है? और क्यों दिया जाता है?

जब भी समाज, विधि, या राज्य संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस व्यक्ति या समूह को नियंत्रित करने के लिए, पुनः ऐसे कार्यों को उसके द्वारा किया जाना निवारित करने के लिए एवं अन्य को ऐसे कार्य से विरत रखने के लिए दंड दिया जाता है। दंड का सदैव एक उद्देश्य होता है और निरुद्देश्य दंड से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

दंड का उद्देश्य

प्राचीन समय से आज तक की दंडशास्त्र की यात्रा से यह स्थापित होता है कि दंड के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। प्राचीन, आधुनिक और उत्तर आधुनिक काल में दंड का उद्देश्य क्रमशः पीड़ादायक एवं उपचारात्मक दिखाई देता है। दंड का लक्ष्य सदैव सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करना होता है। सामाजिक सुरक्षा की भावना को विकसित और समृद्ध करने के लिए भी दंड दिया जाता है। ह्यूगोग्रोशियस का मानना था कि दंड एक प्रकार की बुराई है जिसे बुरा करने वाले व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। वही जेरोम हॉल का मानना है कि

दंड में बुराई, पीड़ा या दुख शामिल होता है। इसमें प्रपीड़न, सुधार, नकारात्मकता एवं नैतिक आवश्यकता का तत्त्व समाहित होता है। जब तक दंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास न हो जाए दंड के लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है।

दंड देने की अधिकारिता

विधि मान्य व्यवस्था में सदैव ही दंड देने के लिए राजा या संप्रभु को ही अधिकत किया गया है। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को दिया जाने वाला दंड, दंड न होकर विशुद्ध प्रतिशोध होता है। हाँ, यह अवश्य उल्लेखनीय है कि दांडिक प्राधिकारी की योग्यता एवं निष्ठा सभी संदेहों से परे होनी चाहिए और उसे एक आदर्श की भांति होना चाहिए।

मनु स्मृति में दंड व्यवस्था

मनुस्मृति के अध्याय 7 में दंड की विस्तृत चर्चा का प्रारंभ होता है। सप्तम अध्याय के श्लोक संख्या 16 में अन्यायियों को उचित दंड देने की बात कही गई है। उचित दंड का निर्धारण एक अत्यंत कठिन संकल्पना है जिसमें अपराध की प्रकृति, अपराधी का इतिहास, उसके द्वारा कारित कृत्य से हुई हानि की मात्रा, प्रभावित व्यक्ति की स्थिति, समाज पर प्रभाव इत्यादि की भूमिका प्रमुख होती है। अतः दंड के उचित होने के लिए इसका प्रयोग एक समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत करना चाहिए।

दंड का महत्व

अध्याय 7 के श्लोक 17 में दंड के महत्त्व को दर्शाया गया है। यह श्लोक कहता है कि दंड ही राजा है क्योंकि दंड में ही राज करने की शक्ति होती है और दंड के द्वारा ही सब कार्य यथावत् होते हैं। पुनः इसी अध्याय के श्लोक 18 में दंड के महत्त्व को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि दंड ही प्रजा का शासन करता है। दंड ही सब की रक्षा करता है। सबके सोते रहने पर दंड ही जागता है और विद्वान लोग दंड को धर्म समझते हैं। श्लोक संख्या 22 में कहा गया है कि सब लोग दंड के द्वारा ही जीते गए हैं यानी नियमित होकर अपने कर्म में लगे हैं।

दंड की प्रक्रिया

मनुस्मृति के अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 में कहा गया है कि दंड शास्त्रानुसार और यथावत् विचार करके दिया जाना चाहिए। यानी यह कभी भी मनमाने ढंग से नहीं दिया जाना चाहिए। आगे इस श्लोक में यह भी कहा गया है कि बिना विचारे, धन लोभ या प्रमाद से दिया गया दंड सब प्रकार से धन जन का नाश करता है।

दंड की आवश्यकता

मनुस्मृति के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 20 में बताया गया है कि दंड क्यों आवश्यक है? यहाँ यह बताया गया है कि यदि राजा आलस छोड़कर दंड के योग्य अपराधियों में दंड का प्रयोग नहीं करता तो बलवान लोग दुर्गुणों को जैसे मछलियों को लोहे की छड़ में छेद कर पकाते हैं वैसे पकाने लगते हैं और जंगल राज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

दंड का उचित प्रयोग

मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में ही श्लोक संख्या 24 में यह बताया गया है क्यों दंड का प्रयोग सदैव उचित रूप में होना चाहिए? यदि अनुचित प्रयोग होगा तो इससे लाभ की जगह नुकसान होगा। दंड प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसे प्राप्त जरूर करेगा परंतु ग्रहण नहीं कर पाएगा और जब तक ग्राह्यता नहीं होगी, स्वीकार्यता नहीं होगी तब तक दंड के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए दंड के उद्देश्य का गहरा महत्त्व है। ऐसा कहा जाता है कि दंड में केवल पीड़ा नहीं वरन प्रयोजन होना चाहिए।

दंड देने के अधिकृत व्यक्ति की योग्यता

दंड की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि दंड का अधिरोपण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो सत्यवादी, विचार करने वाला, बुद्धिमान और धर्म और अर्थ का जानकार हो। यानी यदि वह व्यक्ति स्वयं एक आदर्श पुरुष नहीं है तब उसकी बात का कोई असर नहीं होगा। मनुस्मृति में दंड का प्रयोग करने के लिए अयोग्य व्यक्ति की भी चर्चा की गई है और कहाँ गया है कि असहाय, मूर्ख, लोभी और शास्त्रहीन और विषयों में आसक्त के द्वारा दंड का प्रयोग न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। यानी केवल धन आदि के विषय में शुद्ध, सत्य प्रतिज्ञा, शास्त्रानुसार व्यवहार करने वाला, अच्छे सहायकों वाला और बुद्धिमान के द्वारा ही दंड का प्रयोग किया जा सकता है।

मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि दंड से युक्त रहने वाले राजा से सब संसार डरता है अतः राजा सब लोगों को दंड के द्वारा ही वश में करें।

न्यायधीश (राजा) की योग्यता

मनुस्मृति का अष्टम अध्याय भी दंड व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि मुकदमे को देखने का इच्छुक राजा जो कृतिपय लक्षणों से युक्त हो, ब्राह्मणों तथा पंचांगों से युक्त, मंत्रों को जानने वाले मंत्रियों के साथ, नम्र भाव से वचन, हाथ, पैर तथा नेत्र आदि की चंचलता से रहित होकर राज्य सभा या न्यायालय में प्रवेश करें।

अपराधों के प्रकार

मनुस्मृति के अध्याय 8 के श्लोक संख्या 4 से अट्ठारह में 18 प्रकार के अपराधों का वर्णन है। यानी उस समय समाज में अपराधों की प्रकृति कैसी थी? क्योंकि अपराध की अवधारणा, प्रकृति और स्वरूप प्रत्येक देश, काल, समाज में कभी भी एक रूप नहीं रहे हैं।

मनुस्मृति कालीन 18 प्रकार के अपराधों में चोरी, मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना, स्त्री का पर पुरुष के साथ और पुरुष का पराई स्त्री के साथ एवं कन्या का कन्या के साथ संबंध (लैसबियन) इत्यादि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ चोरी यदि सौ अशर्फियों से अधिक की हुई तो प्राण दंड देने की बात कही गई है। यहाँ असत्य गवाही पर भी दंड का विधान है।

दंड में एकरूपता का अभाव : मनुस्मृति में चारों वर्णों के व्यक्तियों द्वारा किए गए एक ही प्रकार के कृत्य के लिए भिन्न-भिन्न दंड की व्यवस्था है। दंड में एकरूपता का अभाव है। यही कारण है कि कालांतर में लोगों में इस भेदभाव पूर्ण दंड व्यवस्था के प्रति असंतोष पनपने लगा।

दंड का स्वरूप : मनुस्मृति में दंड देने के लिए 10 स्थान चिह्नित किए गए हैं। जैसे पेट, जीभ, हाथ, पैर इत्यादि। इन अंगों का पीड़न या छेदन अपराध की मात्रा के आधार पर करना बताया गया है। ऐसे दंड को ही शारीरिक दंड कहा जाता है जिसके मुख्य प्रकारों में कोड़े लगाना, अंग भंग करना, दाहान्कित करना इत्यादि शामिल है।

निरपराधी को दंड नहीं : आधुनिक आपराधिक विधिशास्त्र की भाँति मनुस्मृति में भी निरपराधी या अदंडनीय व्यक्ति को दंड न देने की बात कही गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि जो राजा अदंडनीय व्यक्ति को दंडित करता है और दंडनीय को छोड़ता है बड़ा अपयश पाता है।

दंड के प्रकार

मनुस्मृति के अंतर्गत अपराध के विभिन्न प्रकारों के लिए चार प्रकार के दंड की बात कही गई है। वाग्दंड, धिग्दंड, अर्थदंड और वध दंड। यहाँ यह भी कहा गया है की पहली बार वाग्दंड, दूसरी बार धिग्दंड, तीसरी बार अर्थदंड और चौथी बार वध दंड से दंडित करना चाहिए। श्लोक संख्या 130 में कहा गया है कि यदि इससे भी अपराधी वश में न आए तो उसे चारों प्रकार के दंड एक साथ देना चाहिए।

बालक या वृद्ध के लिए किसी भी दंड के विधान का अभाव

वर्तमान आपराधिक विधि के विपरीत मनुस्मृति में गुरु बालक, बूढ़ा या बहूश्रुत ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि यदि यह आततायी होकर आते हैं तो उसे बिना विचारे तत्काल मारना चाहिए। यहाँ यह भी कहा गया है स्त्री, बालक, उन्मत्त, वृद्ध, दरिद्र और रोगी मनुष्यों को पेड़ों की जड़ या बाँस से मारकर दंडित करें और इन पर अर्थदंड या जुर्माना ना लगाएँ।

पर स्त्री संभोग के लिए दंड : भारतवर्ष में जार कर्म लंबे समय तक भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध माना गया है। हाल ही में **जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ के मामले** में जार कर्म को अपराध के दायरे से बाहर निकालकर एक व्यवहार दोष तक सीमित रखा गया है, जिसके आधार पर पति पत्नी अपना विवाह विच्छेद करा सकते हैं। परंतु मनुस्मृति

में कहा गया है की पर स्त्री संभोग में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्य को राजा व्याकुल करने वाले, जैसे नाक और कान इत्यादि कटवा कर दंडित करें या उसे देश निकाला दे दे। हाँ परस्पर सहमति से संबंध को मनुस्मृति में भी अपराध नहीं माना गया है। स्त्री के संबंध में कहा गया है कि यदि काम के वशीभूत होकर कोई स्त्री इस प्रकार का कृत्य करें तो उसके दोष को घोषित करके उसे दासी कर्म में नियुक्त किया जाए। श्लोक 359 में विपरीत वर्ण के लोगों द्वारा अपराध पर दंड का उल्लेख किया गया है। यदि शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण स्त्री के साथ बलात्संग करे तो उसे प्राण दंड दे देना चाहिए। यहाँ यह भी विधान है कि स्वामी या अभिभावक के मना करने पर पुरुष पर स्त्री के साथ बातचीत न करें अन्यथा सौ सुवर्ण से दंडित होगा। परंतु यह व्यवस्था नट अथवा गायकों की स्त्रियों के साथ बातचीत करने में नहीं है। श्लोक 364 में समान जाति के पुरुष द्वारा बलात्संग को लिंगच्छेदन के द्वारा दंडित किए जाने की बात कहीं गई है। वही श्लोक 366 में अपने से श्रेष्ठ जाति की स्त्री से स्वैच्छिक या अनैच्छिक संभोग लिंग छेदन तारण या मारण का दोषी बनाएगा।

लैसबियन संबंध हेतु दंड : लैसबियन संबंध (समलैंगिकता) जिसे वर्तमान समय में अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है उसका संदर्भ मनुस्मृति में भी मिलता है। यहाँ कन्या द्वारा कन्या का कन्यत्व नष्ट करने पर 200 पण से दंडित करने का विधान है जिसमें कन्या के पिता को 400 पण दिए जाने की बात कही गई है। यह क्षतिपूर्ति की व्यवस्था के समान दिखाई देती है। दोषी को 10 कोड़े या बेंत की सजा का भी उल्लेख है।

पत्नी के लिए कठोर दंड : यूँ तो मनुस्मृति में पर स्त्री संभोग यदि स्वैच्छिक नहीं है तो दंडनीय है। परंतु यदि जार कर्म पत्नी करती है तो यह कहा गया है कि उसे बहुत लोगों से युक्त स्थान में कुत्तों से कटवाए। आगे यह भी कहा गया है कि उस पापी जारको तपे हुए लोहे की खाट पर सुलाकर जलाने तथा उस खाट पर लकड़ी डालकर दंडित करना चाहिए। ताकि वह पुरुष जलकर मर जाए। दोबारा अपराध करने पर दोगुने दंड की बात कही गई है।

भिन्न वर्ण के दंड के निष्पादन की विभिन्न पद्धति

मनुस्मृति में एक ही प्रकृति के कृत्य के लिए भिन्न वर्ण के लोगों को न सिर्फ भिन्न दंड देने की बात कही गई है वरन् उस दंड के भिन्न प्रकार से निर्धारित करने की भी बात कही गई है। मसलन यदि ब्राह्मण को प्राण दंड दिया गया है तो उसका मुंडन करा देना ही उसका प्राण दंड होता है तथा अन्य वर्णों का प्राणनाश करना ही प्राण दंड होता है।

द्विविवाह अपराध नहीं : वर्तमान भारतीय दंड संहिता जहाँ द्वि-विवाह को अपराध मानती है वही मनुस्मृति में यह लिखा गया है यदि कोई संतान हीन है मृत संतान वाली है या केवल कन्या को ही जन्म देने वाली है तो ऐसी स्त्री की उपेक्षा करके उसके जीवन काल में ही दूसरा विवाह किया जा सकता है।

भ्रूण हत्या को पाप की संज्ञा : मनुस्मृति में भी भ्रूण हत्या को पाप बताया गया है यहाँ उल्लिखित है कि भ्रूण हत्या करने वाले तो अपने अपने कर्मों के पाप से युक्त रहते ही हैं किंतु उनके अन्न खाने वाले भी उनके पाप से युक्त हो जाते हैं।

दंड प्राप्ति के पश्चात् पाप से मुक्ति : ऐसा कहा गया है कि दोषी यदि दंडित हो जाए तो कोई दोष बचता नहीं। एक समीकरण है कि गिल्ट प्लस पनिशमेंट इज इक्वल टू नो गिल्ट। यानी जब मनुष्य पाप करके राजा से दंडित होकर पाप रहित हो जाता है तो वह एक पुण्यात्मा की भांति स्वर्ग को जाता है।

निष्कर्ष

मनुस्मृति कालीन दंड व्यवस्था की तुलना जब वर्तमान दंड व्यवस्था से की जाती है तब एक अनेक साम्यताओं के साथ कुछ विभिन्नताएँ भी दिखाई देती हैं। मसलन दंड के औचित्यीकरण को लेकर जो सिद्धांत बताए गए हैं उसमें भयकारी सिद्धांत एवं निवारणात्मक सिद्धांत पर मनुस्मृति का ज्यादा जोर रहा है। प्रतिशोधात्मक दंड की व्यवस्था का बहुत उल्लेख नहीं है। दंड के स्वरूपों में कारावास की व्यवस्था का भी उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ कठोर दंड विधान जिसमें एकरूपता का अभाव है वही दृष्टिगोचर होता है। किंतु जैसा कि दंडशास्त्री कहते हैं कि किसी भी समाज की दंड व्यवस्था का निर्धारण उस समाज की मूलभूत चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित होता है। हर समाज और काल के अपराध भिन्न होते हैं इसलिए उस समाज और काल की दंड व्यवस्था भी भिन्न होती है। मनुस्मृति कालीन दंड व्यवस्था उस समय के समाज के अनुकूल थी ऐसा प्रतीत होता है।

❑

चंदन बाला

हिंदी में अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन

किसी भी समाज की भाषा और उसका साहित्य उस समाज की सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होता है। भाषा ही लोगों को निकट लाती है। भाषा से ही समाज को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

भारत में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, गुजराती, मराठी आदि कई भाषाओं का प्रचलन है। इन सभी के शीर्ष पर हिंदी स्थित है। परंतु फिर भी राजनैतिक स्वार्थों के चलते इसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पडा है तथा आज भी यह कर रही है। जहाँ सूर, तुलसी, मीरा, महादेवी जैसे साहित्य मनीषियों ने हिंदी को जमीन से आसमान तक पहुँचाया है वही अटल बिहारी बाजपेयी जैसे राजनेता इसे देश की सीमा पार कर संयुक्त राष्ट्र संघ तक ले गए हैं।[1]

आज भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मचों पर हिंदी में उद्‌बोधन दे रहे हैं। अपने उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के कुछ सप्ताह पूर्व श्री वैंकया नायडू जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था तथा चिंता व्यक्त की थी कि लोगों का ध्यान अभी भी अंग्रेजी पर अधिक केंद्रित है। जून 1917 में उन्होंने कहा था :

"हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तथा भारत के लिए हिंदी के बिना प्रगति कर पाना असंभव है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई अंग्रेजी माध्यम के पीछे है। मैं राष्ट्र से यह अपेक्षा करता हूँ कि चर्चा अधिक मातृभाषा में करें, मातृभाषा में सीखें तथा मातृभाषा का परिवर्द्धन करे वहीं हिंदी भी सीखें।"[2]

संविधान में हिंदी की स्थिति

भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है न कि राष्ट्रभाषा के रूप में, संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को तथा लिपि के रूप में देवनागरी को प्रतिष्ठित किया गया है।[3] लेकिन आज भी अपवादों के जंजाल में फँसी हिंदी अपने अस्तित्व के लिए छटपटा रही है।

संविधान में अन्य प्रयोजनों के साथ ही शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए एक आयोग व समिति के गठन का प्रावधान किया गया था।[4]

न्यायालयों की भाषा के संबंध में संविधानिक स्थिति यह है कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में काम काज की भाषा अंग्रेजी रखी गई है। यदि किसी उच्च न्यायालय को हिंदी का प्रयोग करना है तो इसके लिए राज्यपाल आदेश कर सकता है परंतु इसके लिए उसे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। लेकिन निर्णय, डिक्री तथा आदेश अंग्रेजी में ही जारी किए जाएँगे।[5]

राजभाषा अधिनियम, 1963 का भी यदि अवलोकन किया जाए तो पता चलता है कि इसमें भी हिंदी के विकास हेतु कोई विशिष्ठ व्यवस्था नही की गई है।

मधुलिमये बनाम वेदमूर्ति[6] में एक पक्षकार ने हिंदी में बहस करने की इजाजत चाही थी जो नहीं दी गई। एक हस्तक्षेप करने वाले ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका में उच्चतम न्यायालय के समक्ष हिंदी में बहस करने की अनुमति चाही जबकि विरोधी पक्ष के अधिवक्ता ने इसका विरोध इस आधार पर किया कि वह हिंदी नही समझता था।

न्यायालय ने तीन विकल्प सुझाए : (1) वह अंग्रेजी में बहस कर सकता था; या (2) वह अपने अधिवक्ता को अपना प्रतिनिधित्व करने को कह सकता था। (3) वह अपनी लिखित बहस अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकता था परंतु हस्तक्षेप करने वाले ने इसे नहीं माना। न्यायालय ने आदेश दिया कि न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। अतः उसके हस्तक्षेप को रद्द कर दिया क्योंकि उसने न्यायालय के सुझाव नही माने।

ऐसा प्रतीत होता है कि यदि विरोधी पक्ष का अधिवक्ता एवं न्यायाधीश हिंदी समझने में समर्थ होते तथा यदि अंग्रेजी में लिखित बहस प्रस्तुत कर दी जाती तो हस्तक्षेप करने वाले को मौखिक बहस के लिए अनुमति मिल जाती।

डॉ. अमरेश कुमार बनाम लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल ऐजुकेशन[7] इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल ऐजुकेशन एक केंद्रीय संस्थान है जो ग्वालियर में शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस संस्थान में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। डॉ. अमरेश कुमार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय में एक जनहित याचिका दायर कर संस्थान में प्रशिक्षण अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी दिए जाने की माँग की, साथ ही यह माँग भी की कि छात्रों को परीक्षा में हिंदी में लिखने की छूट दी जाए। इस संबंध मे उनके द्वारा केंद्रीय सरकार के कई परिपत्रों का हवाला दिया गया। अंततः उच्च न्यायलय ने अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी माध्यम रखे जाने के निर्देश भी दिए।

उच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया

"भारत को स्वतंत्र हुए पचास वर्ष पूर्ण हो गए हैं, लेकिन हमारी मानसिक दासता अभी भी यथावत् है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया है लेकिन अंग्रेजी के बल पर उच्च पदों पर आसीन होने की आकांक्षा रखने वाले मुट्ठी भर लोग इसे अपना यथोचित स्थान दिलाने में कंटक बने हुए हैं। भारत में अंग्रेजी जानने वाले लोगों का प्रतिशत नगण्य है फिर भी अंग्रेजी के बल पर वे अपने आप को अन्य लोगों से ऊपर मानते है। यह सुस्थापित है कि बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में अधिक अच्छी तरह

कर सकता है। ऐसे बालकों पर अंग्रेजी थोपना उसके मानसिक एवं बौद्धिक विकास को अवरूद्ध करता है।"[8]

विधि लेखन में हिंदी भाषा : दशा एवं दिशा

विधि लेखन में हिंदी भाषा की स्थिति अच्छी है। विधि के विभिन्न विषयों चाहे मौलिक विधि से संबंधित हो या प्रक्रिया विधि से, हिंदी में पुस्तकें सामने आ रही हैं। कई पुस्तकें तो वर्षों से स्थापित है जिन्हें हिंदी माध्यम के विद्यार्थी एवं विधि के हिंदी साहित्य प्रेमी बड़े चाव से पढ़ रहे हैं।

विधि को जानने का अधिकार और कर्त्तव्य अपनी भाषा में विधि को समझने के अधिकार के दावे का आधार है। उक्ति 'इग्नोरेन्स ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज' (विधि की जानकारी नहीं होना कोई बचाव नहीं है) के परिणामस्वरूप राज्य का यह दायित्व है कि वह लोगों को विधि के ज्ञान को राज्य की इच्छा को लोगों की भाषा में संचरित करके सुनिश्चित करे। संविधान व विधियों के लिए आदर समुचित रूप से सूचित लोक मत द्वारा ही लाया जा सकता है, क्योंकि वही उन्हें समझ सकता है।[9]

इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि परंपरागत सरकार द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से भी विधि में अध्ययन, अध्यापन व विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है परंतु कुछ निजी विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन, अध्यापन एवं मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। वर्तमान समय में हिंदी भाषा में रचित पुस्तकों को देखने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी माध्यम से अध्ययन एवं अध्यापन हेतु साहित्य की कमी नही है। तब यह बात समझ से परे है कि जब हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया है तथा साहित्य उपलब्ध हो तो क्यों नही निजी एवं राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से अध्ययन एवं अध्यापन करवाया जाता है।

कई बार ग्रामीण परिवेश से आने वाले व सरकारी विद्यालयों से पढ़ कर आने वाले विद्यार्थी बहुत मेधावी होने के बावजूद भी हिंदी माध्यम होने के कारण इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते। यद्यपि सरकारी विश्वविद्यालयों में अध्ययन एवं अध्यापन का माध्यम हिंदी अनुमत होता है परंतु अधिकांशतः शिक्षकों की मानसिकता यह होती है कि अंग्रेजी माध्यम में लिखना पढ़ना बेहतर है व अधिक बढ़ावा अंग्रेजी माध्यम के विद्याथियों को ही दिया जाता है। इससे हिंदी माध्यम के मेधावी विद्यार्थी हतोत्साहित होते हैं।

लेखिका स्वयं एक शिक्षक होने के कारण अपने अनुभव से यह मत रखती है कि विधि का हिंदी में अध्ययन एवं अध्यापन कोई दुरूह कार्य नहीं है। बड़ी सुगमता से यह कार्य किया जा सकता है। यदि यह कार्य अधिकाधिक होगा तो स्वाभाविक रूप से लेखक भी प्रोत्साहित होंगे व लेखन कार्य भी अधिक होगा।

पुनः इस बात पर बल देते हुए कि विधि की जानकारी न होना कोई बचाव नहीं है, लेखिका का यह मत है कि जन सामान्य को सरल हिंदी में लिखा विधि का साहित्य उपलब्ध होगा तभी

उन्हें विधियों का ज्ञान हो पाएगा तथा अनजाने में ही वे विधि का उल्लंघन करने से बच पाएँगे व निरंतर नई विधियाँ बनने, पुरानी में संशोधन होने, या सरकार द्वारा जो अधिकार उन्हें प्रदान किए गए है या किए जा रहे उन्हें जानने में आसानी होगी व नागरिकों कें रूप में वे अधिक जिम्मेदारी व अनुशासन से कार्य कर पाएँगे। लेखिका का सुझाव है कि महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, बालकों, कषकों, श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में सरल हिंदी में छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के लेखन को सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए।

यद्यपि सरकारें इस संबंध में अच्छी पुस्तकों के लेखन को पुरस्कत भी करती है परंतु इस संबंध मे और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। गैर-सरकारी संगठनों को भी इस संबंध मे और अधिक आगे आना चाहिए।

भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इन पंक्तियों "निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल" में पूर्ण विश्वास जताते हुए लेखिका का मत है कि हम शिक्षकों, शोधकर्ताओं, सरकार व शिक्षण संस्थाओं के महती प्रयासों से ही विधि लेखन में हिंदी के ओर अधिक प्रयोग को सुनिश्चित कर सकेंगे व हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर ले जाने वाले मार्ग को और अधिक प्रशस्त कर सकेंगे।

❑

संदर्भ

1. डॉ. बसंती लाल बाबेल, विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस, द्वितीय संस्करण, 2013 पृ. 25
2. Hindi as our National Language : Myth and Reality www.indiatoday.in
3. संविधान का अनुच्छेद 343
4. संविधान का अनुच्छेद 344
5. संविधान का अनुच्छेद 348(2)
6. 1970, 1 एस.सी.सी. 738
7. ए.आई.आर. 1997 मध्य प्रदेश 43
8. डॉ. बसंती लाल बाबेल, विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस, द्वितीय संस्करण 2013 पृ. 33
9. पी. ईश्वर भट्ट, लॉ एंड सोशियल ट्रांसफोरमेशन, इस्टर्न बुक कंपनी, प्रथम संस्करण 2009, री प्रिंट, 2012, पृष्ठ 377

एस.एस. दास एवं कीर्तिका सिंह

राम जन्मभूमि मंदिर : विवाद एवं समाधान (एक विशिष्ट विधिक एवं सामाजिक विवेचन)

वाद परिचय

राम जन्मभूमि विवाद पर कुछ भी विवेचना करना, प्रथमतः स्थापित सिद्धांतों पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करना होगा। वह चाहे न्यायिक सिद्धांत हो या फिर धर्म पर आधारित सिद्धांत। वैसे भारतीय संस्कृति न्याय एवं धर्म में विभेद नहीं करती। दोनों ही अवधारणाएँ मनुष्य के अस्तित्व की आधार हैं। प्रायः मूल रूप में दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं। या यूँ कहें कि दोनों एक-दूसरे की पर्याय हैं। दोनों सिद्धांत मूल रूप में पारलौकिक हैं जैसे कि प्रभु राम या 'राम' की अवधारणा। परंतु इनको मूर्त रूप में लाने के लिए समाज 'तथ्य' की अवधारणा स्थापित करनी पड़ी होगी। तभी धर्म एवं न्याय को समाज अनुभूत कर सका होगा। विभिन्न अवयवों के द्वारा लाभान्वित भी हो सका होगा एवं न्याय के विभिन्न अवयवः सत्य, नैतिकता, अधिकार, कर्तव्य आदि सभी तथ्य पर ही आधारित हैं। वर्तमान समय में तथ्य से परे इनकी परिकल्पना करना मात्र कपोल कल्पना कही जा सकती है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त दोनों अवधारणाएँ मूलतः पारलौकिक हैं। परंतु उनकी अनुभूति लौकिक के रूप में ही की जा सकती है।

लौकिक अनुभूति हेतु समाज ने समय-समय पर विभिन्न तथ्य (हजारों/करोड़ों) विकसित किए। परंतु इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब किसी तत्व के न्यायिक सिद्धांत उपस्थित नहीं होते हैं; तब न्याय प्रक्रिया अंतःकरण पर आधारित हो जाती है। इस प्रकार धर्म/न्याय के पारलौकिक तत्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार राम की संकल्पना है। परंतु राम की विद्यमान्यता एवं उनके 'तत्व' की उपस्थिति पर विवेचना करना बहुत ही हास्यास्पद होगा। मेरे लिए ऐसा करना संभव भी नहीं है। संभवतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी निर्णय के द्वितीय पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति में इन्हीं भावों को उद्धृत किया है कि न्यायालय को ऐसे विवाद को सुलझाना है; जिसकी उत्पत्ति इतनी पुरानी है जितना कि भारतवर्ष स्वयं। इसी के तुरंत पश्चात् उन्होंने 'तथ्य' की अवधारणा की एवं विवाद को तीन कालों में विभाजित कर दियाय प्रथम मुगल काल, द्वितीय औपनिवेशिक काल एवं तृतीय वर्तमान संवैधानिक परिदृश्य। कहने का अभिप्राय यह है कि बिना तथ्य के विचार एवं समाधान दोनों

संभव नहीं है। इसी कारण लौकिक विवेचन ही उपयुक्त है।

यहाँ पर मैं भी राम के पारलौकिक रूप पर कोई कथन या विवेचना करते हुए तथ्यात्मक/लौकिक विवेचन करना ही उचित समझता हूँ। परंतु पाठक गणों को स्मरण कराना चाहूँगा कि चाहे वह भारतीय दर्शन में न्याय एवं धर्म हो या कि पाश्चात्य न्याय सिद्धांत दोनों के मूल में पारलौकिकता ही है। लौकिकता को ग्रहण करते हुए; इस विवाद का हेतुक (cause of action) प्रथमतः मुगल काल में उत्पन्न होता है।अतएव मुगल काल का तथ्यात्मक विवेचन आवश्यक है। किसी भी युद्ध की परिणिति विजेता की संतुष्टि (Victor's choice) से ही होती है। तदनुरूप यह स्वीकार तथ्य है कि प्रथम मुगल शासक बाबर के प्रतिनिधित्व में अयोध्या में विद्यमान स्मारकों (जिन्हें राम जन्म भूमि के नाम से जाना जाता था, उस समस्त क्षेत्र को राम कोट) का विध्वंस कर के वहाँ पर एक इमारत बनाई गई जिसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। चूँकि यह विजेता की इच्छा पर आधारित कृत्य था, इस कारण किसी को प्रत्यक्षतः आपत्ति हो भी नहीं सकती थी। परंतु इसके विरुद्ध दलित प्रजा ने राम को मानसिक स्थान देना शुरू कर दिया और इसका उदाहरण मुगल काल में भी सशक्त भक्ति आंदोलन था, जिसका साक्षी इतिहास रहा है। इस घटना के बाद संपूर्ण मुगल काल में वहाँ पर पूजा होती थी या कि नमाज अदा की जाती थी, इस संबंध में सशक्त साक्ष्य नहीं प्रकट हो सके। परंतु द्वितीय औपनिवेशिक काल में जबकि अंग्रेजों को अनुभव हुआ कि देश की एकता एवं अखंडता से उनका शासन खतरे में पड़ जाएगा। विशेषतः प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व एवं तुरंत पश्चात् की घटनाओं को आधार माना जाए तो उन्होंने इस विवाद को पुनः जागृत किया। इसका एकमात्र उद्देश्य उनके विरुद्ध एकजुट भारत को विभाजित करना था। वैमनस्य का बीज बोना था। क्योंकि सन् 1857 के आसपास मंदिर मस्जिद को लेकर कोई उग्र विवाद नहीं था। वरन मुगल विजेता एवं उनके प्रतिनिधि भारतीय संस्कृति में समाहित हो चुके थे। अगर कहा जाए कि भक्ति आंदोलन के ही परिणाम स्वरूप सूफी संप्रदाय स्थापित हो गया जिसने की दो विपरीत मतावलंबियों के मध्य सेतु का कार्य किया। इसी का परिणाम गंगा जमुनी तहजीब (एक साझा संस्कृति) है।

विवाद का तथ्यात्मक अवलोकन

मुगल काल में अवध प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, में अयोध्या नगरी स्थित है। अयोध्या को सप्तपुरी में एक माना जाता है। इसका वर्णन प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में भी मिलता है। यह सनातन धर्म का सदैव केंद्र रहा है। यहाँ से बौद्ध जैन आदि संप्रदायों के भी अभिन्न संबंध रहे हैं। जैन मतावलंबी तो अपने कई तीर्थंकरों को इक्ष्वाकु वंश का मानते हैं जो कि प्रभु श्री राम का वंश था। अयोध्या जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसे किसी भी युद्ध से जीता ना जा सके। अयोध्या के बारे में विवाद के दौरान यह भी कहा गया है कि प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा के साथ जल समाधि ले ली थी। श्रद्धालु भी इस पर विश्वास करते

हैं। परंतु उन्होंने अयोध्या के चारों तरफ अपने भाइयों एवं पुत्रों को राज्य का वितरण कर दिया था। इस प्रकार ऐसा मानना कि अयोध्या लुप्त हो गई थी सार्थक प्रतीत नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो राम करोड़ों हृदय के सम्राट न रहे होते। गत काल खंडों में हजारों संप्रदायों ने जन्म लिया एवं उनमें मत विभिन्नता भी रही हैं। परंतु राम के अस्तित्व को लेकर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं रहा है।

धार्मिक विश्लेषणों से साक्ष्य प्राप्त होता है कि वर्तमान अयोध्या नगरी का पुनर्निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था। ऐसा उसने पारलौकिक निर्देशों के अंतर्गत कराया जिसे जनसमुदाय विश्वास करता आता रहा है कि दिव्य पुरुष ने उसे बताया कि यह जन्म स्थान प्रभु राम का है। वहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। जिसकी पुष्टि पुरातात्विक खनन के द्वारा किया गया है कि विवादित ढाँचे के नीचे विशाल मंदिर मौजूद होने के महत्त्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान समय में भी जबकि मंदिर निर्माण चल रहा है अनेकानेक साक्ष्य मिलते जा रहे हैं। अगर हम उपर्युक्त संदर्भों को काल्पनिक भी मान लें तो इतना तो अवध के बौद्धिक जनमानस ने अपने अपने लेखों में वर्णन किया है कि मीर बाकी जो कि बाबर का सिपहसालार था उसने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का ढाँचा बनाया।

हमारे पूर्वज तो बताते हैं कि जब मीर बाकी मंदिर तुड़वा कर मस्जिद बना रहा था, तो वह स्वतः गिर जा रही थी। फिर उसने उस ढाँचे में राम जानकी लिखवाया तब जाकर निर्माण कार्य पूरा हो सका। तत्पश्चात् निर्मित ढाँचे को बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। हालाँकि यह सर्वविदित है कि उक्त घटना के पश्चात् राम में श्रद्धा रखने वाले भक्तों ने कई काल खंडों में छोटे बड़े युद्ध लड़े परंतु उन्हें अंतिम सफलता नहीं मिल सकी। अवध प्रांत में प्रचलित एक कथा के अनुसार एक बार 84 कोसी परिक्रमा के अंदर रहने वालों ने संगठित होकर सेना बनाई जो कि 90,000 की संख्या के आसपास थी। बिना किसी सशक्त सेनापति के इस सेना ने बहुत ही विकराल युद्ध लड़ा परंतु अंततः पराजय ही हाथ मिली। इसी के पश्चात्, मुगल शासकों ने अवध प्रांत की राजधानी अयोध्या बना दी। इसका नया नामकरण फ़ैजाबाद कर दिया गया ताकि उक्त क्षेत्र में शांति बहाल रखी जा सके। इसके पश्चात् साधु संतों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और भक्ति आंदोलन शुरू कर दिया जिस के द्वारा प्रभु राम के अस्तित्व को कभी भी संकट में नहीं पड़ने दिया गया।

इस कालखंड में कभी भी इस ढाँचे में नमाज अदा नहीं की गई। ऐसा वाद में न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों से पुष्ट भी हुआ; वरन अनुयायियों ने एक नई प्रथा शुरू करके चार कोस एवं चौरासी कोस की परिक्रमा प्रारंभ कर दी अर्थात् उस स्थान पर शासकों का प्रभाव होने के बावजूद चिन्हित स्थानों का भ्रमण करके लोग जन्मभूमि की प्रदक्षिणा किया करते थे जो कि आज तक प्रचलन में है।

समय चक्र ने इस विवाद को धूमिल कर दिया। इस पूरे क्षेत्र में जब भक्ति आंदोलन में मुसलमान अनुयायियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया एवं अपनी श्रद्धा प्रभु राम के प्रति

दर्शित करनी शुरू कर दी; जैसे रहीम, कबीर एवं रसखान आदि आदि तब साझा संस्कृति का जन्म हुआ। तब दोनों मतावलंबियों के द्वारा यह क्षेत्र उपेक्षित कर दिया गया या यह कह सकते हैं कि राम स्थान की बजाय मन मंदिर में बसने लगे। इस कालखंड में उस भूखंड विशेष में न तो नमाज होती थी और न ही पूजा-अर्चना। परंतु अयोध्या को राम की नगरी के रूप में पहचान प्राप्त करने से कोई संकट नहीं था। दोनों संप्रदायों में प्रेम रूपी एक डोर राम ने बांध दी जिसे हम आज गंगा जमुनी तहजीब के रूप में जानते हैं।

चलिए इस कथानक का रुख वर्तमान विवाद के हेतुक (cause of action) की तरफ करते हैं। मुगलों के पतन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के कालखंड में इस विवाद का हेतुक पुनः राज्य सत्ता को सुरक्षित करने के लिए किया गया। जबकि अंग्रेजों के विरुद्ध संपूर्ण भारत बिना किसी जाति, धर्म के भेदभाव के लोकतांत्रिक रूप में उनके विरुद्ध खड़ा हो गया जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। द ब्रिटिश साम्राज्य ने विभाजन नीति (Devide and Rule) का सूत्रपात किया। इसी कूटनीति के तहत इस विवाद को हवा दी गई। परिणामस्वरूप विवादित ढाँचे को लेकर संवत् 1856-57 के आसपास दोनों संप्रदायों के मध्य विवाद हुआ और नाटकीय रूप से अंग्रेजों ने समाधान करने की कोशिश की। अंग्रेज अधिकारियों ने पूरे भूखंड की चारदीवारी बना कर दो भागों में विभक्त कर दिया। अंदर वाला भाग जोकि गुंबद युक्त था, मुस्लिम संप्रदाय को और बाहरी भाग जो चबूतरा था (जिसमें सीता रसोई एवं राम चबूतरा शामिल था) वह हिंदू संप्रदाय को दे दिया गया। अगर इस समस्या का सही रूप से मूल्यांकन किया जाए तो यहीं से वाद हेतुक जन्म लिया।

सर्वप्रथम, विवादित ढाँचे को लेकर प्रथम प्राथमिकी 28 नवंबर, 1858 को दर्ज की गई जबकि कुछ निहंग सिखों ने ढाँचे के अंदर घुसकर राम नाम कीर्तन किया, पूजा अर्चना की एवं हवन इत्यादि भी किया। पुनः विवाद को हवा देते हुए, 1877 में उत्तर भाग में ब्रिटिश सरकार ने एक और द्वार खोला जिसको हिंदुओं को दे दिया गया। परंतु उनकी इस बंदरबाँट का उद्देश्य दोनों समुदायों को विभाजित करना था और वह इसमें सफल भी हुए, यहाँ तक की इस नीति से उन्होंने देश विभाजन करने में भी सफलता पाई, दोनों समुदायों के बीच मत अंतर निरंतर बढ़ता चला गया यही उनका प्रमुख उद्देश्य था।

न्यायपालिका के समक्ष विवाद का संस्थापन

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो चुका है कि जो भी वस्तु-स्थिति रही हो परंतु दोनों समुदायों के मध्य एक विभेदकारी वाद हेतुक (cause of action) स्थापित हो चुका था। सर्वप्रथम, उक्त हेतु को लेकर महंत रघुवर दास ने जनवरी 1885 में उप-न्यायाधीश जनपद फैजाबाद के समक्ष वाद दाखिल किया। उनकी प्रार्थना थी कि राम जन्म स्थान के महंत के रूप में उन्हें राम चबूतरा पर मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। परंतु विचारण न्यायालय 24 दिसंबर, 1885 को यह स्वीकार करते हुए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जगह हिंदुओं की है, परंतु इस आदेश

से दोनों समुदायों के मध्य दंगा फसाद हो सकता है इसलिए वाद को निरस्त कर दिया। महंत रघुवर दास ने 18 मार्च, 1886 को जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, परंतु यह भी निरस्त कर दी गई, क्योंकि विचारण न्यायालय के आदेश को अपील न्यायालय सही माना। पुनः द्वितीय अपील न्यायिक आयुक्त अवध के समक्ष प्रस्तुत की गई। 1 नवंबर, 1886 को आयुक्त ने इसे भी निरस्त कर दिया। दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रकरण यह है कि उक्त सारी घटनाओं से आहत हिंदू जन-समुदाय के कुछ लोगों ने 1934 में गुंबद को भी नुकसान पहुँचाया; परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसका पुनरुद्धार किया। सबसे घातक ब्रिटिश कार्यवाही यह थी कि उक्त विवादित ढाँचे के अंदर ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम संप्रदाय को नमाज पढ़ने का अधिकार दे दिया। यह इतिहास का वह कालखंड है जबकि तात्कालिक स्वतंत्रता आंदोलन, जोर पकड़ चुका था परंतु धर्म एवं जाति आधारित अंग्रेजी विभाजन नीति अपने चरम पर थी। इसी समय भारत के विभाजन की कार्य नीति पर इंग्लैंड में कार्य चल रहा था।

उक्त प्रकरण सहिष्णु अनुयायियों के द्वारा आस्था के संरक्षण हेतु प्रथम न्यायिक की गुहार थी जिसको कि ब्रिटिश न्यायालय के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया। अंततः आहत साधु समुदाय ने 22-23 दिसंबर, 1949 की रात विवादित ढाँचे में प्रभु राम लला की प्रतिमा स्थापित कर दी। यह सोचते हुए यह देश स्वतंत्र हो गया है धर्म के आधार पर देश को बाँट भी दिया गया है। इसलिए अब कम-से-कम उनकी आस्था का सम्मान, दोनों समुदाय और स्वतंत्र देश की सरकार भी करेगी। परंतु उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट, फैजाबाद में 29 दिसंबर, 1949 को शांति भंग की आशंका व्यक्त की। इसे आपात स्थित मानते हुए; प्रिया दत्त जो कि तत्कालीन फैजाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्हें रिसीवर नियुक्त कर दिया। परंतु ध्यान देने योग्य तथ्य न्यायिक परिदृश्य में यह था कि मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में दो या तीन पुजारियों को धार्मिक अनुष्ठान एवं भोग आदि संपन्न करने के लिए विवादित ढाँचे के अंदर भी जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। श्रद्धालुओं को ईंटों के बने झरोखों से ही दर्शन की अनुमति दी गई अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी।

अंततः 16 जनवरी, 1950 को एक हिंदू अनुयाई गोपाल सिंह विशारद ने वर्तमान निर्णित वाद को सिविल जज फैजाबाद के न्यायालय में संस्थित किया जिसको मूल वाद के रूप में भी जाना जाता है। इस वाद में कई संशोधन होते रहे, जिसमें कि कई पक्षकार एवं भिन्न-भिन्न प्रार्थनाएँ समय-समय पर की गई। जिसमें पूजा करना, महंत नियुक्त करना, भूखंड पर आस्था के आधार पर, मान्यता के आधार एवं कब्जे के आधार पर स्वामित्व का दावा भी किया जाता रहा है। दूसरा वाद 5 दिसंबर, 1950 को महंत परमहंस दास ने सिविल न्यायालय फैजाबाद के समक्ष समानांतर उपचार हेतु दायर किया। परंतु इस वाद को 18 सितंबर, 1990 को वापस ले लिया गया। तीसरा वाद 17 दिसंबर, 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने भी सिविल न्यायालय फैजाबाद में संस्थित किया जिसमें जन्म स्थान एवं मंदिर के प्रबंधन का दावा किया

गया तथा सिटी मजिस्ट्रेट की संपत्ति के अटैचमेंट एवं रिसीवर की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई। इस न्यायिक विवाद में 18 दिसंबर, 1961 को सुन्नी वक्फ बोर्ड और 9 मुसलमान अयोध्या निवासियों ने चौथे पक्षकार के रूप में प्रवेश किया। अब तक यह विवाद राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ चुका था, कुछ व्यक्तियों ने इसे संविधान की पंथ निरपेक्षता से जोड़ना भी प्रारंभ कर दिया था। 6 जनवरी, 1964 को उक्त तीनों वादों को संगठित करके चतुर्थ वाद को संकेतिक वाद बनाया गया। इस प्रकार मूल वाद हिंदू और मुसलमानों की आस्था से जुड़ गया था। पूर्व के तीनों मामले हिंदू समुदाय द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध थे। परंतु चौथे वाद के दाखिल होने के बाद मामले को हिंदू और मुसलमानों के मध्य मुख्य विवाद के रूप में दर्शित किया गया। किसी वाद के विचारण के दौरान एक प्रार्थना-पत्र 25 जनवरी, 1986 को जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि विवादित स्थान का ताला खोलकर दर्शनार्थियों को दर्शन करने की अनुमति दी जाए।

पाँचवें वाद के रूप में 1 जुलाई, 1989 को 'भगवान श्रीराम विराजमान एवं स्थान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या' एक न्यास के रूप में वाद मित्र के द्वारा पक्षकार के रूप में सिविल न्यायालय फैजाबाद में वाद संस्थित किया। इस वाद में उक्त वर्णित समस्त प्रार्थनाओं के साथ मंदिर निर्माण में विपक्ष द्वारा डाली जाने वाली बाधाओं पर निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध भी किया गया। इसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए, 10 जुलाई, 1989 को समस्त संबंधित वादों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया। 21 जुलाई, 1989 को मुख्य न्यायाधीश ने तीन न्यायाधीशों की पीठ विचारण के लिए गठित की। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के आवेदन पर 14 अगस्त, 1989 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी पारित किया। संपूर्ण विचारण के दौरान कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई; जिनका जिक्र करना आवश्यक है, प्रथमतः उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत तीर्थ यात्रियों की सुविधा एवं विकास हेतु विवादित भूखंड (जो कि 2.77 एकड़ था) को अधिग्रहित कर लिया। परंतु एक याचिका द्वारा इस अधिग्रहण को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई एवं उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण को रद्द कर दिया। दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना 6 दिसंबर, 1992 को घटित हुई जबकि एक उग्र एवं अनियंत्रित भीड़ ने विवादित ढाँचा, चहारदीवारी एवं राम चबूतरा को नष्ट कर दिया। इस घटना के पश्चात् तत्कालीन सरकार ने एक अस्थाई टेंट में रामलला की मूर्ति जो कि विवादित ढाँचे के अंदर थी, को स्थापित किया गया। तीसरी महत्त्वपूर्ण घटना वाद के संदर्भ में यह थी कि उक्त विध्वंस के बाद केंद्रीय सरकार ने 68 एकड़ जमीन जो कि विवादित ढाँचे के आसपास थी, जिसमें विवादित भूखंड जो कि 2.77 एकड़ था, भी शामिल है, को अयोध्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1993 के द्वारा अधिग्रहित कर लिया। इस अधिग्रहण को भी जो कि भारतीय संसद के द्वारा पास किया गया था को एक याचिका के माध्यम से याची इस्माइल फारूकी ने चुनौती दी। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को समस्त मामले को निर्देशित किया।

उक्त निर्देश में विवाद की संवैधानिकता का निरीक्षण करना था कि 'क्या विवादित ढाँचा (तथाकथित राम मंदिर या बाबरी मस्जिद) के निर्माण के पूर्व वहाँ पर कोई हिंदू मंदिर या हिंदू धार्मिक स्थान स्थित था या नहीं'?

उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्देश, उच्च न्यायालय में संस्थित याचिका एवं अन्य विभिन्न वादों को जो कि अयोध्या अधिग्रहण अधिनियम, 1993 को चुनौती देते थे, को इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (1994) के सांकेतिक नाम से संगठित करके सुनवाई प्रारंभ कर दी। 24 अक्टूबर, 1994 को निर्णय देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 4(3) को असंवैधानिक करार दिया गया; जो कि विवादित वादों (Abatement) को समाप्त करने का प्रावधान करती थी। शेष अधिनियम अर्थात् जमीन के अधिग्रहण को संवैधानिक करार दिया गया। राष्ट्रपति महोदय के निर्देश (Reference) के अंतर्गत अनुच्छेद 143 का उत्तर देने से उच्चतम न्यायालय ने इंकार कर दिया जो कि वाद का मूल विषय था। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप उक्त समस्त सिविल वाद जो कि उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष लंबित थे, जिन्हें अयोध्या अधिग्रहण अधिनियम 1993 समाप्त करता था, पुनः पुनर्जीवित हो गए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को रिसीवर नियुक्त किया एवं विचारण पश्चात् निर्णय के अनुसार जमीन को उचित अर्थात् विजयी पत्रकार को अंतरित करने का निर्देश भी दिया। सारांशतः अयोध्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1993 जो कि विवाद को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था, परंतु न्यायपालिका ने इसे अस्थाई प्रकृति का घोषित कर दिया।

उच्च न्यायालय के विचारण का संक्षिप्त अवलोकन

24 जुलाई, 1996 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अभिलेखन प्रारंभ किया। कुल 13,990 पेजों में इसका संकलन किया गया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी और अंग्रेजी साहित्य के हजारों पुस्तकों का विश्लेषण भी स्वीकार किया, जो कि इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व एवं धर्म संबंधी उल्लेख करते हैं, जिनमें अयोध्या के संबंध में कुछ भी उल्लेखित किया गया हो। 23 अक्टूबर, 2002 को उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग (आरकेलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) को निर्देश दिया कि विवादित भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं खनन प्रारंभ कराएँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में न्यायालय को बहुत ही महत्त्वपूर्ण साक्ष्य मिले। खनन में विवादित ढाँचे के नीचे विशाल हिंदू धार्मिक भवन के प्रमाण मिले। विवादित ढाँचे के नीचे प्राप्त भवन का निर्माण एवं पुनरुद्धार विभिन्न काल खंडों में होता रहा, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दर्शाया गया, जो हिंदू सभ्यता को दर्शाता है।

उच्च न्यायालय का निर्णय 30 सितंबर, 2010

30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 के बहुमत से निर्णय न्यायाधीश एस.यू. खान एवं सुधीर अग्रवाल ने सुनाया। जबकि अल्पमत

का निर्णय न्यायाधीश डी.वी. शर्मा जी ने सुनाया। बहुमत के निर्णय के अनुसार जिसमें सभी तीन पक्षकारों मुस्लिम, हिंदू एवं निर्मोही अखाड़ा को संयुक्त स्वामी स्वीकत करते हुए समस्त विवादित भूखंड को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया। एक हिस्सा हिंदू समुदाय को जिसमें श्री भगवान राम लला विराजमान स्थित थे (तीनों गुंबद वाला हिस्सा), तथा दूसरा निर्मोही अखाड़ा को, जिसमें राम चबूतरा एवं सीता रसोई सम्मिलित थी। सिर्फ एक तिहाई भाग मुस्लिम समुदाय को दिया गया। उपर्युक्त निर्णय में प्रथम वाद अर्थात् मूल वाद एवं पाँचवें वाद को निर्णीत किया गया। वाद संख्या तीन एवं चार को परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत बाधित होने के कारण (अर्थात वाद हेतुक प्रारंभ होने के काफी समय बाद दाखिल करने के कारण) निरस्त कर दिया गया। न्यायाधीश डी.वी. शर्मा ने अल्पमत से अपना निर्णय वाद संख्या 5 के पक्ष में, अर्थात् 'भगवान श्रीराम विराजमान स्थान, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या' के पक्ष में दिया।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का संक्षिप्त अवलोकन

9 मई, 2011 को उच्चतम न्यायालय की 2-सदस्यीय न्यायाधीश पीठ ने विभिन्न अपील जो कि उक्त उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई थी, स्वीकार किया। इस न्यायपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाते हुए, यथास्थिति बनाए रखने एवं इस्माइल फारूकी की याचिका में दिए गए निर्देशों का पालन करने हेतु समस्त पक्षों को निर्देशित किया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रशासनिक आदेश के अंतर्गत अपील को पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के समक्ष त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया। इसके पूर्व, समस्त दस्तावेजों, साक्ष्यों को उच्च न्यायालय से अधियाचना द्वारा मँगा लिया गया था। इसी बीच, देश में चल रही गतिविधियों के तहत मामले को मध्यस्थ के द्वारा सुलझाने की भी पहल की गई। इन्हीं प्रार्थनाओं के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने 26 फरवरी, 2019 को पक्षकारों को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थों द्वारा अपील में उठाए गए, विवाद बिंदुओं को सुलझाने की संभावना तलाश करने को संदर्भित किया गया। तमाम प्रयासों के बावजूद 8 मार्च, 2019 को तीन सदस्यीय मध्यस्थम जिसमें एक उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फकीर महमूद, दूसरे श्री-श्री रविशंकर धर्मगुरु एवं तीसरे श्रीराम पंचू, वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल थे को गठित किया गया। इस मध्यस्थम का उद्देश्य सुलह,समझौते एवं आम सहमति से मामले को सुलझाना था। सद्भावनापूर्ण माहौल में बातचीत प्रारंभ की गई, परंतु तमाम बैठकों के बावजूद आम सहमति नहीं बन सकी। अंततः मध्यस्थम ने अपनी अंतिम रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसके कुछ बिंदुओं से निवर्तमान निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने सहयोग लिया। परंतु न्याय पर विवाद को सुलझाने का प्रयास भी विफल ही रहा। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त विभिन्न प्रयास विवाद को लंबित करने का एक प्रयास मात्र थे। उच्चतम न्यायालय ने पुनः सारे साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण दिन-प्रतिदिन की त्वरित कार्यवाही के माध्यम से किया। वह चाहे दस्तावेजी साक्ष्य हो या मौखिक साथियों का परीक्षण

अथवा पुरातात्विक रिपोर्ट सभी बिंदुओं का परीक्षण करने के पश्चात् अंततः उच्चतम न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय, 9 नवंबर, 2019

उच्चतम न्यायालय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को निश्चयात्मक सबूत माना, जिसे उच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया था कि विवादित ढाँचे को एक विशाल हिंदू भवन को गिराकर बनाया गया था। अधिवक्ता राजीव धवन ने अंतिम अनुदान सिद्धांत (Doctrine of Last Grant) एवं एडवर्सरी पजेशन (Adversary Possession) के आधार पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्ष में अपील को निस्तारित करने की प्रार्थना की। राजीव धवन की दलील थी कि हिंदुओं का दावा अवैधानिक है, मस्जिद 1528 में बनाई गई थी, जिसे शासक बाबर द्वारा अनुदानित किया गया था और यह साबित है। समय-समय पर हिंदुओं ने मुस्लिमों को प्रताड़ित किया। 1934 में मस्जिद को हिंदू दंगाइयों ने क्षति पहुँचाई पुनः 22-23 दिसंबर, 1949 को इसे अपवित्र किया गया। अंततः 6 दिसंबर, 1992 को यथा स्थिति का उल्लंघन करते हुए, हिंदुओं ने मस्जिद को गिरा दिया। उनकी दलील थी कि विवादित ढाँचा सदैव एक मस्जिद था, जो कि 1528 से 22-23 दिसंबर 1949 तक मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और वहाँ नमाज होती रही है। उनकी इस दलील को उच्चतम न्यायालय ने विश्लेषण में यह माना कि मुस्लिम पक्ष का दावा अधिकांशतः कब्जा के आधार पर स्वामित्व का ही था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित किया कि विवादित ढाँचे के निर्माण 1528 से 1856-57 के मध्य उनका कब्जा था और नमाज अदा की जाती थी, ऐसा साबित करने में मुस्लिम पक्ष पूर्णतया विफल रहा है। सभी तथ्यों के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि मुस्लिम पक्ष को कब्जा विवादित भूखंड का बँटवारा करके ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से मिला था। उसके पूर्व मुस्लिम पक्ष के द्वारा नमाज अदा करने के कोई मजबूत साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस प्रकार यह पूर्णतया साबित है कि विवादित ढाँचे पर मुस्लिम पक्ष को कब्जा वाद के विचाराधीन रहने के दौरान दिया गया था। इसलिए मुस्लिम पक्षकारों का कब्जा के आधार पर स्वामित्व प्राप्त करने की दलील सशक्त नहीं लगती है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कब्जा दिलाए जाने के पूर्व एवं बाद में भी कई राजस्व एवं सत्य संबंधी दावे दोनों पक्षों द्वारा किए जाते रहे हैं। ऐसा न्यायालयों में दाखिल किए गए दस्तावेजों से पूरी तरीके से साबित होता है। इसलिए मूल वाद हेतुक (Cause of action) से पूर्व मुस्लिम पक्ष के कब्जे का सशक्त सबूत नहीं रहा है। यहाँ तक कि विवादित ढाँचे की बनावट के आधार पर सुन्नी एवं शिया मुस्लिम समुदाय के बीच भी वाद बीसवीं सदी में ही चला इस प्रकार कब्जा एवं उसकी निरंतरता संदिग्ध प्रतीत होती है। ब्रिटिश यात्रियों के यात्रा संस्मरण से भी साबित होता है कि उन्नीसवीं एवं 20वीं सदी में भी उस भूखंड पर हिंदू तीर्थ यात्रियों द्वारा पूजा-अर्चना की जाती रही है। भगवान राम लला विराजमान के वाद को अर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट संपोषित करते

हुए कई वैज्ञानिक तथ्य दर्शित करती है जैसे कि --

उत्तराखंड का उत्खनन दर्शाता है कि वह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के काल की निर्मित है; पूर्व निर्मित भवन जो कि विवादित ढाँचा के ठीक नीचे था, उसका कालखंड 12वीं शताब्दी के लगभग का है। जहाँ पहले यही इमारत स्थित थी, दर्शित करता है कि प्राचीन भवन जिसमें पचासी स्तंभ थे जो 17 पंक्तियों में विभक्त थे प्रत्येक पंक्ति में पाँच स्तंभ थे। इस प्रकार ढाँचे के ठीक नीचे एक विशाल हिंदू भवन स्थित था।

अर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट यह भी दर्शित करती है कि भवन की कलाकृति उसके हिंदू भवन होने का साक्ष्य देते हैं;

1528 में जो विवादित ढाँचा बनाया गया वह उसी भवन के ऊपर स्थित था जो की 12 वीं सदी में निर्मित किया गया था;

विवादित ढाँचा को बनाने में भी पुराने भवन की नींव का प्रयोग किया गया था, नई नींवों का निर्माण नहीं किया गया;

स्तरीय खनन (Block level excavations) यह भी दर्शित करता है कि वहाँ पर एक विशाल वृत्ताकार पूजा स्थल था, जिस पर मकर प्रणाल दर्शित था, जिससे भवन के इस स्तर का खनन (Level of Excavation) आठवीं से दसवीं शताब्दी के मध्य का दर्शित करता है.

अर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उक्त रिपोर्ट जो कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी, के आधार पर युक्तियुक्त उपधारणा की जा सकती है कि विवादित ढाँचा पूर्व निर्मित हिंदू भवन पर बनाया गया। इस भवन की कलाकृतियों के आधार पर एक हिंदू पूजा स्थल के रूप में उप धारणा भी की जा सकती है। उत्खनन के दौरान बहुत सारे (यहाँ तक कि वर्तमान में भी राम जन्म भूमि तीर्थ स्थल के निर्माण के दौरान बहुत सारे प्रतीक जैसे चाँदी एवं स्वर्णशिला खंड आदि आदि मिलते जा रहे हैं जिन्हें कि संग्रह किया जा रहा है और संभावित रूप से एक संग्रहालय बनाया जाएगा) हिंदू प्रतीक मिले। परंतु 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य क्या वस्तु स्थिति थी? यह बता पाना संभव नहीं।

परंतु यह साबित है कि विवादित ढाँचा होने के बावजूद हिंदू पूजा पद्धति निरंतर चलती रही है। गर्भ ग्रह पर इस्लामिक ढाँचा होने के बावजूद हिंदू इसे जन्म स्थान मानते रहे हैं और पूजा एवं परिक्रमा करते रहे हैं।

हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के साक्ष्य यह दर्शित करते हैं कि राम नवमी, सावन झूला, कार्तिक पूर्णिमा परिक्रमा मेला एवं राम विवाह आदि पर्वों के अवसर पर हिंदू श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहे हैं। हिंदू श्रद्धालुओं के मौखिक साक्ष्य से वहां पर की जाने वाली पूजा पद्धति का भी वर्णन किया गया है। हिंदू श्रद्धालुओं ने विवादित ढाँचे के अंदर स्थित 'कसौटी शिला स्तंभ' की पूजा का उल्लेख भी किया। मुस्लिम साक्षियों ने भी ढाँचे के अंदर एवं बाहर हिंदू धार्मिक प्रतीकों जैसे वाराह, गरुड़ आदि की आकृतियों की उपस्थिति को स्वीकार किया है।

1934 में कब्जे को लेकर हुए विवाद के बाद जब विवादित ढाँचे को क्षति पहुँचाई गई थी। सरकार ने उसकी मरम्मत कराई। इसी के बाद ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों को भी केवल जुम्मे की नमाज अदा करने का अधिकार दिया जोकि 22-23 दिसंबर, 1949 तक स्वीकार किया जाता है। यह अधिकार वाद हेतुक के विचाराधीन (Res sub judice) स्थिति में दिया गया। जोकि यथास्थिति का उल्लंघन भी माना जा सकता है। ब्रिटिश वक्फ इंस्पेक्टर (निरीक्षक) की दिसंबर 1949 की रिपोर्ट के मुताबिक साधुओं एवं वैरागियों ने उक्त अधिकार दिए जाने के बावजूद जुम्मे की नमाज के लिए ढाँचे के अंदर मुस्लिम समुदाय को जाने से रोका क्योंकि बाहरी भूखंड ब्रिटिश सरकार ने हिंदू समुदाय के कब्जे में दिया गया था। इंस्पेक्टर के अनुसार 1934 के बाद भी जुम्मे की नमाज केवल पुलिस की सहायता से ही होती थी।

उच्चत्तम न्यायालय ने माना कि हिंदू पक्ष ने कब्जा के आधार पर वाद में भूखंड के स्वामित्व को स्थापित किया है। उच्च न्यायालय द्वारा भूखंड के बँटवारे को स्वीकार करना उचित नहीं था। क्योंकि विवाद बँटवारे का था ही नहीं, यह वाद श्रद्धालुओं द्वारा आस्था एवं पूजा के अधिकार के लिए था। निर्मोही अखाड़ा द्वारा सेवायत अधिकार के लिए था एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा उद्घोषणात्मक वाद के लिए था। उच्च न्यायालय को इन्हीं आधारों पर या विवाद बिंदुओं पर उक्त अधिकारों का निर्धारण करना था। परंतु उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया। उच्च न्यायालय ने एक और गलती यह की कि उसने सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं निर्मोही अखाड़ा के वाद को काल बाधित माना फिर भी निर्णय में प्रत्येक को एक तिहाई भूखंड प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि यह वाद इतिहास, पुरातत्व, धर्म एवं विधि के परिक्षेत्र की पूर्ण परिक्रमा करता है। अतः किसी के महत्त्व को कम आँकना उचित नहीं होगा। इस न्यायालय को एक अंतिम न्यायिक संस्था के रूप में आस्था के साथ-साथ मानव गरिमा, बंधुता, न्याय एवं साम्य के साथ संतुलन बना कर रखना आवश्यक होगा। यह न्यायिक इतिहास के क्षेत्र में एक जटिल वाद (Hard case) के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। यह भारतीय भूमि पर भारतीय प्रकृति के अनुरूप एक अनोखा वाद है एवं यह बात अपनी पहचान इसके पक्षकारों द्वारा सद्भाव पूर्ण क्रियान्वयन से बनाएगा। उच्चतम न्यायालय ने वाद के ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए एवं अयोध्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1993 की धारा 6 एवं 7 के अंतर्गत केंद्र सरकार को न्यास गठित करके उक्त भूमि की व्यवस्था करने को निर्देशित किया। निर्मोही अखाड़ा के दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि वह काल बाधित था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वाद को काल बाधित नहीं माना गया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह निर्णय की तिथि से 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु एक न्यास का गठन करें। समस्त विवादित भूखंड को जिसमें अंदर एवं बाहरी दोनों विवादित ढाँचे का स्वामित्व एवं कब्जा भी सम्मिलित है, उक्त न्यास को दिया जाए। साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि केंद्र सरकार अयोध्या अधिग्रहण अधिनियम, 1993 के द्वारा अधिग्रहित शेष भूमि का प्रबंधन करने हेतु स्वतंत्र होगी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी

आदेशित किया कि न्यास को विवादित भूमि देने के साथ ही केंद्र सरकार 5 एकड़ की भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रदान करें। यह भूमि अधिग्रहीत भूमि से पृथक होगी या कि अयोध्या में जहाँ पर भी राज्य सरकार उक्त भूमि उपलब्ध करा सके वहाँ पर स्थित होगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित भूमि पर मस्जिद बनाने हेतु कदम उठाने पर स्वतंत्रता हासिल होगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि देने का आदेश उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत संवैधानिक परंपराओं को सुदृढ़ करने हेतु लिया। उच्चतम न्यायालय का निर्णय सौहार्दता एवं बंधुता को स्थापित करने का एक अनूठा प्रयास है। बीते दिनों के अनुभव से कहा जा सकता है कि जिसे दोनों समुदायों के लोगों ने शांतिपूर्वक स्वीकार किया। अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देशित किया कि वह निर्मोही अखाड़ा को भी गठित न्यास में उपयुक्त प्रतिनिधित्व दे।

राम जन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप

उपर्युक्त निर्णय को सभी पक्षों ने सौहार्द एवं शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार किया। अंततः 1528 ईस्वी से उत्पन्न विवाद ने 9 नवंबर, 2019 को अंतिम रूप लिया। केंद्र सरकार ने 'राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास' के नाम से न्यास गठित किया। न्यास ने 5 अगस्त, 2020 को राम जन्म भूमि का पूजन करके निर्माण प्रारंभ कर दिया। इस भूमि विवाद ने कई शासकों के काल खंडों में यात्र संपन्न की जिसमें तरह तरह की राजनीतिक, धार्मिक, अतिवाद एवं संप्रदाय वाद की झलकियाँ मिलती हैं। संतोषजनक यह है कि विवाद का निपटारा ना कि संप्रदायवाद पर, न ही राजनीति पर आधारित रहा है। इसका निपटारा न्यायिक होना भी प्रभु श्री राम के चरित्र के अनुरूप ही आदर्शात्मक रहा। प्रभु श्री राम हिंदू, मुस्लिम एवं सभी भारतीयों के आदर्श रहे हैं। उनके अस्तित्व को लेकर कभी भी कोई विवाद नहीं रहा है। ऐसा मेरा सोचना है कि इस विवाद की जड़ केवल सियासत में ही थी। सियासत ने ही विभिन्न काल खंडों में धार्मिक भावनाओं को हवा देकर सांप्रदायिक द्वेष पैदा किए। अंततः 21वीं सदी में प्रभु राम के श्रद्धालुओं का वनवास समाप्त हुआ। संभवतः वे सभी अब अपने श्रद्धारूपी सागर में गोते लगा सकेंगे। यह विवाद हमें यह भी शिक्षा देता है कि किसी की श्रद्धा एवं संस्कृति पर आक्रमण करके उसकी श्रद्धा एवं संस्कृति को समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि श्रद्धा के साथ ही साथ संस्कृति में भी एक सीमा के पश्चात लौकिकता के केंद्र में पारलौकिकता ही होती है एवं यह सर्वविदित है कि पारलौकिकता सत्य पर आधारित होती है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। पारलौकिकता ही परम सत् है। सत ही राम है! अब इसके बाद यह विवेचन आध्यात्मिक हो जाएगा। इस कारण मैं अब इस विधिक विश्लेषण को यहीं पर विराम लगाता है।

होइ है वही जो राम रचि राखा
को करि तर्क बढ़ावाइ शाखा

❑

संदर्भ

1. Abu Al Fazilbn Mubarak and H. Blochmann, the Aine Akbari, 1873 Calcutta: Rouse (Reprint of 1989 published by Low Price Publication, Delhi),
2. Adam Hardy, Indian temple Architecture: Form and Transformation: The Kamata Dravida Tradition 7th to 13th centuries, New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts (1995),
3. Ain e Akbari by Abul fazal translated by Colonel H.S. Jarrett (Edition 1893-96),
4. Alexander Cunningham, Four Reports made during the year 1862 – 65, Archaeological Survey of India, Vol- 1, Shimla: Government Central Press, 1871,
5. B.K. Mukherjea, The Hindu Law of Religious and Charitable Trust, 5th Edition, Eastern Law House, (1983)
6. Deoki Nandan v. Murlidhar, 1956 SCR 756,
7. Dr. M. Ismail Faruqui v. Union of India (1994) 6 SCC 360
8. Edward Thornton, 1799 – 1875: A Gazetteer of the Territories under the Government of the East India Company and of the Native States on the Continent of India, London: W.H. Allen (1854),
9. Epigraphia India, Arabic and Persian Supplement (in continuation of Epigraphia Indo – Moslemica) (Z A Desai Ed's) the Archaeological Survey of India(1987)
10. F.H.H. King, Survey our Empire! Robbert Montgomery Martin (1801-1868), A Bio- Bibliography (1979), British Museum
11. Fuhrer, Alois Anton, Edmund W.Smith, and James Burgess, The Sharqi architecture of Jaunpur: with notes on Zafarabad, Sahet- Mahet and other places in the North Western provinces and Oudh. (1994) by the Archaeological Survey of India,
12. Guruvayoor Devaswom Managing Committee v. C.K.Rajan 2003 7 SCC 546
13. Hans Bakker, Ayodhya, Egbert Forsten Publishers, (1986)
14. Historical Sketch of Faizabad with old Capitals Ajodhia and Fyzabad by P.Carnegy, Officiating Commissioner and Settlement Officer, Oudh Government Press, 1870
15. Jose K. John, The Mapping of Hindustan: A Forgotten Geographer of India, Tieffenthaler (1710-1785) Proceedings of The Indian History Congress, Volume 58 (1997)
16. Karl R. Popper, the Logic of Scientific Discovery, Hutchinson and Co. (1959)
17. M. Siddique v. Mahant Suresh Das 2019 SCC online 1440
18. Mannucci, Niccolo and William Irvine, Storia do Mogor; or Mogul India, 1653-1703, J.Murray : London (1907)

19. Mortimer wheeler, Archaeology from the Earth, Oxford: Clarendon Press, (1954)
20. P. Ramanatha Aiyar's Advanced Law Lexicon, 5th edition
21. Ram Jankijee Deities v. State of Bihar (1999)5 SCC 50
22. Rashid Akhtar Nadvi, Tuzk-e-Babri, Lahore: Sang e Mil (1995)
23. Ronald Dworkin, Hard Cases, Harvard Law Review, vol. 88,No. 6 (April 1975)
24. Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee, Amritsar v. Somnath Das, (2000) 4 SCC 146
25. Shri Sabhanayagar Temple Chidambaram v. State of Tamil Nadu (2009) 4 CTC 801
26. Sir Seth Hukum Chand v. Maharaj Bahadur Singh, (1933) 38 LW 306 (PC)
27. Surgeon General Edward Balfour, Cyclopaedia of India and Eastern and Southern Asia, Commercial, Industrial and Scientific: Products of The Mineral, Vegetable and Animal Kingdoms Useful Arts & Manufacturers, 3rd Edition, London: Bernard Quaritch, 15 Piccadilly 1885
28. The Archaeological Survey of India, (ASI) Report dated 22 August, 2003
29. The Code of Criminal Procedure, 1898
30. The Constitution of India, 1950
31. The Limitation Act, 1963
32. The Mosque Masjid Shahid Ganj v. Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee Amritsar, AIR 1940 PC 116
33. Uttar Pradesh District Gazetteer Faizabad by Smt. Isha Basant Joshi (Ed. 1960)
34. Vidyapurna Tirtha Swami v. Vidyanidhi Tirtha Swami, ILR (1904) 27 Mad. 435
35. William Erskine, John Leyden, and Annette Susannah Beveridge, the Baber Nama in English (Memoirs of Babar), London: Luzac& Co.(Reprint in 2006 by Low Price Publication, Delhi)
36. William Foster, "Early Travel in India (1583 – 1619)", London (1921)
37. पांडुरंग वामन काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, पंचम भाग, चौथा संस्करण 2010, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ
38. बृहद धर्म उत्तर धार मोटर पुराण
39. महाकवि श्री बाल्मीकि जी कृत रामायण
40. श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्रीरामचरितमानस
41. स्कंद पुराण

सन्तोष खन्ना

मॉब लिचिंग : कारण और निवारण

भारत में मॉब लीचिंग के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए मेरे मस्तिष्क में एक जिज्ञासा जागी कि मॉब लीचिंग जैसे कुकृत्य क्या भारत में ही कारित होते हैं या फिर विश्व के अन्य देशों में भी होते हैं? अंतरजाल पर शोध करते हुए मेरे सामने एक अत्यंत चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह मामला बहुत पहले अर्थात् 1892 का है जिसमें एपरैम ग्रीज्जार्ड नाम के एक अश्वेत अफ्रीकी व्यक्ति को 10,000 की श्वेतों की एक भीड़ ने मार डाला था। यह घृणा-आधारित अपराध था। श्वेतों को शक था कि एपरैम ग्रीज्जार्ड और हैनरी ग्रीज्जार्ड दोनों अफ्रीकी/अमेरिकी भाईयों ने दो श्वेत बहिनों से बलात्कार किया था इसलिए 24 अप्रैल, 1892 को श्वेतों की भारी भीड़ ने तैनेसी के गुडलेविले में उन दोनों बहिनों के घर के समीप उन्हें मार डाला था। इन दोनों भाईयों को पहले गिरफ्तार किया गया था और उन्हें नेशविले की जेल में डाल दिया गया था। बाद में उन्हें साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था। अभी वह जेल में ही थे कि दस हजार श्वेतों की भीड़ ने जेल के गार्ड को बलात् हटा ऐपराम ग्रीज्जार्ड को जेल से बाहर निकाला और घसीटते हुए इग्लैंड स्ट्रीट ब्रिज ले गई वहाँ उसे सरेआम फाँसी लगा दी गई और उसकी मृत देह पर दो सौ से अधिक राउंड फायर किए गए थे।

कहा जाता है कि पीड़ित दोनों बहिनें वैनेसी के गाँव की ब्रूस परिवार की बेटियाँ थी। वह अमेरिकन सिविल युद्ध के स्टेट्स सेना के अधिकारी स्वर्गीय ली ब्रूस की बेटियाँ थी जो अपनी विधवा माँ के साथ गुडले बिल में रहती थीं। हेनरी ग्रीज्जाड को पहले पकड़ा गया जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसने अपने साथ मेक हार्पर के होने की बात बताई। हेनरी ग्रीज्जार्ड को पहले ही एक भीड़ ने फाँसी पर लटका दिया था। बाद में उसके भाई ऐपरेम ग्रीज्जार्ड और हार्पर को जेल में डाला गया।

इस मामले में जाँच का आदेश भी दिया गया था। सिविल अधिकारियों की एक्टाविस्ट इग बी. बैल्स ने मॉब लीचिंग के इस मामले की जाँच की और उसने कहा कि एपरैम ग्रिज्जार्ड ब्रूस बहिनों से मिलने अवश्य गया था परंतु अपराध कारित नहीं हुआ था, बस ग्रीज्जार्ड को अंतर्जातीय संबंध रखने के कारण मौत की सजा दी गई। वैल्स ने यह कहा कि उस समय जब भीड़ ने एपरैम ग्रीज्जार्ड को जेल से निकाला था उस समय जेल में आठ-वर्ष की एक अश्वेत बच्ची से बलात्कार का एक श्वेत अपराधी भी बंद था किंतु भीड़ ने उसे कुछ नहीं

कहा, इसलिए वैल्स ने एपरैम ग्रीज्जार्ड की मॉब लीचिंग के बारे में कहा कि ''यह उस समय दक्षिण के एथेंस की उन्नीसवीं सदी की सभ्यता की रक्त पिपासा का एक शर्मनक उदाहरण था।''

बाद में मई, 1892 में वहाँ अफ्रीकी अमेरिकनों ने ग्रीज्जार्ड की लीचिंग का बदला लेने के लिए तीन श्वेतों की हत्या कर दी थी। विश्व में मॉब लीचिंग के इतिहास को जरा-सा कुरेदने पर हैरानी कर देने वाले तथ्य सामने आए। बताया गया कि विश्व का मॉब लीचिंग का सबसे क्रूरतम इतिहास संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है। ऊपर हम मॉब लिचिंग के जिस मामले पर चर्चा कर आए हैं वह अमेरिका का कोई इकलौता मामला नहीं है बल्कि लिचिंग शब्द ही अमेरिका से ही निसृत हुआ है और सर्वाधिक मामले अमेरिका में ही हुए हैं। जैसा कि बताया गया है कि 'लिचिंग' शब्द ही अमेरिका से ही आया है। वहाँ एक व्यक्ति हुए हैं विलियम लिंच। कहा जाता है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान वर्जीनिया के बेडफर्ड काउंटी का चार्ल्स लिंच अपनी निजी अदालतें लगाने लगा था। अपराधी और विरोधी षड्यंत्रकारियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सजा देने लगा था। धीरे-धीरे लिचिंग के रूप में यह शब्द अमेरिका में फैल गया। इस अत्याचार का सर्वाधिक शिकार अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में बसे अश्वेत अफ्रीकी-अमेरिकी समुदाय के लोग हुए। लेकिन बाद में विसकन, इतालवी और स्वयं अमेरिकी भी इसके शिकार हुए।

मॉब लीचिंग में लोगों की भीड़ के सामने पेड़ों या पुलों से लटका कर पहले अंग-भंग कर उसे जिंदा जला कर घोर अमानवीय तरीके से हत्याएँ की जाती थीं। इस संबंध में यदि हम आँकड़ों की बात करें तो पता चलेगा कि 'नेशनल एसोसिएशन फॉर दी एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल' के अनुसार 1882 से 1968 तक अमेरिका में भीड़ हत्या में अनेक लोगों को मार डाला गया जिसमें 3,446 अश्वेत मारे गए थे। वहीं 1,297 श्वेत लोग भी इस कुकृत्य के शिकार हुए थे। रिकार्ड में है कि फरवरी, 1918 में भी एक भीड़ ने जिम मैकलेहरॉन नाम के एक अफ्रीकी अमेरिकी की सरेआम बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी थी। वहाँ कई मामले मॉब लीचिंग के ऐसे भी हुए हैं जब श्वेत लोगों की भीड़ ने श्वेतों को ही सरेआम मौत के घाट उतार दिया। उदाहरण के लिए 1870 में नार्थ केरोलिना के स्टेट सीनेटर जॉन स्टीफेंस को इसलिए श्वेत लोगों की भीड़ ने मार डाला क्योंकि वे मुक्त कराए गए अश्वेत गुलामों की मदद करते थे। इसी तरह, 1837 में एक अखबार के संपादक एवं प्रकाशक 35-वर्षीय श्वेत एलीजा लवज्वॉय को इसलिए श्वेत भीड़ ने मार डाला क्योंकि वे अश्वेतों को गुलाम बनने की प्रथा का अंत करने के पक्षधर थे।

कुछ निर्दोष श्वेत लोग अश्वेत लोगों की भीड़ द्वारा मार दिए जाते रहे हैं यथा 1975 में भी पिज्को मरियान नाम का एक 54-वर्षीय पोलिश यहूदी मिशिगन दंगों के बीच फँस गया और उसे अश्वेतों ने मार डाला था। अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जैसे खुले विचारों वाले व्यक्तियों के विचारों से प्रेरित होकर अफ्रीकी समाज में बहुत बदलाव आया है किंतु अभी

कोविड काल के दौरान एक अश्वेत को वहाँ पुलिस ने ही मार डाला था जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका के अनेक शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए थे और देश की काफी सपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। इसी प्रकार, अन्य देशों में किसी-न-किसी तरह इस प्रकार के कुकृत्यों से लोग प्रभावित होते रहते हैं।

इतिहास में यह भी दर्ज है कि 1672 में हालैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री जोहान डी. विट्ट (Witt) तक को एक भीड़ ने नृशंतापूर्ण नंगा करके मार डाला था।

अब हम भारत में मॉब लीचिंग की स्थिति पर नजर डालेंगे। भारत के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2001 से लेकर 2014 तक देश में 2290 महिलाओं की डायन होने की अशंका में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इनमें से 464 हत्याएँ बिहार में हुई हैं, उड़ीसा में 415 हत्याएँ, आंध्र प्रदेश में 383 ऐसी हत्याएँ हुईं। हरियाणा में 209 हत्याएँ हुईं। ऐसी हत्याएँ प्रायः अंधविश्वासी और भयभीत ग्रामीणों की भीड़ द्वारा कारित की जाती हैं। इन हत्याओं में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यह हत्याएँ आदिवासी महिलाओं को स्वयं आदिवासी महिला भीड़ द्वारा कारित की जाती हैं या फिर दलितों की दलित भीड़ द्वारा की जाती हैं, इसलिए इन हत्याओं का राजनीतिक रंग न होने के कारण ऐसी मॉब लीचिंग को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इस संबंध में अभी हाल ही में मैंने बिहार की नालंदा जिले की वर्तमान अवर जिला जज श्रीमती प्रतिभा से बात की तो उन्होंने बताया कि अब बिहार में ऐसे मामले नहीं के बराबर रह गए हैं।

भारत में मॉब लीचिंग की छुट-पुट घटनाएँ हमेशा होती रहती हैं तथा कई बार चोरी के संदेह में उन्मादी भीड़ संदेहास्पद व्यक्ति को पीट देती है या पीट-पीट कर उसे मार ही देती है। देश के कई इलाकों में कई बार चोरी, प्रेम प्रसंग या गलत ड्राइविंग के आरोप में पकड़े गए लोगों की उन्मादी भीड़ इसलिए हत्या कर देती है कि हत्यारों को लगता है कि गिरफ्त में आए लोगों को छोड़ देने से उन्हें कानूनी प्रक्रिया से सजा नहीं मिल पाएगी या वह छूट जाएँगे या सालों बाद फैसला आएगा। यह बात लोगों को सही लगती हे कि कानूनी एजेंसियाँ मुस्तैदी से कार्य नहीं करती जिससे अपराधी अधिकांशतः छूट जाते हैं और उन्मादी भीड़ की मानसिकता यह बनती है कि उस व्यक्ति का वहीं तत्काल फैसला कर दिया जाए। परंतु भारत में कानून का शासन है और इस तरह संदेहास्पद व्यक्तियों की पिटाई या उसकी हत्या किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, न न्याय की दृष्टि से और न ही नैतिकता और मानवीय मूल्यों की दृष्टि से। अभी तक उन्मादी भीड़ के दोषियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की भिन्न-भिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाती रही है।

भारत में मॉब लीचिंग की एक और प्रवृत्ति देखी गई है। यह अधिकांशतया भिन्न-भिन्न संस्कृति समूहों में 'तनाव' और 'विवाद' के कारण केस कारित किए जाते हैं। 29 सितंबर, 2006 को महराष्ट्र के मंडरा जिले के खेरलांजी गाँव में दलित वर्ग के एक परिवार के चार सदस्यों की पिटाई कर उनमें से उस परिवार की दो महिलाओं को नंगा कर उन्हें घुमाया गया

और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। यह कुकृत्य एक दलित वर्ग की उन्मादी भीड़ ने ही कारित किया था। अभी कुछ वर्ष पहले 18 मई, 2017 में झारखंड में सात व्यक्तियों को बच्चा चोर होने के संदेह में उन्मादी भीड़ ने मार डाला था। इनमें से चार व्यक्ति मुसलमान थे और तीन हिंदू थे। वैसे भारत में मॉब लीचिंग को लेकर तब से इस अपराध की तरह अधिक ध्यान दिया जाने लगा जब वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी के गाँव बिसाड़ा में डेनिश अश्वलाक नाम के एक व्यक्ति को बीफ खाने की अफवाह पर भीड़ द्वारा इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात्, ऐसे कई मामलों में अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है, इनमें दलितों के साथ हुए अत्याचार भी शामिल हैं। किंतु गोरक्षा के नाम पर हुए मामलों ने इस मामले की भयावहता और तात्कालिकता को बहुत बढ़ा दिया है। गोरक्षा के नाम पर अधिकांश मामलों में मुस्लिम वर्ग के लोगों को निशाना बनाया गया है लेकिन हिंदू लोग भी मॉब लीचिंग का निशाना बने हैं।

वर्ष 2018 में तहसीन पूनावाना मामले में उच्चतम न्यायालय ने मॉब लीचिंग को 'भीड़ तंत्र के एक भयावह कृत्य' की संज्ञा दी थी और साथ ही उसने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मॉब लीचिंग की समस्या के समाधान के लिए कानून बनाने के लिए कहा था और साथ ही दिशा-निर्देश भी जारी किए थे किंतु केंद्रीय स्तर पर इस बारे में अभी कोई कानून नहीं बनाया गया है। हाँ, राजस्थान सरकार ने राजस्थान लिचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 अवश्य पास कर राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। अब तक हुए मॉब लीचिंग के लगभग 200 मामलों में से 86 प्रतिशत मामले राजस्थान में ही हुए हैं। राजस्थान में पहलूखान का मामला 1 अप्रैल, 2017 का है। अलवर में भीड़ ने उसे इतना पीटा कि दो दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार, 20 जुलाई, 2018 को गौरक्षकों ने रकबर खान को पीटा और उसकी मृत्यु हो गई। इसी घटना का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से कार्यवाही करने संबंधी रिपोर्ट माँगी। राजस्थान में गोरक्षा मुद्दे पर ही मॉब लिचिंग की घटनाएँ नहीं हुईं बल्कि हरीश जाटव नाम के एक व्यक्ति द्वारा बाईक से एक बुजुर्ग की मृत्यु कारित करने के कारण गुस्साई भीड़ ने उसे पीट-पीट कर घायल कर दिया जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार 2 सितंबर, 2019 को जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में एक बच्चे को चोर समझ कर उसकी जम कर पिटाई की गई और उसे अमानवीय यातनाएँ दी गईं।

राजस्थान ने अपने यहाँ बढ़ती मॉब लीचिंग की घटनाओं के कारण राजस्थान लिचिंग से संरक्षण संबंधी विधेयक, 2019 पारित किया। ज्ञातव्य है कि मॉब लीचिंग के संबंध में पश्चिम बंगाल और मणिपुर भी ऐसा ही कानून बना चुका है। पश्चिम बंगाल ने अगस्त, 2019 में द वेस्ट बंगाल (प्रिवेंशन ऑफ लिचिंग) विधेयक, 2019 सर्व-सम्मति से पारित किया जिसकी उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें दोषियों को मृत्यु दंड देने का प्रधान किया गया है।

पश्चिम बंगाल विधान सभा में लिचिंग विरोधी कानून पर बहस के दौरान मुख्य मंत्री ममता बैनर्जी ने कहा, ''लिचिंग एक सामाजिक बुराई है और हम सभी का उसके खिलाफ एकजुट हो कर संघर्ष करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने लिचिंग के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों को कानून बनाने के लिए कहा है।''

पश्चिम बंगाल में लिचिंग विरोधी विधेयक तो पारित हो गया परंतु वहाँ लिचिंग की घटनाएँ नहीं रुक रहीं। समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता के साथ ही ऐसी घटनाओं का धार्मिक पहलू भी है। ज्यादातर मामलों में पीटने और पिटने वाले अलग-अलग कौम के होते हैं।

राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में लिचिंग विरोधी अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था किए जाने के बावजूद देश में मॉब लीचिंग और हिंसा की घटनाएँ रुक नहीं रही हें। इससे पहले उच्चतम न्यायालय मॉब लीचिंग संबंधी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है। जब तक मॉब लीचिंग के विरुद्ध कोई कड़ा कानून नहीं आता, उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश ही देश का कानून माना जाएगा। यह दिशा-निर्देश क्या हैं, यहाँ उनकी भी चर्चा कर लेते हैं --

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मॉब लीचिंग पर अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी राज्यों को इन दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में रिपोर्ट फाइल करनी होगी। दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं --

(1) राज्य सरकारें मॉब हिंसा और लिचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अपने यहाँ प्रत्येक जिले में किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नामित करेंगी।
(2) राज्य सरकारें उन जिलों, संभागों और गाँवों की सूची तैयार करेंगी जहाँ हाल में मॉब हिंसा और लिचिंग की घटनाएँ हुई हैं।
(3) नोडल अधिकारी अपने जिलों अथवा क्षेत्रों में मॉब लीचिंग संबंधी मामलों के समाधान के लिए ऐसे मामलों को वहाँ के पुलिस महानिदेशक के ध्यान में लाएँगे।
(4) प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह मॉब लीचिंग के अपराध के लिए एकत्रित भीड़ को तितर-बितर करें।
(5) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रेडियो, टेलीविजन तथा अन्य मीडिया मंचों के माध्यम से यह बात प्रसारित करें कि लिचिंग और भीड़ हिंसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
(6) सरकारें सोशल मीडिया मंचों से भड़काऊ सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाएगी और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध तत्काल एफ.आई.आर. करेंगी।
(7) राज्य सरकारें पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए योजनाएँ बनाएगी।
(8) राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि पीड़ितों को किसी तरह से भी सताया न जाए।
(9) यदि कोई पुलिस अधिकारी जानबूझ कर आवश्यक कार्यवाही करने में लापरवाही करेगा तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही भी की जाएगी।
(10) इसके अलावा, अपराधियों के विरुद्ध फास्ट ट्रेक न्यायालयों/नामित न्यायालयों में केस

चलाए जाएँ और मामलों को यथासंभव छह महीने में निपटाया जाए।

वैसे मॉब लीचिंग संबंधी मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 300 एवं 302 के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया जा सकता है।

धारा 302 में यह प्रावधान है कि जो भी किसी की हत्या कारित करता है, उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है और उससे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि ऐसे बर्बर अपराधों के लिए कठोर दंड देने की व्यवस्था करने वाले कानून तो हैं। अतः जरूरत इस बात की है कि उन्हें कठोरता से लागू किया जाए।

राजस्थान द्वारा पारित मॉब लीचिंग संबंधी विधेयक में मॉब लीचिंग की परिभाषा भी दी गई है जो इस प्रकार है -- दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह में स्वाभाविक या योजनाबद्ध तरीके से धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार-व्यवहार, लैंगिक अभिविन्यास, राजनीतिक संबद्धता नस्ल के आधार पर मॉब द्वारा हिंसा करना मॉब लीचिंग कहलाता है। इस प्रकार, इस परिभाषा का दायरा काफी व्यापक है जिसमें व्यक्ति के संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों या मानव अधिकारों का उल्लंक्षन होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने जीवन जीने के अधिकार की बहुत विस्तृत व्याख्या की है। भीड़ के द्वारा किसी भी आधार पर हिंसा का कोई औचित्य नहीं है। भारत में विधि का शासन है तो भीड़ अपने हाथ में कानून कैसे ले सकती है?

यद्यपि केंद्र सरकार ने अभी कोई कानून नहीं बनाया है परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अपराधियों को दंड नहीं दिया जा सकता। वैसे भी यह प्रश्न उठता है कि क्या कठोर कानून बन जाने से ही मॉब लीचिंग पर काबू पाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद और भारत में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बावजूद यह लोभहर्षक घटनाएँ क्यों हो रही हैं? भारत में बलात्कार संबंधी कानून में मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई और निर्भया कांड के चार अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जा चुका है और भी अनेक मामलों में अपराधियों को जीवन कारावास या लंबे समय तक के कारावास का दंड दिया जा चुका है परंतु प्रश्न यह है कि क्या समाज में बलात्कार की घटनाएँ कम हुई?

मॉब लीचिंग के अपराधियों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश होते हुए भी क्या मॉब लीचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगा? 16 अप्रैल, 2020 को महाराष्ट्र में पालघर जिले में गड़ी चंचाले गाँव में दो साधुओं और उनके कार चालक की भीड़ द्वारा लिचिंग के लोकहर्षक चित्र आज भी देश की आँखों के सामने होंगे जिसमें पुलिस अधिकारी ने स्वयं ही साधुओं को लिचिंग के लिए भीड़ के हवाले कर दिया था। इस मामले में भीड़ से अधिक तो उस पुलिसकर्मी पर गुस्सा अधिक आता है जिसने साधु को भीड़ के हवाले कर दिया जो उस पुलिसकर्मी का शिशुवत हाथ थामे अपनी जीवन की उससे भीख माँग रहा था। यद्यपि इसमें वे नाबालिग लड़कों और 152 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया

और संलिप्त पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की गई किंतु यह मुकद्दमा अभी तक निचली अदालत में कितना आगे बढ़ा है उसका कुछ अता-पता नहीं है। वैसे पक्षकार में साधुओं की हत्या का मामला अब उच्चतम न्यायालय में पहुँच गया है। पिछली सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट माँगी थी तो महाराष्ट्र सरकार ने फाइल की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और लापरवाही के आरोपी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी बताया है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बर्खास्त किया गया है और 2 को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति दे दी गई है। 252 व्यक्तियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है। उच्चतम न्यायालय में अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर, 2020 को है। कानून अपराधों को रोकने का बहुत बड़ा हथियार है परंतु हमें सोचना यह होगा कि क्या केवल कठोर कानून बना देने से इस बुराई पर रोक लगेगी? हम इस समस्या के समाधान के लिए कठोर कानूनों की गुहार लगा कर क्या केवल हम विंडो ड्रेसिंग ही कर रहे हैं या समस्या की जड़ तक पहुँच कर उस जड़ को समूल नष्ट करने के बारे में सोचेंगे?

भीड़ हिंसा और लिचिंग का एक तो यह कारण है कि देश की न्याय व्यवस्था इतनी जटिल, महँगी और समय-खाऊ है कि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अभियुक्त हाथ में आया है इसको स्वयं ही कड़ा दंड दे दो क्योंकि इसे न्यायालय सजा दे पाएगा या नहीं? यह अनिश्चित है। न्यायालयों में न्याय के संबंध में तरह-तरह के अपनाए गए हथकंडे अपराधी को सजा दिलाने में सफल नहीं हो पाते; सभी ने देखा है कि कैसे निर्भया के अपराधी भी फाँसी की सजा से बचने के लिए क्या-क्या जुगत भिड़ाते रहे जबकि समूचा देश ऐसे नृशंस अपराधियों को शीघ्र-से-शीघ्र फाँसी के फँदों तक लटकता देखना चाहते थे। इसलिए सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए न्याय व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और सभी की पहुँच के अंदर सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा, वर्तमान समाज इतना पतनोन्मुख है कि लगता है उसमें मानवता बची ही नहीं है। मानव मूल्यों का इतना अवमूल्यन हो गया है कि हर कोई जीवन की अंधी दौड़ में भाग रहा है और अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को उत्सुक रहता है। इसका एक कारण तो यह भी है कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था ने हर किसी का सरोकार पैसा बना दिया है। बच्चों के पालन-पोषण में न कहीं अनुशासन है, न संयम तो संस्कार कहाँ से आएँगे। वैसे भी कहते हैं कि 'जैसा खाओ अन्न, वैसा बनेगा मन।' वर्तमान फास्ट फूड की संस्कृति ने देश के बच्चों के खाने के जायके ऐसे बिगाड़ दिए हैं कि उन्हें घर के सादे व्यंजन पसंद नहीं आते। फास्ट फूड में पता नहीं किस प्रकार के मसालों का इस्तेमाल होता है कि जो बच्चों में मोटापा तो लाते ही हैं और उनकी सेहत का सत्यानाश भी करते हैं। साथ ही, उसकी मनोवृत्तियों को उद्दीप्त करते हैं जिससे उनका मन अधिकांशतया पढ़ाई में ध्यान कम, कंप्यूटर पर ऊल-जलूल हिंसा-भरे खेलों पर ज्यादा रहता है और वह परिवार के कहने

में कम अपनी मन-मर्जी के मालिक अधिक बन जाते हैं। ऊपर से भारत की शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी है जो डिग्रियों की बारिश तो करती है परंतु वह युवा पीढ़ी को इनसान नहीं, अधिकांशतया 'बुल्ली' अधिक बनाती है। ऐसी पीढ़ी-लिखी पीढ़ी भी जब तैयार होती हे वह केवल विशेष प्रकार के रोजगार के लिए उपयुक्त होती है। हुनर के अभाव में उन्हें रोजगार नहीं मिल नहीं मिल पाता जिससे उनकी मानसिकता उच्छश्रृंखल, हिंसक और गुंडागर्दी की अधिक बन जाती है। ऐसे में जीवन में उनसे संयम, सदाचार और सभ्य व्यवहार की आशा करना रेत में मछलियाँ पकड़ना जैसा हो जाता है; परिणाम यह हो रहा है कि समाज में हिंसक कार्यकलाप, बलात्कार और अत्याचार जैसे अपराधों में बाढ़-सी आ गई है; ऐसे लोग जब किसी भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो बर्बरता और नृशंसता की किसी भी सीमा तक चले जाते हैं।

देश में वर्तमान में सिनेमा और टेलीविजन सीरियल मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन बने हुए हैं। देखने की बात यह है कि ऐसे मनोरंजन के साधनों को माध्यम से लंबे समय से क्या परोसी जा रहा है? अधिकांश फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता का आधिक्य रहता है किशोर और युवा वर्ग जब ऐसे कार्यक्रम देखता है तो आपको क्या लगता है वह कीचड़ में कमल के समान निर्लिप्त रहेगा? उनके जीवन का यही समय तो प्रभाव ग्रहण का समय होता है। मेरे विचार से आज जो समाज में हिंसा का बोलबाला है या कानूनों के कड़ा होने के बावजूद यौन शोषण के अपराधों में वृद्धि हो रही है उसका स्रोत हमारी फिल्में हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर षड्यंत्र के तहत अथवा अन्यथा समाज को हर प्रकार से तहस-नहस करने पर उतारू हैं। यदि किसी फिल्म में 50 प्रतिशत हिंसा और उसे ग्लैमरस बनने का प्रयास रहता है तो उसकी देखा-देखी दूसरी फिल्मों में हिंसा 70 प्रतिशत या 80 प्रतिशत दिखाई जाएगी और लगभग हर फिल्म में अश्लीलता से लैस एक 'आइटम सांग' तो रहता ही है। आज का युवा वर्ग चारों तरफ फैली हिंसा और खुलेआम पर्दे पर यौन संबंधों का प्रदर्शन देखकर उनसे साधु-संत बने रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जब कोई अपराधों में लिप्त हो अथवा अन्यथा हिंसा आदि में लिप्त होता है तो समाज में छाती पीटना आरंभ हो जाता है और कड़े कानून बनाने की आवाज उठने लगती हैं; परंतु बुराई या समस्याओं का स्रोत क्या है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कई बार आश्चर्य होता है कि कानून होने के बावजूद भारत के सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन की अनुभूति कैसे देता है? फिल्मों में हिंसा प्रदर्शन और महिलाओं के अश्लील चित्रण तुरंत बंद होने चाहिए। महिलाओं के अश्लील निरूपण पर अंकुश लगाने के लिए 1987 में एक कानून बना था और उसे लागू करने के लिए नियम भी बना कर उन्हें लागू किया गया था किंतु फिल्मों और कई बार टेलीविजन आदि पर आने वाले विज्ञापनों को देख कर अहसास होता है कि भारत के कानून खूबसूरत बुकशेल्फो में दफन होने के लिए बनाए जाते हैं।

ऊपर मैंने शिक्षा व्यवस्था के संबंध में उल्लेख किया है। हमारी शिक्षा प्रणाली और दूसरी व्यवस्था ने भारत को दो भागों में बाँट दिया है -- इंडिया और भारत। इंडिया में अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा सेवा, अच्छे रोजगार और जीवन को ऐश्वर्यगत रूप से जीवन की विपुल सुविधा साधन उपलब्ध हैं और भारत में गरीबी, अव्यवस्था, अपराध और अत्याचारी जीवन-शैली है। इंडिया के काईयाँ तत्व भारत के बेबस और निरीह लोगों के सामने चंद सिक्के फेंक कर उनकी भीड़ इकट्ठी करते हैं, विरोध प्रदर्शन, जलूस, रैलियों के लिए ऐसी भीड़ का इस्तेमाल करते हें, ऐसी भीड़ पालघर के साधुओं की हत्या कर देती है। ऐसे ही तत्त्वों को बरगला कर उनसे कभी जाति के नाम पर दंगे कराए जाते हैं। मास्टर माइंड अपने वातानुकूलित कक्षों में हमेशा आराम फरमाते हैं और मोहरों को या तो लिचिंग का शिकार होना पड़ता है या फिर लिचिंग के अपराध में जेलों की हवा खानी पड़ती है। ऐसा लगता है हमारा समाज भीतर से गल-सड़ चुका है, जहाँ मानवीय मूल्यों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, वहाँ संयम और अनुशासन जैसे शब्द अर्थहीन हो चुके हैं।

मॉब लीचिंग भीतर तक सड़-गल चुके समाज का एक विभत्स एवं भद्दा आईना है। ऊपर से आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा, आईना ही बदलना होगा। कानून अपराध पर अंकुश तभी लगता है जब समाज का स्वरूप स्वच्छ, स्वस्थ्य और सुंदर हो और कहीं कोई अपवाद स्वरूप अपराधी तत्त्व कानून को हाथ में लेने का प्रयास करता है तो कानून आगे बढ़ कर उसे दंड दे कर उसे सुधार सकता है। अपराधी समाज अपराधियों को दंड देगा भी तो उससे कहीं कुछ बदलाव नहीं होगा। समाज सुधार के लिए हमें आरंभ-से-आरंभ करना होगा। ❑

सुजाता प्रसाद

महिला सुरक्षा और सामाजिक जागरुकता

सचमुच यह बहुत बड़ी विडंबना है कि शिक्षित होकर अपने जीवन में नई नई ऊँचाइयों को पा रही नारी आज भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। दिनों दिन विकसित होते भारत में जहाँ महिलाएँ अपने आप को साबित कर चुकी हैं, वहीं 'महिला सुरक्षा' एक बड़ी समस्या बन चुका है। नारी सुरक्षा के क़ानून और कायदे होते हुए भी उस पर अत्याचार होते रहते हैं। ऐसे हालात में सवाल यह उठता है फिर कायदा होने का क्या फायदा और क़ानून होने पर भी ऐसी स्थिति क्यों?

बेशक, भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े क़ानून की लिस्ट भी मौजूद है हमारे पास - चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इंडियन पीनल कोड 1860, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, क्रिस्चियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल कमीशन फॉर वुमन एक्ट 1990, सेक्सुअल हर्रास्मेंट ऑफ वुमन एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 आदि। इसके अलावा 7 मई, 2015 को लोक सभा ने और 22 दिसंबर, 2015 को राज्य सभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया है। इसके अंतर्गत, यदि कोई 16 से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी कठोर सजा देने का प्रावधान है।

परंतु, अगर विचार करें तो पिछले कुछ वर्षों में महिला सुरक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। गौर करें तो ऐसा होने का कारण समाज में लगातार अपराधों में हो रही बढ़ोतरी है, समाज में हो रहा नैतिकता का पतन है, कुंठित मानसिकता का बोलबाला है। भारत में महिलाओं के प्रति अपराध की सूची देखी जाए तो यह बहुत लंबी है। जिसमें भ्रूण हत्या, यौन हिंसा, यौन शोषण, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, मानसिक उत्पीड़न, तेजाब फेंकने जैसी निर्ममता, वैश्यावृति जैसे पेशे में जबरन संलिप्त करना, अपहरण, ऑनर किलिंग, महिलाओं का कार्यक्षेत्र में बाह्य शोषण, सामाजिक प्रताड़ना और कई अन्य अत्याचार शामिल है। बालिकाएँ, युवतियाँ, महिलाएँ इन सब वजहों को लेकर असुरक्षित महसूस करती रहती हैं। वैश्विक पटल पर भी महिलाओं की कमोबेश स्थिति ऐसी ही है। कहना ग़लत नहीं होगा कि ये तमाम घटनाएँ समाज के माथे पर कलंक का टीका बन कर अवलंबित हो रही हैं और ज्वलंत समस्याओं के रूप में अपने पाँव जमा कर हमारे सामने उपस्थित हैं।

आँकड़ों के अनुसार मध्यकालीन युग से लेकर 21वीं सदी के इस दौर तक सृष्टि का सृजन करने वाली महिलाओं की प्रतिष्ठा में लगातार ह्रास होता देखा जा रहा है। हालाँकि पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर प्रतिशतता में ऐसा होना नगण्य पाया गया है। लेकिन यही पारिवारिकता और सामाजिकता का भाव जहाँ खत्म हो जाता है वहीं से अधिकांश अपनी इस ज़िम्मेदारी से छुटकारा पा लेना चाहते हैं, और अराजक स्थिति का बोलबाला हो जाता है। हमारी संस्कृति में नारी की बड़ी महत्ता रही है। ऐसे में इस संस्कृति में अगर महिला असुरक्षित महसूस करती है और महिला सुरक्षा पर सवाल उठते हैं तो यह चिंतनीय है। आज के आधुनिक समाज में जब नारी अपने आप को पुरुष के समकक्ष स्थापित कर चुकी हैं, जहाँ हमारा समाज तेज़ी से उन्नत हो रहा है वहीं इस दौर में नारी का सुरक्षित रह पाना मुश्किल बन गया है। बेटियाँ आज घर से बाहर निकलने से डर रही है। जीवन के हर क्षेत्र में अपने परचम लहरा चुकी नारी आज किसी भी क्षेत्र में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर देश की प्रत्येक महिला माँग रही है। चाहे निर्भया हो या प्रियंका रेड्डी या इन्हीं के जैसी असंख्य बेटियाँ जिनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, जिसे सोच कर ही रूह कांप उठता हो, ऐसे कुकृत्य बार बार दोहराए ना जाएँ, इसके लिए गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और सख्ती से विशेष नियमावली बनाने की भी। सिर्फ कैंडल मार्च किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। हाँ, सामूहिक रूप से अपने इरादों को दृढ़ करके समाधान निकालना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है।

यह बात सच है कि महिलाएँ परंपराओं को सहेजने में अग्रणी भूमिका निभाती हैं लेकिन परंपराओं की संरक्षिका होने के कारण महिलाओं का ही भविष्य अंधकारमय होने लग जाए तो उन परंपराओं को सामाजिक स्तर पर परिवर्तित करने के लिए क़दम आगे बढ़ना चाहिए, समाज को जागरुक होना चाहिए। संसार में विकास के लिए महिलाओं का मुख्य धारा से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में नारी की स्थिति जितनी सम्मानजनक, महत्त्वपूर्ण, सुदृढ़ और सक्रिय होगी उतना ही समाज मजबूत, उन्नत व समृद्ध होगा। मेरे विचार से मुख्य धारा में जुड़ने का मतलब सिर्फ आर्थिक संपन्नता ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसके लिए पूरी तैयारी भी होनी चाहिए। जैसे आत्मसुरक्षा के गुर में निपुण होना, अपने इर्द-गिर्द सुरक्षा कवच का निर्माण करना, सतर्कता का साथ होना, बुद्धिशील और प्रज्ञावान होना। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि से बचने के लिए हम जो एहतियात बरतते हैं, बिजली के नकारात्मक प्रभाव से जैसे ख़ुद का बचाव करते हैं आदि आदि। क्योंकि बचाव की इसी सतर्कता के कारण ही तो हम आग और बिजली के गुण से वंचित नहीं रह पाते हैं। अपने विवेक को जागृत रखकर हम बुराइयों और गलतियों के दलदल में कभी नहीं फंसते हैं। चाहे हम जिस भी समाज के हिस्से हों, जिस भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम आते हों, हमें अपने क़दम बढ़ाने के साथ-साथ सचेत रहने के ये कुछ उपयुक्त आदत भी अपना लेना चाहिए। महिलाओं से आह्वान है कि अगर

ख़ुद को ताकतवर बनाना है, इस देश को ताकतवर बनाना है तो आपलोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, बेटियों को न सिर्फ पढ़ाइए बल्कि सुशिक्षित कीजिए। आज की नौजवान पीढ़ी से यही अपेक्षा है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक मजबूत नारी बनें। सबल तो हम हैं ही,बस आपको ख़ुद को यकीन दिलाने की ज़रूरत है, एक विश्वास जगाने की ज़रूरत है। मेरी तरफ से स्त्री शक्ति को समर्पित कविता 'सिर्फ विलोम' की कुछ पंक्तियों के माध्यम से एक जागृति संदेश है। आप भी इसका अवलोकन कीजिए --

सिर्फ विलोम

अपनी पहचान से
अस्तित्व की धार से
स्व की आज़ादी से
हाथ मिलाकर ही,
स्त्री तुम,
हाँ तुम बन सकती हो
शक्ति का पर्याय
हो सकती हो सशक्त,
अपराजिता तुम शक्तिस्वरूपा।
वरना तो सिर्फ
विलोम ही बचता है
इतने ताकतवर वजूद का
सिर्फ विलोम!

अब जब स्थिति की गंभीरता ये बयान कर रही है कि कड़े क़ानूनों के बनाने के बावजूद भी महिला अपराध में कमी होने के बजाय उसमें दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ग्राफ देखने को मिल रहा है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा गिरती जा रही है। महिलाएँ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए विकत होते माहौल को बदलने की ज़िम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं अपितु हर आम नागरिक की है ताकि हर महिला गर्व से अपने जीवन को जी सके और हमारा समाज सही मायने में उन्नति कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सतर्क है, और उसके लिए कड़े नियम और क़ानून भी बनाए गए हैं। परंतु जब तक कोई सकारात्मक सामाजिक क्रांति नहीं होगी, और बालिकाएँ, युवतियाँ, महिलाएँ अपनी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेने में अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखाएँगी तब तक किसी परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। क़ानून बनते रहेंगे और उनका उल्लंघन ऐसे ही होता रहेगा। ज़रूरत है महिलाओं को जागरुक होने की। वे अपनी सुरक्षा ख़ुद ही कर सकें हमें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। नारी को भी अपनी सुरक्षा को लेकर ख़ुद ही तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे समाज में बदलाव तो आया पर इस परिवर्तन की सम्यक् तैयारी नहीं की गई। न पारिवारिक स्तर पर न ही सामाजिक स्तर पर। बस हम बदल गए, और आधुनिकता की चकाचौंध में खो गए। परिवर्तन को स्वीकारने के साथ-साथ हमें भी परिवर्तित होना पड़ता है। हमें इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा न कि हमारी आंतरिक बनावट क्या है और हमारी बाह्य बुनावट क्या है? उसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अपनी सीमा के अंदर और बाहर का फर्क तो नज़र आना चाहिए। अब इस सुझाव पर कई आक्षेप लगेंगे यह कहते हुए कि यह पिछड़ेपन की निशानी है, दकियानूसी सोच है। लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बरमूडा ट्राएंगल और उसकी सीमा से हम खौफ क्यों खाते। सरल और सीधे शब्दों में कहें तो सचेत और सतर्क रहना हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। शुरुआत समाज की छोटी इकाई परिवार से करते हैं, जहाँ हर माता-पिता के द्वारा अपनी संतान को दी जाने वाली परवरिश वैज्ञानिक और स्तरीय होना चाहिए। न सिर्फ बेटी को सीख मिलना चाहिए बल्कि बेटों को भी सीखाना चाहिए। तब हमें बिना क़ानून को हाथ में लिए क़ानून का साथ मिल सकता है। हम मानें या न मानें लेकिन यह सच है कि ग्रास रूट लेवल पर पनपी स्तरहीनता बहुत सारी विकट स्थितियों की जन्मदात्री होती है।

किसी पर दोष थोपना अत्यंत सरल होता है। ऐसा हम तब बोलते हैं, ऐसा हम सब करते हैं जब हममें कुछ कमियाँ होती हैं या किसी चीज की जानकारी अधूरी होती है। इसलिए सरकार और इसके सिस्टम को कोसने से पहले हमें अपने आप में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, जो सामाजिक जागरुकता के बगैर संभव नहीं है।

अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएँ तो हम पाते हैं कि आज हमारे बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा उग्र स्वभाव के हो गए हैं और बहुत असहिष्णु भी। साझा संस्कृति को संजोने वाले हमारे समाज में पहले बच्चे संयुक्त परिवार में रहते थे, एक-दूसरे से नोंक-झोंक हो जाने पर भी तुरंत सुलह कर लिया करते थे; पर आज सहनशीलता जैसे आचरण से हमारे अधिकांश बच्चे कोसों दूर हैं। पहले टीचर की डाँट से उन्हें कुछ बुरा नहीं लगता था। आजकल तो माता पिता डाँटते हैं या टोकते हैं तो भी उन्हें बुरा लगता है। बच्चों को हमें यह समझाना चाहिए कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी चिंता करते हैं, आपके शुभचिंतक होते हैं। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको संभालने वाले होते हैं। इनकी बात मानेंगे तो आप गलतियाँ करने से बच जाएँगे और अच्छाई-बुराई में फर्क करना भी समझ पाएँगे। हमें बच्चों का मन समृद्ध करने की ज़रूरत है, समय-समय पर नैतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा देने की ज़रूरत है। उन्हें परिवार और समाज के प्रति संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है। देश को एक अच्छे और संपूर्ण नागरिक सौंपने की ज़रूरत है और इतना तो हम सब जानते हैं कि समस्याएँ हैं तो समाधान भी है।

❑

साक्षी वर्मा

महिला सुरक्षा एवं जागरुकता

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया।। ''अर्थात् जिस कुल में नारियों की पूजा अथवा सत्कार होता है, उस कुल में दिव्यगुण दिव्य भोग और उत्तम संतान होती है। वही जिस कुल में नारियों की पूजा नहीं होती, वहाँ उनकी सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं।''

यह एक कटु सत्य है कि किसी भी समाज की कल्पना महिलाओं के बिना नहीं की जा सकती अर्थात् महिलाओं के बिना मनुष्य जीवन अपरिहार्य सा प्रतीत होता है। एक महिला अपने संपूर्ण जीवन में सामाजिक स्तर पर कई महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं, चाहे वो ममता से भरी एक माँ हो, या बेटी, बहू या सास तो कभी धर्मपत्नी के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी से निभाती है। वहीं दूसरी ओर, किसी उच्च पद पर आसीन होकर एक शिक्षक तो कभी एक चिकित्सक के रूप में जनकल्याण कार्यों में सहायक सिद्ध होती है। ब्रिघम यंग के द्वारा एक प्रसिद्ध कहावत हैं, कि ''अगर आप एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करते हैं। वहीं यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप आने वाली एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।'' एक महिला शिक्षा हासिल करती है तो वह अपने साथ-साथ पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है। ऐसी सशक्त स्त्री एक ओर जहाँ देश के विकास के लिए कई कीर्तिमान स्थापित करती है, तो वहीं दूसरी ओर देश का नाम रोशन करती है। किसी भी देश के सामाजिक विकास का अनुमान, उस देश की महिलाओं की स्थिति से लगाया जा सकता है अर्थात् किसी समाज की वास्तविक स्थिती का अंदाजा, उस समाज में मौजूद महिलाओं की सुरक्षा से आँका जा सकता है। यदि कोई समाज इस प्रक्रिया में असफल साबित होता है तो वह समाज परिपूर्णता से कोसों दूर प्रतीत होता है। अतः ऐसे समाज को सभ्य समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

आज की नारी किसी भी रूप में पुरुष से पीछे नहीं है, अब चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या शिक्षा का, चिकित्सा का, कला का या अन्य कोई क्षेत्र हो। इसके साथ-साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी बढ़-चढ़कर आगे आती हैं। लेकिन वर्तमान युग में अपनी विशेष सहभागिता के बावजूद भी, यह महिलाएँ आज समाज में सुरक्षित नहीं हैं। वर्तमान युग में महिलाओं की यह असुरक्षा ही हमारी नाकामी को दर्शाती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई नियम क़ानून भी बनाएँ जाते हैं। जिनमें से कुछ इस प्रकार है :

1. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एवं रोकथाम, निषेध, और निवारण अधिनियम, 2013
2. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005
4. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
5. सड़कों पर उत्पीड़न, आई.पी.सी. की धारा 294 और 509
6. दहेज प्रतिषेध अधिनियम आदि।

उपरोक्त अधिनियमों के अतिरिक्त कई अन्य अधिनियम, इसी दिशा की ओर कार्य करते हैं। वहीं सरकार के द्वारा निर्मित कई ऐसी मोबाइल एप्स हैं, जिनको विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किंतु फिर भी समाज में महिलाएँ स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। यह असुरक्षा का भाव एक ओर जहाँ शासनतंत्र की कमज़ोर शासनप्रणाली की ओर इंगित करता है, वहीं दूसरी ओर समाज की महिलाओं के प्रति अस्थायी जागरुक स्वभाव को भी दर्शाता है।

समाज में अक्सर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ एवं संगोष्ठी कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई लंबे-चौड़े व्याख्यान भी दिए जाते हैं। क्या इन व्याख्यानों का वास्तविकता से सच में कोई नाता होता है? यह कार्यक्रम केवल महिलाओं की समाज में उपलब्धि को तो सुनिश्चित कर सकते हैं किंतु समाज में उनके प्रति जागरुकता का कार्य करने में, उतने प्रबल सिद्ध नहीं होते हैं। समाज में महिलाओं के प्रति जागरुकता का यह प्रबल प्रभाव केवल तभी सिद्ध होगा जब प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेगा। इस प्रकिया में प्रत्येक व्यक्ति को अपने से जुड़े लोगों से कुछ इस प्रकार संवाद स्थापित करना होगा कि उन्हें इस बात का बोध हो सके कि समाज में पुरुषों एवं महिलाओं का दर्जा समान हैं और नारी एक शक्ति एवं जननी हैं जो कि स्वयं योग्य है, न कि उपभोग की वस्तु। इस संवाद की शुरुआत हमें सर्वप्रथम अपने घर से करनी होगी।

आज हम भूमंडलीयकरण के दौर में हैं, जहाँ हर तरफ केवल विकास के प्रतिमान दिखाई देते हैं। विकास को हम लिंग भेद के आधार पर नहीं आँक सकते, क्योंकि यह भागीदारी का परिणाम है। विकास के इस युग में महिलाओं के प्रति अपनी सोच का विकास करने, अर्थात् सोच को विकसित करने का समय आ गया है जिसके पश्चात् हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएँगे। जहाँ हर महिला स्वंय को सुरक्षित तथा पुरुषों के समान स्वयं को सशक्त एवं प्रबल महसूस करेंगी। सारांश में यहाँ यह कहना उचित होगा कि ''अब समाज को करना होगा जागृत, ताकि महिलाएँ हो सके सुरक्षित।''

❑

अनुराधा सिंह

नारी सशक्तिकरण एवं भारत का संविधान

भारतीय संविधान में सामाजिक समानता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान मानव समाज में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। फिर भी महिलाओं की अनदेखी होती है। उन्हें कभी-कभी तो क्रूर हिंसा और अपराध का सामना करना पड़ता है, सरकार की तमाम नीतियों के बावजूद भी महिलाओं के अंदर असुरक्षा की भावना रहती है प्राचीन समय से ही नारी पर अनेक अत्याचार किए जाते थे और वह शोषण तथा यातना का शिकार होती रही है परंतु 20वीं सदी में नारी का गौरव पुनः लौटने लगा और नारी को पर्याप्त सम्मान एवं सरंक्षण मिलने लगा और नारी पुरुषों के साथ क़दम-से-कदम मिलाकर चलने लगी, यहाँ तक की सत्ता में भी नारी की भागीदारी सुनिश्चित होने लगी महिला सशक्तिकरण का मुद्दा संसार के लगभग सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। सन् 1975 में 8 मार्च को अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरूआत हुई वियना के मानवाधिकारों के विश्व सम्मेलन में 1993 में महिलाओं के अधिकारों को भी स्वीकृति मिलना नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण क़दम है संवैधानिक उपबंधों में नारियों को बराबरी का हक दिलाया है तथा अधिनियमों ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया है, ऐसे में महिलाओं के दायित्वों की रूपरेखा भी नए परिवेश के साथ बदल रही है और बदलाव स्वतंत्रता के पश्चात् ही प्रारंभ हो गया था महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने निर्वाह कर घरों में कैद महिलाओं को अपने आंदोलनों जो असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी में स्त्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। महिला सशक्तिकरण को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक है, महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि पक्षों को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण की कठिनाईयों का समाधान ढूँढ़ा जाए। नारी सशक्तिकरण के लिए इनकी दशा में सुधार लाना अति आवश्यक हो पूरे समाज की महिलाओं के प्रति जागरुक होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण में भारतीय संविधान ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके कारण अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की पुरुषों के सामान अवसर मिले हैं। महिलाओं के शिक्षा का स्तर सुधारने में संविधान की अहम् भूमिका रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्तर बढ़ाया है बेटियों को भी बेटों के समान बराबर का दर्जा शिक्षा में दिया जाने लगा है किसी ने सच कहा है कि --

''जब हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो हम एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे होते है परंतु जब एक कन्या/महिला को शिक्षित करते हैं तो हम पूरे परिवार को या पूरे राष्ट्र या मानवता को शिक्षित कर रहे होते है।'' सरकार द्वारा 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया तथा महिला सशक्तिकरण की नीति भी लागू की गई थी। वर्ष 2001 से वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हुई है अधिकतर महिलाओं ने घर के साथ-साथ बाहर भी अपना मोर्चा संभाल रखा है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में उनको सशक्त करने में संविधान का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया का भी उनकी स्थिति सुधारने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके सुरक्षा के लिए न्यायालय द्वारा कई सख्त क़ानून संविधान के प्रावधानों के अंर्तगत बनाए गए है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में महिलाओं जो कुटुम्ब के द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा की पीड़ित है के लिए संविधान के तहत गारंटीकत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक मायनों के लिए उपबंधित करने के लिए संविधान महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार, **दनम्मा सुमन सुरपुर और एक अन्य बनाम अमर और एक अन्य (2018) 3 एस.सी.सी.343** के मामले में पुत्री को जन्म से ही सहदायिकी की सदस्य होगी और वह संयुक्त संपत्ति में एक सहदायिक के रूप में अंश प्राप्त करेगी एवं सहदायिक सदस्य के रूप में पुत्री संयुक्त संपत्ति के विभाजन का दावा भी कर सकेगी। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से महिलाओं के सशक्तिकरण में एक नया अध्याय जुड़ा है, जो उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। इसी प्रकार, **अजय कुमार बनाम शरूती और अन्य (2019) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 726** के मामले में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंर्तगत उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ किसी मृतक की अपने भाई के साथ संयुक्त व्यापार की संपत्ति या निवास व्यापार की संपत्ति है वहाँ उस मृतक की विधवा का भरण-पोषण इस प्रकार की संपत्ति से किया जाएगा यह क़दम महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि में आर्थिक प्रदान करता है।

संविधान का महिला सशक्तिकरण करने में योगदान रहा है परंतु उसकी परिभाषा नहीं दी गई है नारी को पुरुषों की भाँति अर्थात् पुरुषों की बराबरी का अधिकार प्रदान किया जाना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है उसी के फलस्वरूप महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं देखा जाता है।

नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए संविधान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को अनुच्छेद 243 (घ) में 1/3 स्थन सुरक्षित कर दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं अनुच्छेद 15 में धर्म मूलवंश जाति लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते पुरुष के समान कार्य करने पर समान वेतन दिए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता

है। **उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ए.आई.आर 1992 एस. सी. 1965** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं को पुरुष के समान ही वेतन व पदोन्नति के अवसर दिए जाने के विषय में दिशा निर्देश दिए गए हैं।

महिलाओं के लिए विशिष्ट उपबंध में संविधान के अनुच्छेद 15(3) में राज्यों को स्त्रियों एवं बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारत नहीं करेगी। इसके अनुसार, राज्य सरकार स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है क्योंकि महिलाओं की शारीरिक बनावट तथा अनेक अन्य परिस्थितियाँ उन्हें दुखद स्थिति में कर देती है। उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण करना जनहित का उद्देश्य है। भारतीय संविधान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण में निम्न तथ्यों में महिलाओं के लिए योगदान किए जाने पर बल दिया गया है।

1. महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर सुधार करना।
2. महिलाओं में जागरुकता का विकास करना।
3. अवसर की समानता प्रदान करना।
4. महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर बल दिया जाना।
5. महिलाओं की शारीरिक स्थिति में सुधार करना।
6. यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जटिल क़ानून बनाना।
7. महिला के शोषण के विरुद्ध क़ानून।
8. विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण।
9. पुरुषों के बराबर समानता प्रदान करना।
10. महिलाओं की स्वास्थ स्थिति को सुधारना।
11. कम उम्र में विवाह के विरुद्ध क़ानून।
12. दहेज के विरुद्ध क़ानून।
13. घरेलू हिंसा के कार्यों के विरुद्ध संरक्षण।
14. संपत्ति के अधिकार में बराबरी का दर्जा देने का क़ानून।
15. सार्वजनिक उपक्रम में महिलाओं का आरक्षण दिया जाना।

हम जानते हैं कि महिलाएँ अपने कार्यक्षेत्र में बढ़ चढ़कर आगे आई हैं, विभिन्न सेवाओं में उनका योगदान होने लगा है, इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है और उनके साथ ही उनके यौन उत्पीड़न की घटनाएँ बढ़ने लगी हैं। जिसे रोकना न्यायालय ने अपना दायित्व समझा और **विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3011** में उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

भारतीय संविधान में अनैतिक व्यापार से सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 महिलाओं के शोषण के विरुद्ध उपचार प्रदान करता है, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बेगार को प्रतिबंध करता है। मानव दुर्व्यापार में स्त्रियों का अनैतिक व्यापार तथा स्त्रियों का पशुओं के समान

क्रय विक्रय भी आता है। महिलाओं का अनैतिक व्यापार मानव दुर्व्यापार ही है, भारतीय संस्कृति में महिलाओं का अनैतिक व्यापार सामंत परिवार के लोगों द्वारा किया जाता रहा है जिसमें अबोध बालिकाओं को देवदासी बनाया जाता था इसको रोकने के लिए संसद द्वारा स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पारित किया गया।

भारतीय संविधान द्वारा रैंगिग की सुरक्षा : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राप्त एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार को रैगिंग की सुरक्षा हेतु माना गया है शैक्षणिक संस्थाओं महिलाओं की रैगिंग की पीड़ा दूर करने में न्यायालय ने पहल की और समय-समय पर प्राचार्यों एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों को रैगिंग रोकने के दिशा-निर्देश दिए।

भारतीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण : महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संविधान का 23 वा संशोधन अपना ही महत्त्व रखता है। सन् 1992 में संविधान संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों को आरक्षित किया गया जिसे **कृष्णा कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य (1987) 1 एस.सी.सी. 378** द्वारा चुनौती दी गई थी लेकिन न्यायालय ने उसे अस्वीकार कर दिया 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिका में भी महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया।

भारतीय संविधान के मूल कर्त्तव्य द्वारा महिला सशक्तिकरण : संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51(क) में मूल कर्त्तव्यों को उल्लेखित किया गया है इसमें स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 51 क(ड़) में उल्लेखित है कि ''भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होना कि वह भारत के सभी लोगों में समरक्षता और समान भ्रातत्व की गणना का निर्माण कर जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के प्रतिकूल हों।''

हमारे देश में स्त्रियाँ अनेक कुरीतियों का शिकार थी जिसे रोकने के लिए कई अधिनियम बनाए गए जिसमें प्रमुख तौर पर राजस्थान सती (निवारण) अधिनियम 1987 है। इसी प्रकार, अन्य कुरीतियों को रोकने के लिए संविधान द्वारा विभिन्न अधिनियम महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने हेतु समय-समय पर बनाए गए जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज की माँग को दंडनीय अपराध घोषित कर, दहेज मृत्यु को गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304(बी) में आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार, घरेलू हिंसा के संरक्षक के लिए 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005' पारित किया गया। इसके अलावा बालिकाओं का बाल-विवाह से निजात दिलाने में क़ानूनी संरक्षक प्रदान किया गया जिसमें 'बाल विवाह (निषेध)' अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया। महिला सशक्तिकरण के रास्ते में निम्न बाधाएँ आती रही हैं।

1. महिला शारीरिक श्रम : संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार महिलाएँ शारीरिक शक्ति में पुरुषों की भांति सशक्त नहीं होती है वे उतना शारीरिक एवं कठोर श्रम करने में

समक्ष नहीं है, जितना की पुरुष कर सकते हैं, जोखिम के कार्य में महिलाओं को नहीं रखा जाता है, विधि द्वारा भी इनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं जिसमें कारखाना अधिनियम 1948 में महिलाओं के विशेष उपबंध है, खान अधिनियम 1952 में भी महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में भी महिलाओं को पुरुष में अलग उपबंध किए गए हैं।

2. भारत में ग्रामीण परवेश की महिलाएँ : भारत की अधिकांश महिलाएँ अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण और कई प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं। स्वतंत्रता के 73वें वर्ष में भी महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार नहीं हुआ है। 70 प्रतिशत महिलाएँ एनीमिया से ग्रस्त हैं। 25 प्रतिशत बच्चों की माताएँ कुपोषण के कारण प्रसव अवधि के पूर्व ही बच्चे को जन्म दे देती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य आजीवन ही बीमारियों से ग्रस्त रहता है महिलाओं में शिक्षा की कमी उनके स्वास्थ्य एवं बालक की स्थिति का मुख्य कारण है।

3. कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में : कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिलाओं हेतु उच्चतम न्यायालय ने **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1997 एस. सी. 3011** में विभिन्न दिशा-निर्देश दिए जिसमें अश्लील टिप्पणी एवं संकेत करना यौन संपर्क का प्रस्ताव करना था अनुरोध करना, कामोत्तोजक चित्रों का प्रस्ताव करना या अनुरोध करना यौन उत्पीड़न माना गया। परंतु विडंबना यह है, कि महिलाओं को दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाओं का सामना कर यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। वह कभी अपनी नौकरी के जाने के डर से या समाज की प्रतिष्ठा के वजह से इनका शिकार होती रहती है।

4. सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक शक्तियों के द्वारा लिंग आधारित छेड़छाड़ : भारतीय समाज में लैंगिक असमानता प्राचीन समय से ही महिलाओं को शक्तिशाली पुरुष समाज द्वारा पीड़ित एवं प्रताड़ित किया जाता रहा है। पुरुषों द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न, छेड़छाड़ एवं बलात्कार मानव समाज की प्राचीन समस्याएँ हैं। प्रारंभ से ही पुरुषों ने स्त्री को भोग की वस्तु समझा है हालाँकि विधि में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला करने के अनेक क़ानून बना दिए गए जिसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 से धारा 354(घ) तक उल्लेखित किया गया है, तथा कठोरतम कारावास का प्रावधान इसमें किया गया है, परंतु इसके बावजूद भी छेड़छाड़ तथा लैंगिक उत्पीड़न की घटनाएँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जिससे विधि को दायित्व पर उगलियाँ उठती है।

5. कन्या भ्रूण हत्या : सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण पितृ-सत्तात्मक व्यवस्था जहाँ समाज में लड़की या बेटी को वंश परंपरा की घटक नहीं माना जाता है, लड़की यानी पराया धन श्रम भागीदारी एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता भी कमी, वैज्ञानिक तकनीकी का दुरुपयोग आदि माना जाता है। लड़के की तीव्र चाहत में कन्या भ्रूण होने पर बार-बार गर्भपात से महिलाओं की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में लड़कियों की संख्या कम होने से अन्य राज्यों से लड़कियों को खरीदा जाता है और एक ही परिवार में से दो सगे भाइयों से उनका विवाह कर दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 से 316 तक इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा 1994 में पूर्व भ्रूण परीक्षण तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग का निवारण अधिनियम 1994 सन् 2003 में संशोधन द्वारा इसे गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिरोध) अधिनियम 1994 कर दिया गया फिर भी लोगों के द्वारा गर्भधारण और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक का दुरुपयोग कर लिंग चयन कर गर्भपात की घटनाएँ की जाती हैं।

उपरोक्त सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने के पश्चात यह तथ्य प्रकट होते हैं कि महिलाओं की क्षमताओं और उनकी कुशलता को बढ़ाने के लिए उन्हें जागरुक बनाने के प्रयास करने की अभी लंबे समय तक आवश्यकता है, अधिकांश ग्रामीण वर्ग की महिलाएँ संभावनाओं एवं क्षमताओं से युक्त घर होने के बावजूद सशक्तिकरण एवं संवैधानिक अधिकारों की चेतना से वंचित है। सशक्तिकरण का पहला आयाम महिलाओं में आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान जागृत करना है। शहरों में शिक्षा समान सुधार आंदोलनों एवं प्रचार-प्रसार माध्यमों के प्रभाव से महिलाओं के अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। जिससे उन्हें कुछ हद तक समानता एवं स्वायत्ता का अधिकार प्राप्त हुआ है। परंतु ग्रामीण समाज में महिलाओं परिवार एवं समाज में शोषण का शिकार है। सामाजिक असमानता और कुरीतियों के प्रभाव से महिलाएँ सामाजिक आर्थिक एवं मानसिक दृष्टि से दबाव में रहती है। विडंबना यह है कि काम धंधों में सतत् सक्रिय रहने पर भी आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः पराश्रित है, इसके लिए इस वर्तमान दृष्टिकोण से परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण का अंर्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव तो हुआ महिलाएँ अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं। परंतु आज भी महिलाओं की दशा को पुरुषों के बराबर पहुँचना काफ़ी बड़ी चुनौती है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संविधान के अंर्तगत सरकार द्वारा अनेक नीतियों बनाई गई, परंतु अशिक्षा के कारण वह ऐसी योजनाओं से वंचित रहती हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सर्वप्रथम लोक सभा तथा राज्य सभा चाहे वह कोई भी राजनैतिक क्षेत्र हो महिलाओं को पुरुषों के बराबर आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि उनकी राजनैतिक सक्रियता बढ़ सके। सरकार द्वारा सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं में विभिन्न योजनाओं में महिलाओं के लिए कार्यालय महिला प्रकोष्ठ का गठन एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। महिला बैंक की स्थापना भी इस दिशा में सराहनीय क़दम रहा है। सामाजिक मानसिकता में बदलाव करना आवश्यक है, हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान दिया जाना आवश्यक है, वर्तमान में सबरीमाला मंदिर विवाद महिलाओं के साथ किए गए भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण है। राजनीति में सक्रिय होने पर महिलाएँ स्वयं के सशक्तिकरण के प्रयास में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी। इसके साथ ही कॉरपोरेट घरानों की महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए महिला बाल विकास योजनाओं में पर्याप्त सहायता प्रदान कर उन्हे सशक्त करना का प्रयास करना चाहिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु अधिनियम, रैंगिग के विरुद्ध अधिनियम, बाल-विवाह अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इत्यादि में सरकारी क़दमो को इस दिशा में ठोस उपाय करने चाहिए। किंतु इसके अतिरिक्त अभी भी

अनेक कार्य जो महिलाओं के उत्थान हेतु किए जाने चाहिए ताकि कार्यालयों, घरों तथा कार्य के अन्य स्थलों पर प्रायः यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोका जा सके। यद्यपि उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कई बार दिशा निर्देश जारी करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा इस विषय पर क़ानून बनाया गया है फिर भी लैंगिक संवेदनशीलता को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए तथा स्त्रियों को स्वयं अपने मानव अधिकारों संवैधानिक अधिकारों तथा क़ानूनी अधिकारों के प्रति जागरुक होना आवश्यक है हमारे देश में महिलाओं की अस्मिता को लेकर समाज और व्यवस्था में अनेक विसंगतियाँ है उसी कारण से महिला अस्मिता का मुद्दा बेहद जटिल होता रहा है। इस प्रकार की स्थिति से अचानक सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि समाज और परंपरा से लेकर क़ानून और व्यवस्था तक एक विसंगति बनी हुई जिसे तोड़ना संभव नहीं है यदि इनमें बदलाव होते हैं तो महिलाओं की स्थिति में भी अधिक बदलाव देखने को मिलेंगे। हालाँकि संविधान में संशोधन कर महिलाओं को नए अधिकार प्रदान किए हैं लेकिन इन अधिकारों को क्रियान्वयन में तत्परता नहीं दिखाई देती है।

❑

संदर्भ

1. विधिक समसामयिक निबंध एवं अनुवाद, विजय विक्रम सिंह
2. भारत का संविधान, जे.एन. पांडेय
3. भारत में सामाजिक समस्याएँ, तेजस्कर पांडेय
4. भारत का संविधान, डॉ. डी.डी. वासु
5. परीक्षा मंथन, अनिल अग्रवाल
6. समूहिक हिंसा एवं दंडिक न्याय पद्धति, फरहत खान
7. विशेषाअधिकार प्राप्त वर्ग विचलन, फरहत खान
8. न्यायिक प्रक्रिया, डॉ. वसंती लाल बॉबेल
9. किशोर उपचारिकता, फरहत खान
10. भारत का संविधान और संविधानिक विधि, सुभाष कश्यप
11. जजमेंट एंड लॉ टुडे फरवरी मार्च, 2018, मदन लाल वर्मा
12. जजमेंट एंड का टुडे, जून 2019, मदन लाल वर्मा
13. Indian Constitutional law, M.P. Jain

अधिवक्ता निशा तंवर से साक्षात्कार

प्रो. ज्योति पांचाल मिस्त्री

श्रीमती निशा तंवर पिछले डेढ़ दशक से उच्च न्यायालय, इंदौर में अधिवक्ता के रूप में सक्रिय हैं। वह महाधिवक्ता पैनल और विधि सहायता समिति की सदस्य हैं। उनके साथ बातचीत के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं।

प्रश्न : आप काफी वर्षों से उच्च न्यायालय से जुड़ी हो यहाँ का परिदृश्य कैसा है? क्या यह जनहितकारी है?

उत्तर : मैं यहाँ पिछले तेरह वर्षों से अधिवक्ता व महाधिवक्ता की पैनल के सदस्य के रूप में कार्य कर रही हूँ। यहाँ का वातावरण महिलाओं के लिए सकारात्मक व जनहितकारी है। महिलाएँ यहाँ अधिवक्ता के रूप में सक्रिय भी हैं तथा सफल भी एवं समानता के साथ कार्यरत् हैं।

प्रश्न : इंदौर उच्च न्यायालय में कार्य किस भाषा में किया जाता है? हिंदी भाषी राज्य होने कारण क्या हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है?

उत्तर : उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं वे भी अंग्रेजी के संबंध में ही है। पर अधिवक्ताओं को यह सहूलीयत है कि वे अपनी पीटीशन हिंदी में लगा सकते हैं। इसी के साथ हम अधिवक्ताओं में उच्च न्यायालय में एक पीटीशन लगाई गई है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णय हिंदी में हों जिससे आमजन को पढ़ने व समझने में सहूलियत हो जिस पर निर्णय होना है।

प्रश्न : महिला होने के नाते एक अधिवक्ता के रूप में ऐसी कौन-सी चुनौतीयाँ हैं जिनका सामना आपको उच्च न्यायालय में करना पड़ा हो?

उत्तर : यहाँ, मैं कहना चाहूँगी कि वकालत का पेशा ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। मुश्किलें तो हैं, संघर्ष भी है। पर ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता; लगन व मेहनत के साथ हम खुद अपने लिए अपना आधार बना लेते हैं क्योंकि महिलाओं के संबंध में हर कार्यक्षेत्र में संघर्ष तो है; पर जब महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य करती है सफल जरूर होती है। महिला होने के नाते, हिचक या कोई शर्म लेकर वकालत शुरू नहीं की जा सकती। आत्म-विश्वास एवं ज्ञान इसके सहारे हर चुनौती हार जाती है और यही सफलता की कुँजी है।

प्रश्न : महिलाओं के संबंध में यौन शोषण एक ऐसी समस्या है जो कार्यक्षेत्र में देखने

को मिलती है। क्या महिला अधिवक्ता या महिला न्यायधीश के संबंध में उच्च न्यायालय में इस तरह का कोई मामला सामने आया है?

उत्तर : इंदौर उच्च न्यायालय के संबंध में मेरे कार्यकाल के दौरान इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। महिलाओं के संबंध में यौन शोषण के संबंध में जो अधिनियम आया है उसके तहत इंदौर उच्च न्यायालय में भी एक समिति का गठन किया गया है और समयानुसार मीटिंग होती है जिसमें आज तक ऐसी कोई समस्या का आवेदन नहीं आया है और इसके अलावा, उच्च न्यायालय में महिला अधिवक्ताओं द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है जो इस प्रकार की समस्या पर ध्यान देता है। वे पारदर्शिता के साथ कार्य करते हैं।

प्रश्न : आप कई वर्षों से विधिक सहायता से जुड़ी हुई हैं, उच्च न्यायालय का विधिक सहायता केंद्र कितना उपयोगी साबित हो रहा है?

उत्तर : विधिक सहायता आमजन के लिए बनाया गया है। इंदौर उच्चतम न्यायालय में काफी सक्रियता के साथ काम किया जा रहा है जिससे गरीब लोगों को त्वरित न्याय दिया जाता है, इसमें भी ज्यादातर महिलाएँ लाभ ले रही हैं व समिति द्वारा ज्यादा-से-ज्यादा सहयोग का प्रयास किया जाता है।

प्रश्न : आप कई वर्षों से सरकारी महाधिवक्ता की पैनल के सदस्य के रूप में कार्यरत् हैं, क्या महिला होने के नाते किसी तरह का भेदभाव आपके सामने आया है?

उत्तर : भेदभाव तो नहीं पर थोड़ी-बहुत राजनीति शामिल हो जाती है पर महिला होने के नाते किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय में सब के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है।

प्रश्न : आज के समय में युवतियों को अधिवक्ता के रूप में कैरियर का चुनाव करना बहुत आकर्षित करता है, यानी महिला अधिवक्ताओं को आप सफलता के लिए क्या सलाह देंगी?

उत्तर : भावी महिला अधिवक्ताओं को मैं ये ही कहना चाहूँगी कि सफलता के लिए उसे क्षेत्र का ज्ञान होना आवश्यक है जहाँ आप काम करना चाहती हैं। विधि क्षेत्र में विधि का ज्ञान Case Laws का नियमित रूप से अध्ययन व ईमानदारी से अपने काम पर एकाग्रचित होकर कार्य करना बहुत आवश्यक है। विधि के क्षेत्र में शुरुआती दौर आर्थिक रूप से संघर्ष से भरा होता है ऐसे में आवश्यक है कि संयम के साथ अपने काम को सीखें, ज्यादा-से-ज्यादा अवलोकन करें ताकि आप विधि की तकनीकी बारीकियों को सीखें। निश्चित ही सफलता आपके साथ होगी। जितना समय लाइब्रेरी को दिया जाएगा उतनी ही जल्दी सफलता आपके साथ होगी। ❑

डॉ. गीता शर्मा

मीडिया, महिला और कानून

भारत सरकार ने G.S.R.822(E) के तहत 25 सितंबर, 1987 को महिलाओं के अशिष्ट प्रस्तुतीकरण को समाप्त करने और उनके सम्मान की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाए जिसे 'इनडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमन (प्रॉहिबिशन) रूल्स, 1987' के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार किसी किताब, पैंफ्लेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, पेंटिंग, फोटोग्राफी या किसी अन्य माध्यम से स्त्री-शरीर संरचना के प्रस्तुतीकरण में अशिष्टता पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था उक्त नियमों के तहत दोषी मानी जाएगी तथा उस पर जुर्माना तथा जेल की सजा हो सकती है।

इस कानून के द्वारा स्त्री के आत्म-सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आधुनिक भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति दो विपरीत ध्रुवों पर है। एक ओर वह सफलता की नित नवीन सीढ़ियाँ चढ़ती, केवल घर-परिवार में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं तो दूसरी ओर समाज में स्त्री का स्थान निम्न से निम्नतर होता जा रहा है। वह मात्र उपभोग की वस्तु बनती जा रही है। यह स्त्री-समाज पुरुषों के हाथ की कठपुतली बन गया है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कभी उसे मध्यकालीन संस्कारों से युक्त पति को परमेश्वर मानने वाली घरेलू महिला बनाना चाहता है तो कभी पश्चिमी रंग में रंगी अत्याधुनिक सोसाइटी गर्ल की तरह पेश करना चाहता है।

अब धीरे-धीरे समाज में जागृति आ रही है, स्त्रियों को अपनी प्रतिभा और अपने व्यक्तित्व पर भरोसा होता जा रहा है। इसलिए अब वह उन क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी है जो कल तक उसके लिए निषिद्ध थे। पर समाज में वर्चस्व तो आज भी पुरुष का ही है अतः नए क्षेत्रों के साथ ही महिलाओं के शोषण के नए आयाम भी खुलने लगे हैं क्योंकि अब अधिकांशतः स्त्री शिक्षित और स्वावलंबी हो गई है, स्वतंत्रता का स्वाद चखने लगी है। अतः उसमें और अधिक स्वतंत्र और 'आधुनिक' होने की लालसा बलवती होने लगी है। पुरुषवादी समाज उसकी इस लालसा को और भड़का कर उसे और अधिक 'बोल्ड एंड ब्यूटीफुल' बना कर अधिकाधिक अपने अंग प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर अपनी कुत्सित भावनाओं को संतुष्ट करने लगा है। विशेष रूप से विज्ञापन, सिनेमा जैसे क्षेत्रों में ऐसा बहुतायत से होने लगा है। इसीलिए ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस होने लगी जो महिलाओं को इस तरह के शोषण

से बचा सके। इसके परिणाम स्वरूप 'इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन (प्रॉहिबिशन) रूल्स 1987' जैसे कानून के प्रावधान की आवश्यकता महसूस हुई।

यदि हम सिनेमा और विज्ञापन में स्त्रियों की भागीदारी की बात करें तो पता चलता है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में स्त्री व्यवसाय की स्वामिनी नहीं बल्कि अधिकांशतः कर्मचारी होती है। यही कारण है कि बहुत बार वह असहमत होते हुए भी अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का विरोध नहीं कर पाती है। दूसरा पक्ष उसकी इस मजबूरी का फायदा उठा कर उसके ही शरीर का उसकी इच्छा के विरुद्ध मनमाना इस्तेमाल करता है। इस लेख में हम विज्ञापन जगत मे स्त्री के विभिन्न रूपों के प्रदर्शन पर विचार करेंगे।

विज्ञापन जगत में स्त्रियों का प्रयोग काफी हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इनमें स्त्री के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। बच्ची से ले कर वृद्धा तक, गृहणी से ले कर डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, घरेलू बाई तक सभी रूपों में स्त्री यहाँ मौजूद है क्योंकि आज भी महिला घर की धुरी होती है। अतः बाजार उसकी भावनाओं को उत्तेजित कर उसे ही बाजार तक पहुँचाना चाहता है। सोने पर सुहागा यह कि यह उपभोक्ता स्त्री अब अधिकांशतः कमाऊ भी है, उसे अपनी इच्छाओं को मारने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। टेलीवीजन और मोबाइल के बढ़ते प्रयोग ने बाजार की नई-से-नई जानकारी घर-घर पहुँचा दी है। विज्ञापन ऐसा माहौल बना देते हैं कि लगता है जैसे हर वस्तु जो दिखाई जा रही है व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है, उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है।

टेलीवीजन का बटन दबाते ही दर्शक, ग्राहक की भूमिका में पहुँच जाता है। उसके सामने बाजार का एक से एक खूबसूरत मंजर झिलमिलाने लगता है। यह मायावी संसार इस तरह से उसके दिल-दिमाग पर छाने लगता है कि उसे उन विज्ञापनी वस्तुओं के अभाव में अपना जीवन बहुत नीरस और बेचारा लगने लगता है। आज तक वह जिन चीजों को गैर जरूरी मानता आया था, बेहद आवश्यक लगने लगती हैं। घर की स्त्री को उन चीजों को अपग्रेट करने की जरूरत महसूस होने लगती है जिनसे वह आज तक काम ले रही थी और संतुष्ट थी।

आधुनिक नारी के निर्माण में कहीं-न-कहीं प्रचार-जगत का भी हाथ है। चंद क्षणों में गोरा हो जाना, हमेशा युवा और तरोताजा दिखना, पुरुष तो दूर स्त्रियों तक की ईर्ष्या का विषय बन जाना, ऐसा चकाचौंध भरा जीवन उसका काम्य हो जाता है।

स्त्री का सर्वाधिक गरिमामय रूप होता है माँ का। वह माँ जिससे समाज केवल त्याग और तपस्या की उम्मीद करता था, अब टूट रहा है और इसमें भी विज्ञापन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अधिकांश विज्ञापनी माँ घर-परिवार पर सर्वस्व न्यौछावर कर मुफलिस देवी बन कर नहीं रहतीं। स्वावलंबन ने उनके अंदर आत्मविश्वास भर दिया है। वे परिवार और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पैनी नजर तो रखती हैं पर स्वयं को भी समय देती हैं। उनके लिए अपना व्यक्तित्व और अपना भविष्य भी महत्त्वपूर्ण होता है। संयुक्त परिवार में

रहने वाली स्त्री की भूमिका और बड़ी है। उसके पास देखभाल करने के लिए बच्चे और बुजुर्ग दोनों होते हैं। वह जितनी कुशलता से किशोर होते बच्चों का मार्ग-दर्शन करती है उतनी ही तत्परता से घर के बुजुर्गों का ध्यान रखती हुई दिखाई पड़ती है।

यह नई स्त्री है। खुद्दार, अपने पैरों पर खड़ी, इंटेलिजेंट। यह घर-परिवार और बच्चों का पूरा ख्याल रखती है पर स्वयं को भी इग्नोर नहीं करती। उसके लिए अपना व्यक्तित्व और अपना कैरियर भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है। इस प्रकार विज्ञापन जगत में स्त्री का करीब-करीब हर रूप दिखाई देता है, बच्ची, किशोरी, युवती, वृद्धा, कामकाजी, गृहणी। इन विज्ञापनों में विशेष रूप से उन महिलाओं की भावनाओं को उभारने का भी प्रयास किया जाता है जो आज तक घर की चारदीवारी में कैद थी। जिनके अंदर बाहर की विस्तृत दुनिया में जाने की असीम छटपटाहट है।

इंटरनेट जैसे-जैसे घर-घर में पहुँचता गया वैसे-वैसे मीडिया के हर रूप और ज्यादा ग्लैमरस होकर विशेष रूप से नव-युवतियों को और अधिक आकर्षित करता गया, यहाँ तक कि वे किसी भी कीमत पर फिल्म, टेलीवीजन और विज्ञापन की दुनियाँ का अंग बनना चाहने लगीं। उनकी इसी अदम्य लालसा का फायदा उठाया जाने लगा और पहले से ही इन क्षेत्रों में मौजूद स्त्रियों के शोषण की प्रवृत्ति बेहद बढ़ती गई। पुरुष-वर्चस्व वाले इस मीडिया क्षेत्र के शरीर-लोलुप-वर्ग के पुरुषों ने न केवल स्वयं स्त्री के शरीर के साथ खिलवाड़ किया बल्कि कई बार उसके शरीर को उपभोग की वस्तु बना कर सिनेमा और विज्ञापन की दुनिया में उसे परोस दिया। यह प्रवृत्ति केवल हिंदुस्तान में हो ऐसा नहीं है, कमोबेश स्त्रियों की यह स्थिति दुनिया भर में है। चुप रहना इन युवतियों की मजबूरी रही क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पुरुषवादी समाज की प्रवृत्ति रही है कि वह स्त्री को ही दोषी मानता है। भविष्य की उन्नति का लालच और सामाजिक बदनामी के डर से अधिकांशतः ये युवतियाँ चुप ही रहती हैं। कभी छिटपुट रूप से किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई भी, तो अक्सर वह आवाज दबा दी गई और उसका भविष्य भी बर्बाद कर दिया गया।

पहली बार अमेरिकी युवती तराना ब्रुक ने 2006 ने सोशल मीडिया पर माई स्पेस में इस शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और 2017 में अलीशा मिलानो ने कार्यक्षेत्रों में शारीरिक शोषण का शिकार हो रही महिलाओं को एक मंच पर आ कर इसके खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। इस प्रकार पूरी दुनिया की महिलाओं को 'हैश टैग मी टू' नामक मंच मिला। इस अभियान के तहत दुनिया के कोने कोने से महिलाओं के शोषण के रौंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव आने लगे। इस लेख में इस अभियान की सफलता या असफलता की बात नहीं की जाएगी। हम केवल उस मंच की बात करेंगे जो 'मी टू' अभियान से महिलाओं को मिला है।

जहाँ तक भारत में हैश टैग मी टू की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चित केस तनुश्री दत्ता द्वारा नाना पाटेकर पर लगाया यौन-शोषण का है। इसके उपरांत अनेक महिलाओं ने इस

अभियान में हिस्सा ले कर आप-बीती सुनाई। इस मूवमेंट का कोई बहुत बड़ा प्रभाव समाज या कानून पर प्रत्यक्षतः तो नहीं दिखता पर एक आशा जरूर जागती है कि संभवतः कई कानूनी खामियाँ जो स्त्रियों को न्याय दिलाने में बाधक हैं उनको कानूनविदों द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी खामी तो यही है कि जिस व्यक्ति पर यह अभियोग लगा, उसके प्रमाणित न हो सकने की स्थिति में अभियोग लगाने वाले पर मान-हानि का आरोप लगाया जा सकता है। इससे बहुत बार प्रताड़ित होने वाली स्त्री को ही फँसा दिया जाता है। हालाँकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हर कानून की तरह इस कानून का भी दुरुपयोग होता है।

यदि महिलाओं के आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए बने इन कानूनों के सामाजिक, मानसिक प्रभाव की बात करें तो वह सकारात्मक ही है। इनसे स्त्री को नैतिक बल तो मिलता ही है। शोषक व्यक्ति के मन में भी इन विधानों का डर रहता है। फिल्म और विज्ञापन की दुनियाँ में खुलापन अधिक है इसलिए वहाँ महिलाओं के शोषण की संभावना अधिक होती है पर यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाली लड़कियाँ अपेक्षाकत बोल्ड होती हैं। यदि इस संदर्भ में होने वाली शिकायतों को देखें तो ज्यादातर इसी क्षेत्र से की गई हैं। यह भी केवल हिंदुस्तान की बात नहीं बल्कि पूरी दुनियाँ में यही स्थिति है। मी टू अभियान के बाद अमेरिका जैसे देश के कानून में अनेक परिवर्तन किए गए।

अभी तक महिलाओं के शोषण का सबसे बड़ा कारण उनका चुप रहना था। समाज के भय से वे पुरुष द्वारा किए जा रहे अपने शोषण को सहती जाती थीं परिणाम स्वरूप शोषक पुरुष की हिम्मत बढ़ जाती थी और वह निडर हो जाता था। दूसरी ओर यदि कोई महिला इन अत्याचारों और अत्याचारी का खुलासा समाज में कर भी देती थी तो समाज उल्टा उसी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाने लगता था। यह प्रवृत्ति आज पूरी तरह खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है पर आज महिलाओं की पीड़ा जब समाज के सामने आती है तब बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जो उसके समर्थन में सरकार तथा कानून तक को जागृत करने का मुहिम चला देते हैं और इसमें अधिकांशतः सफलता मिलती है। उम्मीद जगती है कि शीघ्र ही समाज और विधि दोनों मिल कर समाज को स्त्रियों के लिए और सुरक्षित स्थान बना देंगे। ❑

रेनू

'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका के अंक 61 से 104 तक की सामग्री का वर्गीकरण

1. संपादकीय

1. संपादकीय : गणतंत्र की वर्षगाँठ और आदमी / अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 417
2. संपादकीय : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 और आम आदमी को न्याय / अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 4
3. संपादकीय : नारको टेस्ट पर रोक : उच्चतम न्यायालय का फैसला / अंक 63, अप्रैल-जून 2010, पृ. 113
4. संपादकीय : जन-सेवा का सत्य / अंक 64, जुलाई-सितंबर, पृ. 221
5. संपादकीय : घोटालों का महासागर / अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 333
6. संपादकीय : संसद की संप्रभुता / अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 9
7. संपादकीय : लोकपाल विधेयक और भ्रष्टाचार / अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 181
8. संपादकीय : अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 305
9. संपादकीय : अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 421
10. संपादकीय : शिक्षा का अधिकार और उच्चतम न्यायालय का निर्णय / अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 6
11. संपादकीय : अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 121
12. संपादकीय : अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 241
13. संपादकीय : अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 357
14. संपादकीय : अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 7
15. संपादकीय : तेजाब फेंकने की घटनाएँ और क़ानून / अंक 75 अप्रैल-जून, 2013, पृ. 123
16. संपादकीय : अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 225
17. संपादकीय : अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2013, पृ. 239
18. संपादकीय : अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 7

19. संपादकीय : अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 107
20. संपादकीय : अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 207
21. संपादकीय : अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 307
22. संपादकीय : समाज और क़ानून में नारी / अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 5
23. संपादकीय : सेल्फी विद् डॉटर /अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 105
24. संपादकीय : प्रश्न आरक्षण का / अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 205
25. संपादकीय : अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 313
26. संपादकीय : अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 7
27. संपादकीय : सामाजिक सोच और साहित्य / अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 9
28. संपादकीय : अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 231
29. संपादकीय : 21वीं शती में अधिनायकवाद के प्रति बढ़ता रुझान / अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 5
30. संपादकीय : कश्मीर जो कभी स्वर्ग था / अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 117
31. संपादकीय : चुनाव और चुनाव सुधार / अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 9
32. संपादकीय : अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 7
33. संपादकीय : अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 107
34. संपादकीय : उच्चतम न्यायालय का समलैंगिकता पर ऐतिहासिक निर्णय / अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 207
35. संपादकीय : 1984 के दंगों पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला / अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 307
36. संपादकीय : दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती / अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 5
37. संपादकीय : अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 113
38. संपादकीय : अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. vii
39. संपादकीय : अंक 102, जनवरी-मार्च, 2020, पृ. 7
40. संपादकीय : अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 107

2. संविधान और संसदीय लोकतंत्र

1. लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका / डॉ. भगवान दास, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 7
2. न्याय सक्रियता और शक्ति पृथक्ककरण का सिद्धांत / डॉ. सुरेंद्र गुप्त, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 302
3. समकालीन परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान / सन्तोष खन्ना, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 337
4. सामाजिक-आर्थिक बुराईयों की जड़ शराब और हमारा संविधान / हिमांशु जोशी, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 356
5. भारतीय लोकतंत्र में संसद की भूमिका : एक समीक्षात्मक अध्ययन / डॉ. (श्रीमती) राजेश जैन, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 15
6. संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण / डॉ. निशा दुबे एवं डॉ. मुकेश कुमार मालवीय, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 21
7. भारतीय लोकतंत्र में संसद एवं संसदीय संस्थाएँ / डॉ. मंजू चंद्र, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 27
8. भारत का संविधान, संसद और संसद सदस्य / सन्तोष खन्ना, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 33
9. संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका / डॉ. नीता बोरा शर्मा, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 45
10. संसद में विपक्ष की भूमिका / मुकेश कुमार मालवीय, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 59
11. हमारी संसद की गिरती साख / डॉ. हिमांशु भाटिया, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 70
12. 21वीं संदी में संसद के समक्ष चुनौतियाँ / डॉ. अनुपमा पंडित सक्सेना, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 75
13. संसद की सोशल इंजीनियरिंग : उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ / डॉ. अजमेर सिंह काजल, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 81
14. भारत में संसदीय विशेषाधिकार / डॉ. एस.पी. मीणा, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 103
15. संसदीय विशेषाधिकार एवं प्रेस / वेणुधर रौतिया, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 111
16. भारत में संसद की प्रहरी संसदीय समितियाँ / डॉ. संजूष सिंह भदौरिया एवं डॉ. संतोष कुमार भदौरिया, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 129
17. संसद की भाषाएँ / डॉ. हरीश कुमार सेठी, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 114
18. संसद सदस्यों की निरर्हताएँ और लाभ का पद / सन्तोष खन्ना, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 145
19. संसद और न्यायपालिका में संबंध / डॉ. सुरेंद्र कुमार गुप्ता, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 155
20. संसद व सामाजिक न्याय / संध्या सिंह, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 161
21. संसदीय विशेषाधिकार बनाम सक्रियता : सीमा रेखा की रचनात्मकता / डॉ. शम्भू सिंह राठौड़, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 165

22. संसद में सदस्यों द्वारा दल-बदल एवं विधि / डॉ. चंदन बाला, अंक 66, जनवरी-मार्च, 2011, पृ. 171
23. Parliament of India : An Overview / Dr. Rakesh Singh, Issue 66, January–March, 2011, P. 177
24. Rajya Sabha : To be or Not to be? / Dr. Rama Devi, Issue 66, January–March, 2011, P. 181
25. Power of Parliament to Amend the Consititution : An analysis / Dr. Chandan Bala, Issue 66, January–March, 2011, P. 186
26. Parliamentary Privileges and Freedon of Speech / Surendra Kumar Jakhar, Issue 66, January–March, 2011, P. 193
27. Parliament with Reference to Right to Legal Aid in India / Dr. Preeti Misra and Dr. Alok Chantia, Issue 66, January–March, 2011, P. 199
28. Indian Parliament and Union Budget 2011-12 / Sukanta Sarkar, Issue 66, January–March, 2011, P. 208
29. Parliament's Oversight Capacity/ Bhumika Sharma and Vibhuti Nakta, Issue 66, January–March, 2011, P. 213
30. Parliament and Judiciary / Dr. Mamta Chaturvedi, Issue 66, January–March, 2011, P. 220
31. बदशक्ल होते लोकतंत्र को संशक्त बनाता मीडिया / डॉ. अनुपमा यादव, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ.194
32. Democracy, Rule of Law and Checks on Executive Discretion / Avichit Sinha, Issue 71, April–June 2012, P. 209
33. भारत में उप-राष्ट्रपति पद की प्रायोज्यता : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन / अनुपमा उज्जवल तथा डॉ. आशुतोष पितलिया, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 245
34. भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति, व्यवस्था एवं नवीनता / डॉ. मुकेश कुमार मालवीय, अंक 74 जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 11
35. संसदीय कार्य संचालन / सन्तोष खन्ना, अंक 74 जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 22
36. पंचायती राज में महिला सहभागिता एवं नेतृत्त्व / डॉ. अनुपमा यादव, अंक 75 अप्रैल-जून, 2013, पृ. 160
37. भारत का संविधान : बाल अधिकारों का प्रहरी / नीतू खन्ना, अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 229
38. Constitutional Provisions and Role of States in Women Health Protection / Anand Kumar, Issue 75(1)-76, July-September, 2013, P. 313
39. भारतीय संवैधानिक विकास और चुनौतियाँ / डॉ. उर्मिल वत्स, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 243
40. भारतीय संविधान और बच्चों के मौलिक अधिकार / डॉ. सीमा शर्मा, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 17
41. संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यकों के अधिकार / नेमीचंद, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 35
42. संविधान, कामगार समाज और नई सरकार के समक्ष चुनौतियाँ / प्रो. अजमेर सिंह काजल, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 111
43. 16वीं लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा / डॉ. भगवान दास, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 211
44. Deadlock in Delhi : The Way Out / Dr. Subhash C. Kashyap, Issue 80, July-September, 2014, P. 219
45. भारत के सविधान में नागरिकों के मूल कर्त्तव्य और उनका महत्त्व / ताई चौरसिया एवं डॉ. जयश्री गुप्ता, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ.311
46. Constitutional Reservation in India : As a Healing Touch to Weaker Section of Society/ Sunita, Issue 83, April-June 2015, P. 180
47. भूमि अर्जन का मनुष्य के संवैधानिक अधिकारों पर प्रभाव / विजयश्री एवं डॉ. मो. नजीम, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 267
48. भारतीय संविधान, धर्म निरपेक्षता और राजनीति / डॉ. उर्मिल वत्स, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 331
49. भारतीय संविधान की प्रस्तावना और सामाजिक न्याय / डॉ. श्रीमती राजेश जैन, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 12
50. लोकतांत्रिक मूल्य एवं सतत जन-जागरूकता/ डॉ. श्रीमती इंदिरा जैन, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 46
51. भारत में आरक्षण : संवैधानिक प्रावधान या मूलभूत अधिकार / देवनारायण मीणा, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 51
52. जम्मू कश्मीर की समस्या एवं संयुक्त राष्ट्र संघ / डॉ. भगवान दास अहिरवार, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 237
53. अनुच्छेद 370 : विशेष दर्जे की अलगाववादी मानसिकता / रिंकू गंगवानी, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 271
54. जम्मू कश्मीर : जनमत संग्रह का मुद्दा बेईमानी / डॉ. भगवान दास अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 23
55. भारतीय संविधान : सामाजिक न्याय व चुनौतियाँ / डॉ. उर्मिल वत्स, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 121

56. भारतीय संसदीय अधिनियम एवं महिलाओं का उत्थान / डॉ. भगवान दास, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 126
57. The Constituion and the Children / Devnarayan Meena, Issue 95, April-June 2018, P. 186
58. समान नागरिक संहिता : एक देश, एक क़ानून / डॉ. सुनीता श्रीवास्तव, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 133
59. संस्कृति का भारतीय परिप्रेक्ष्य और भारत का संविधान / सन्तोष खन्ना, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 1
60. भारत का संवैधानिक विकास / रमेश चंद, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 8
61. वेद और भारतीय संविधान / डॉ. प्रवेश सक्सेना, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 13
62. अनुच्छेद 370 के संशोधन का प्रश्न / डॉ. सुभाष कश्यप, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 32
63. भारत का संविधान और लोकतत्र की परिपक्वता का प्रश्न / डॉ. कविता ढुल, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 36
64. मौलिक अधिकार : विकसित होती नव संकल्पनाएँ / डॉ. निरूपमा अशोक, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 41
65. मानव अधिकारो का संवैधानिक आधार / प्रो. (डॉ) शिवदत्त शर्मा, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 45
66. भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ तक सफलीभूत? / डॉ. सुदर्शन वर्मा, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 54
67. समानता का अधिकार : लक्ष्य से कोसों दूर / डॉ. साधना गुप्ता, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 69
68. भारत के संविधान में निजता का अधिकार : संदर्भ जस्टिस के. पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ / प्रो. विभा त्रिपाठी, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 76
69. संविधान में नीति-निदेशक तत्त्वों का औचित्य / सन्तोष खन्ना, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 82
70. भारत में सामाजिक न्याय की आधुनिक स्थिति : संविधान के सात दशक के परिप्रेक्ष्य में एक विश्लेषण / देव नारायण मीणा, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 93
71. भारतीय संविधान के सत्तर साल और जनजातीय भारत / डॉ. आलोक चांटिया, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 102
72. भारत का संविधान : एक मूल्यांकन / डॉ. विदूषी शर्मा, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 110
73. भारत का संविधान श्रमिकों के अधिकार के रू-ब-रू / डॉ. राजेंद्र वर्मा एवं डॉ. भूमिका शर्मा, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 117
74. संवैधानिक प्रावधानों का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर प्रभाव / शैफाली गौतम, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 121
75. अनुच्छेद 370 के बदलते प्रतिमान / सन्तोष खन्ना, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 126
76. स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो / संतोष बंसल, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 143
77. भारत के संविधान के सात दशकों में कार्यान्वयन / अनुराधा, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 149
78. भारत के संविधान में संघ की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रश्न / डॉ. प्रेम लता, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 153
79. अनुच्छेद 300 एवं राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व / सत्यम चंसोरिया, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 153
80. संविधान की कसौटी पर विधि और न्यायधीश / प्रो. देवदत्त शर्मा, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 161
81. संवैधानिक राजभाषाई उपबंध और हमारी मानसिकता : एक नैतिक मूल्यांकन / डॉ. वेदप्रकाश, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 169
82. अनुशासन पर्व है राष्ट्रीय आपातकाल / डॉ. अशोक कुमार अवस्थी, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 177
83. उच्चतम न्यायालय और कॉलेज़ियम पद्धति / डॉ. सन्तोष खन्ना, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 181
84. लोकतंत्र का तीसरा आयाम : पंचायती राज संस्थाएँ / डॉ. उषा देव, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 186
85. मृत्यु दंड का औचित्य : भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में / शुभम चंसोरिया, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 197
86. भारत का संविधान : कुछ महत्त्वपूर्ण पड़ाव / सन्तोष खन्ना, अंक 100-101, जुलाई-दिसंबर 2019, पृ. 207
87. Revisiting Article 370 / Dr. Subhash C. Kashyap, Issue 100 -101, July-December 2019, P. 209
88. Freedom of Press in India : An Overview / Dr. Jaishree Jaiswal, Issue 100-101, July-December 2019, P. 212
89. Constitution of India : New Dimensions Created by Supreme Court / Anjali Dixit, Issue 100-101, July-December 2019, P. 224

90. Constitution of India : Its Menchanism / Shiwangi Pawar, Issue 100-101, July-December 2019, P. 233
91. भारत का संविधान और मौलिक कर्त्तव्य / हर्ष वनसोडे और कर्ण बगोरा, अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 111
92. भारतीय संविधान में आरक्षण और बाबा साहेब अंबेडकर / सन्तोष खन्ना, अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 142
93. Constitutionality of Delegated Legislation in India / Prema Pandey, Issue 103, April-June, 2020, P. 186

3. मानव अधिकार

1. मानव अधिकारों के संबंध में पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका / डॉ. निशा दुबे एवं मुकेश कुमार मालवीय, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 489
2. भारत में मानव अधिकार / डॉ. किशन यादव तथा राम सिंह, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 15
3. The Status of Eunuchs in India / Anju Khanna, Issue 62, January-March, 2010, P. 19
4. मानव अधिकार एवं जेल सुधार / डॉ. मंजू चंद्रा, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 38
5. दलित समाज का विकास किस प्रकार संभव / वेद प्रकाश, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 55
6. Human Rights of Disables : International and National Perspective / Dr. Anupma Pandit, Issue 63, April-June, 2010, P. 131
7. मानव अधिकार व महिलाओं के विरुद्ध हिंसा / नारायण दत्त, अंक 63, अप्रैल-जून, 2010, पृ. 182
8. Role of Judiciary in the Protection of Human Rights / Dr. Kalpana Bhardwaj and Brijandra Singh Panwar, Issue 64, July-September, 2010, P. 247
9. एच.आई.वी. एड्स एवं क़ानूनी अधिकार / डॉ. प्रिंस कुमार गुप्ता, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 280
10. मानव अधिकार : एक अवलोकन / डॉ. उर्मिल वत्स, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 194
11. कर्त्तव्यों के आलोक से ही मानव अधिकार संरक्षण का पथ प्रशस्त / डॉ. अनुपमा यादव, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 272
12. मानव अधिकारों का प्रहरी : संयुक्त राष्ट्र संघ / डॉ. चंदन बाला, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 367
13. Mental Health Care : The Human Rights Perspective / Dr. Anju Khanna, Issue 73, October-December, 2012, P. 407
14. Senior Citizens in Changing Social Senario and the Law / Amar Pal Singh, Issue 73, October-December, 2012, P. 439
15. मानव अधिकारों में बाधक कारण / ताई चौरसिया और अभिजीत सिंह राठौर, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 155
16. गरीबी, खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिकार / डॉ. जर्नादन कुमार तिवारी, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 229
17. नारी और मानव अधिकार : एक समाजशास्त्रीय विवेचन / डॉ. मंजू चौधरी, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 279
18. तकनीकी विकास के साथ मानव अधिकारों का बढ़ता हुआ उल्लघंन : एक विश्लेषण / डॉ. विनोद कुमार बागोरिया अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 355
19. Right of Accused and Human Rights / Raghwesh Pandey, Issue 81, October-December, 2014, P. 371
20. Corruption and Human Rights : How it is Closely Linked / Mona Mahecha Soni, Issue 82, January-March, 2015, P. 23
21. दिल्ली में राज्य मानव अधिकार आयोग क्यों नहीं : भारत के मुख्य न्यायाधीश / अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 316
22. Human Rights in the Era of Globalisation / Prof. Sarat Chandra Panda, Issue 85, October-December, 2015, P. 335
23. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग / सुखदेव रेबारी , अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 89
24. संयुक्त राष्ट्र संघ महिलाएँ और मानव अधिकार : एक अध्ययन / डॉ. निशा केवलिया, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 43
25. महिलाओं में समान अधिकार की दृष्टि एवं मानव अधिकार / डॉ. प्रमोद अवस्थी, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 90
26. हरियाणा मानव अधिकार आयोग : गठन एवं उपलब्धियाँ / सुख देव रेबारी, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 177
27. Lifting the Apartheid : An Insight to Rights of Forest Dwellers / Ms. Chetali Solanki, Issue 95, April-June 2018, P. 192
28. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 / डॉ. सूफिया अहमद, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 219
29. परिवार नियोजन : एक मानव अधिकार / संतोष बंसल, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 128

4. सूचना का अधिकार

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : प्रशासन में पारदर्शिता का एक सफल प्रयास / विनोद कुमार बागोरिया, अंक 63, अप्रैल-जून 2010, पृ. 123
2. सूचना का अधिकार : समस्या और समाधान / नारायण दत्त, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 266
3. सूचना का अधिकार : एक मूल्यांकन / रहिसा तरन्नुम एवं प्रिंस कुमार गुप्ता, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 34
4. सूचना के अधिकार का अर्थ / शैलेश गांधी, अंक 75 अप्रैल-जून, 2013, पृ. 126
5. सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना के प्रकट किए जाने से छूट / डॉ. सुरेंद्र सिंह, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 28
6. Right to Information and Proactive Disclosure/ Dr. Surendra Kumar Jakhar, Issue 79, April – June, 2014. P. 134
7. भारत में सूचना का अधिकार, 2005 की सार्थकता / डॉ. श्रीमती राजेश जैन एवं डॉ. प्रियंका जैन, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 223
8. सूचना को प्राप्त करने का अधिकार : क्या और क्यों / डॉ. मनोज कुमार पांडये, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 243
9. सूचना प्रौद्योगिकी एवं साईबर अपराध / संदीप कुमार डिंडिवाल, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 323
10. भारत में सूचना का अधिकार : लोकतंत्र की ताकत के रूप में/ राजेंद्र, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 266
11. सूचना का अधिकार : सभी तालों की चाबी / प्रेम प्रकाश मेहरा, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 343

5. महिलाएँ और अधिकार

1. महिलाओं के प्रति अपराध : उत्तरदायी कारक (एक विश्लेषण) / डॉ. एस. अखिलेश, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 419
2. Property Rights of Women / Vijay Dixit, Dr. Kalpana Bharadwaj & Brijendra Singh Panwar, issue-61, October-December, 2009, P. 470
3. वैश्यावृत्ति : समस्या नारी शोषण / गिरीश चंद्र पांडे, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 478
4. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी / चंद्र प्रकाश, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 504
5. ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में महिला जनप्रतिनिधियों की सामुदायिक भागीदारी-संदर्भ मध्यप्रदेश का / डॉ. प्रतिभा पांडेय, अंक 63, अप्रैल-जून, 2010, पृ. 117
6. आधी आबादी के आधे आरक्षण का सच / गिरीश चंद्र पांडे, अंक 63, अप्रैल-जून, 2010, पृ. 142
7. Critical Analysis of Laws Relating to Prostitution in India / Shradha Malviya, Issue 63, April – June, 2010, P. 151
8. The Status of Scheduled Caste Women in Pachayati Raj / Sunil Kumar, Issue 63, April – June, 2010, P. 209
9. महिला सशक्तिकरण : प्रयास, कमियाँ और सुझाव / डॉ. सुशीला चौधरी एवं सरोज चौधरी, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 252
10. Rape : A Murder of Soul / Dr. Jaishree Jaiswal & Tarof Mustafa Khan, Issue 64, July-September, 2010, P. 292
11. महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया क़दम : मध्य प्रदेश में नई महिला नीति / डॉ. राजेश जैन, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 365
12. छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दशा तथा पलायन का समीक्षात्मक अध्ययन / डॉ. श्रीमती वृंदा सेन गुप्ता, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 378
13. कन्या भ्रूण हत्या एवं क़ानून / पुष्पेंद्र सोलंकी, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 185
14. Women Empowerment Through Woman Reservation (108th Constitution Amendment Bill) / Dr. Krishan Kumar Kajal, Issue 67, April – June 2011, P. 200
15. Opportunity of Women Employment in Tea and Rubber Plantations / Sukanta Sarkar, Issue 67, April - June 2011, P. 292
16. 21वीं शती में नारी की स्थिति / डॉ. उर्मिला वत्स, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 325
17. घटता महिला लिंगानुपात और समाज की भूमिका / डॉ. अजमेर सिंह काजल, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 355
18. महिलाओं के विरुद्ध अपराध और क़ानून / डॉ. रश्मि त्रिवेदी, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 431
19. Women's Jouney from Panchayat to Parliament : A Rhetoric or a Realisation? / Dr. Rajshree Choudhary, Issue 69, October – December 2011, P. 436
20. पंचायत से संसद तक महिला का सफर : कोरा भाषण या वास्तविकता? / अनु. कष्ण गोपाल अग्रवाल, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 437
21. महिलाओं की स्थिति : तब और अब / सन्तोष खन्ना, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 489

22. विश्व मानव अधिकार और महिलाएँ / कुचटाराम, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 504
23. भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार / डॉ. कल्पना चंसौरिया, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 125
24. ऑनर किलिंग : तथ्य और समाधान / गिरिश चंद्र पांडेय, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 163
25. नरेगा तथा महिला अधिकार / हरीश कुमार, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 178
26. भारत में कन्या भ्रूण हत्या : समस्या और निदान / डॉ. दिनेश सिंह धाकड़, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 186
27. प्राचीन भारत में बालिकाओं की स्थिति / कु. नाईमा कमर, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 202
28. महिला सशक्तिकरण बनाम घरेलू हिंसा तथा महिला अपराध एक अपवाद / डॉ. श्रीमती वृंदा सेन गुप्ता, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 324
29. कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश कैसे लगे? / सन्तोष खन्ना, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 360
30. कन्या भ्रूण हत्या : समस्या एवं विधिक प्रावधान / डॉ. सुरेंद्र सिंह, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 390
31. Domestic Violence : A Social Crime / Raghuvesh Pandey, Issue 73, October-December, 2012, P. 424
32. महिलाओं का यौन उत्पीड़न : आखिर कब तक ? / डॉ. पूनम खन्ना, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 43
33. कन्या भ्रूण हत्या : एक ज्वलंत समस्या / डॉ. हिमांशु भाटिया, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 54
34. नायक जाति में वैश्यावृत्ति : कारण और निवारण / डॉ. सावित्री कैड़ा जंतवाल, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 65
35. साठोत्तरी हिंदी कहानियों में विधवाओं की इज़्जत की सुरक्षा की समस्या / सी. गुरुप्रसाद, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 107
36. नारियों का सशक्तिकरण : बिहारी नारियों का सकारात्मक स्वरूप / राकेश कुमार, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 111
37. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण प्रतिषेध अधिनियम, 2013 : विशाखा निर्देशों से अब तक का सफर / डॉ. पूनम खन्ना, अंक 75 अप्रैल-जून, 2013, पृ. 191
38. महिलाओं के प्रति बढ़ता लैंगिक अपराध : आख़िर कब तक / डॉ. जनार्दन कुमार तिवारी, अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 252

39. महिलाओं के सशक्तिकरण में विधि का योगदान / डॉ. अर्चना रांका, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2013, पृ. 275
40. Foeticide is also an Honour Killing / Dr. B.P. Ojha, Issue 77, October-December, 2013, P. 291
41. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 / डॉ. विनोद कुमार बागोरिया, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 11
42. Polymony for Empowering Women in Live-In-Relationships / Dr. Vageshwari Deshwal, Issue 78, January – March 2014, P. 21
43. जनजातीय महिलाओं के स्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा : पंचायती राज व्यवस्था / ताई चौरसिया, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 64
44. समान नागरिक संहिता में महिलाओं की स्थिति / मुकेश कुमार मालवीय, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 125
45. Gender and Labour in Global Work Places / Bhavna Kataria, Issue 79, April – June, 2014, P. 150
46. Girl Child : Her Right to be Born / Dr. Seema Kashyap and Nikita Sharma, Issue 80, July – Septemeber 2014, P.268
47. महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान व क़ानूनी उपाय / डॉ. कष्ण चंद्र चौधरी, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 326
48. Prostitution: Curse on the Society / Surabhi Dubey, Issue 81, October – December, 2014, P. 333
49. संयुक्त राष्ट्र संघ और महिलाएँ / डॉ. चंदन बाला, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 361
50. गूँगी चीख / सुनील भूटानी, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 22
51. कन्या-भ्रूण हत्या / डॉ. उषा देव, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 29
52. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा एवं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 / पुष्पा जाट, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 52
53. महिलाओं में बढ़ती मानसिक थकावट / डॉ. प्रेमपाल सिंह 'वाल्यान', अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 79
91. युवा नारी के जीवन में संस्कारों का प्रभाव / डॉ. (श्रीमती) राजेश जैन, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 148
92. Forward Woman / Dr. Prem Pal Singh 'Valyan' , Issue 83, April – June 2015, P. 183
93. बलात्कार / डॉ. वासंती रामचंद्रन, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 185

94. औरत होना / डॉ. रमणिका गुप्ता, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 190
95. कन्या भ्रूण हत्या पर महिलाएँ ही लाएँ बदलाव / डॉ. ऋतु बख्शी, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 258
96. नारी की सामाजिक स्थिति : एक अवलोकन / डॉ. जनार्दन कुमार तिवारी, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 287
97. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ; महिला : सशक्तिकरण का आधार / डॉ. कष्ण चंद्र चौधरी, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 327
98. कामकाजी महिलाओं को दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा मिले / डॉ. ऋतु बख्शी, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 378
99. Women Empowerment and Human Rights / Prof. Dr. Raghwesh Pandey, Issue 86, January-March, 2016, P. 41
100. समाज, साहित्य और नारी / डॉ. उषा देव, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 13
101. समकालीन हिंदी साहित्य में महिला सरोकार / डॉ. ममता चौरसिया, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 19
102. 21वीं सदी की कविता में महिला सरोकार / डॉ. साधना गुप्ता, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 24
103. साहित्य का भविष्य और भविष्य का साहित्य : संदर्भ महिला सरोकार / सन्तोष खन्ना, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 29
104. हिंदी और भारतीय साहित्य में महिला सरोकार / गीता, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 42
105. आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में नारी-सशक्तिकरण के विविध आयाम / प्रो. पूरनचंद टंडन, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 47
106. भारतीय समाज में स्त्री और साहित्य / डॉ. शशिकला त्रिपाठी, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 63
107. आलोचना से बेपरवाह महिला कथाकारों की नए रास्ते की तलाश / डॉ. मीनाक्षी जोशी, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 72
108. हिंदी उपन्यासों में महिला सरोकार / प्रो. अजमेर सिंह काजल, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 78
109. स्त्री सरोकार और महादेवी वर्मा / डॉ. मुक्ता, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 85
110. आदिवासी साहिन्य में महिला सरोकार / निर्मला नवल, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 92
111. आधुनिक विज्ञापन और महिलाएँ / सुमन कुमारी, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 96
112. साहित्य और महिला सरोकार : स्त्री उत्पीड़न संदर्भ / डॉ. परवीन कुमारी, अंक 87, अप्रैल-जून, 2016, पृ. 99

113. साहित्य में स्वाधीनता हेतु स्त्री-विमर्श / डॉ. अनिल कुमार, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 109
114. स्त्री सरोंकारों की क्रातिकारी लेखिका : सुष्मिता बंदोपाध्याय / डॉ. गीता शर्मा, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 118
115. समकालीन हिंदी उपन्यास और महिला सरोकार / डॉ. पूनम माटिया, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 123
116. रामचरितमानस और साकेत के कैकेयी और उर्मिला पात्र / डॉ. शकुंतला कालरा, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 137
117. महिला सशक्तीकरण में तमिल रचनाकारों का सरोकार : एक मूल्यांकन / डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 145
118. महादेवी वर्मा की दृष्टि में स्त्री के सरोकार / डॉ. प्रवेश सक्सेना, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 151
119. मुक्ता की कहानियों में महिला सरोकार / डॉ. अभय शेकर द्विवेदी, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 158
120. स्त्री केंद्रित सिनेमा का बदलता स्वरूप : एक आलोचनात्मक अध्ययन / डॉ. नेहा गोस्वामी, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 161
121. पंजाबी नाटकों में महिला सरोकार / शालू कौर (अनुवाद : सुभाष नीरव), अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 175
122. भारतीय तमिल साहित्य में महिला सरोकार / डॉ. अलमेलु कष्णन, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 188
123. मेरा रचना संसार और महिला सरोकार / डॉ. उषा देव, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 203
124. हिंदी साहित्य में महिलाओं का योगदान / आरती शर्मा एवं जुगुल किशोर चौधरी, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 213
125. मीनाक्षी स्वामी के कथा साहित्य में न्यायिक चेतना एवं महिला सरोकार : संदर्भ उपन्यास 'भूभल' / डॉ. सुषमा श्रीवास्तव, अंक 88, जुलाई-सितंबर, 2016, पृ. 217
126. एक ओर सर्जिकल स्ट्राइक (तीन तलाक पर रोक / सन्तोष खन्ना, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 233
127. महिलाओं के हित में है समान सिविल संहिता / डॉ. निरुपमा अशोक, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 246
128. महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा / संतोष बंसल, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 281
129. Maternity Benefits for Women Workers : Consitutional and Legal Rights / Dr. Sonu, Issue 89, October–December, 2016, P. 291

130. हिंदी ब्लॉगिंग और महिला सरोकार / डॉ. शिखा कौशिक, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 297
131. महाराष्ट्र की महिलाओं के सामाजिक सरोकार / उमाकांत खुबालकर, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 310
132. यौन कर्मी महिलाओं के साक्षात्कार / डॉ. विभा नायक, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 313
133. भारत में स्त्रियों की स्थिति : समाज एवं विधि / राजेंद्र, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 31
134. महिला अधिकार एवं क़ानूनी प्रावधान / रिंकू गंगवानी, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 34
135. व्यक्तिक विधियों में भारतीय महिलाओं का संरक्षण : एक समान व्यक्तिक विधि की आवश्यकता / डॉ. विनोद कुमार बागोरिया अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 53
136. भारत में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकार / डॉ. शुभा शर्मा एवं डॉ. नयनी सिंह, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 61
137. भारत में लैंगिक विभेद एवं शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न / डॉ. मुकेश कुमार मालवीय, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 66
138. महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन /मोहिनी कुमारी, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 80
139. यौन कर्मी महिलाओं के साक्षात्कार / डॉ. विभा नायक, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 96
140. Scope of Women Empowerment in Indian Law / Dr. Dinesh Kumar Singh, Issue 91, April – June, 2017, P. 137
141. महिला सशक्तिकरण और अधिकार / प्रो. नीता बोरा शर्मा, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 142
142. स्कर्ट या शोर्ट्स नहीं सोच ज़िम्मेदार है / सुमन, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 152
143. महिलाओं को मिलने वाले अवकाशों में सुधार की आवश्यकता / डॉ. कमला फुलोरिया, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 167
144. महिला सुरक्षा और भारतीय क़ानूनों की प्रासंगिकता / रंजना सुराणा, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 194
145. मानव अधिकारों के युग में गरिमापूर्ण जीवन से वंचित स्त्रियाँ / डॉ. सुदर्शन वर्मा, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 11
146. सरोगसी क़ानून : अनसुलझे प्रश्न / डॉ. निरूपमा अशोक, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 25

147. महिला अधिकार : वैधानिक प्रावधान / डॉ. साधना गुप्ता, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 37
148. Protection of Women Against Domestic Violance / Dr. Bal Krishan Chawla & Ms. Shilpa Kwatra Chawla, Issue 94, Jaunary – March 2018, P. 46
149. नारीवाद : एक वैचारिक दृष्टिकोण / डॉ. उर्मिल वत्स, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 111
150. भारत में महिला सुरक्षा का प्रश्न एवं क़ानून / डॉ. श्रीमती राजेश जैन, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 231
151. Right to Health of Women : A Case Study of Tubal Ligation in India / Dr. Pramod Malik, Issue 96, July – September 2018, P. 281
152. राजनीति में आधी आबादी की भागीदारी / सुजाता प्रसाद, अंक 102, जनवरी-मार्च, 2020, पृ. 60
152. भारत में लैंगिक असमानता : वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 116

4. पारिवारिक क़ानून

1. मुस्लिम विधि के संहिताकरण की आवश्यकता / डॉ. राकेश कुमार सिंह, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 459
2. Devolution of Married Women's Property Under Hindu Law : A Critical Appraisal / Dr. Mrs. Vijay Sharma, Issue 65, October-December, 2010, P. 382
3. Irretrievable Breakdown of Marriage : A Missing Concept / Dr. Mrs. Saroj Bohra, Issue 72, July-September, 2012, P. 303
4. मुस्लिम महिला एवं बहुपत्नीत्व का अभिशाप / डॉ. नईमा क़मर, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 401
5. Changing Trends of Divorce in India / Mrs. Bhawna Arora, Issue 75(1)-76, July-September, 2013, P. 287
6. हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 : महिला सशक्तिकरण की ओर क़दम / डॉ. अनुपमा उज्जवल, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 207
7. दहेज : एक सामाजिक समस्या एवं क़ानून की भूमिका / रेहाना खान कायमखानी, अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 229
8. शारीरिक संबंधों से इनकार विवाह-विच्छेद का आधार / डॉ. राकेश कुमार सिंह, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 261

9. The Loving Spouses Can Curb Honour Killings / Zaki Hussain and Nirmal Kumar, Issue 77, October-December, 2013, P. 327
10. Domestic Violence and its Causes / Dushyant Yadav, Issue 78, January – March 2014, P. 50
11. दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप एव दहेज प्रतिबंध अधिनियम / डॉ. अनुपमा उज्जवल, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 35
12. हिंदू विवाह एवं उपचार / डॉ. डी. के. सिंह, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 17
13. मुस्लिम क़ानून और महिलाएँ / कुमारी शालिनी कौशिक, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 159
14. पारिवारिक क़ानून एवं पारिवारिक मूल्य / डॉ. उषा देव, अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 9
15. भारत के पारिवारिक क़ानून / सन्तोष खन्ना, अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 16
16. मुस्लिम वैयक्तिक विधि में तीन तलाक़ तथा संविधान से प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण : एक अवलोकन / प्रो. (डॉ) सुदर्शन वर्मा एवं नतीश कुमार चतुर्वेदी, अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 25
17. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 एवं न्यायिक पृथक्करण : एक अध्ययन / डॉ. निशा केवलिया शर्मा, अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 33
18. विवाह क़ानून में क्रूरता का अर्थ / सोनल साहू, अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 40
19. तीन तलाक़ और मुस्लिम महिलाएँ 'अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी' / डॉ. रहीसा तरन्नुम, अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 48
20. आईपीसी की धारा 479 और उच्चतम न्यायालय / देवनारायण मीणा, अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 56
21. आईपीसी की धारा 498-ए और उच्चतम न्यायालय : वरदान और अभिशाप / संतोष बंसल, अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 63
22. Implication of Decriminalisation of Adultery in India / Dr. Parmod Malik, Issue 98, January – March 2019, P. 83
23. Domestic Violence Act, 2005 : A Critical Appraisal / Rinku Gangwani, Issue 85, October – December 2015, P. 366
24. Need for a Secular Adoption Law / Smt. Niti Nipuna Saxena, Issue 98, January – March 2019, P. 87
25. यौन स्वतंत्रता, क़ानून और नैतिकता / अरविंद जैन, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 117
26. परिवार शब्द विश्व का लघु संस्करण है / डॉ. प्रवेश सक्सेना, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 133
27. भारत में वैवाहिक समस्याएँ और क़ानून / सुमन कुमारी, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 145

28. उच्चतम न्यायालय का फैसला दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन / सन्तोष खन्ना, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 173
29. Family Counseling Under Family Court Act, 1984 / Justice S.N. Kapoor, Issue 99, April – June 2019, P. 184
30. विवाह पूर्व करार (Prenuptial Agreement) : एक अवलोकन / प्रो. (डॉ.) राकेश कुमार सिंह, अंक 102, जनवरी-मार्च, 2020, पृ. 21
31. Recognition of foreign divorce decree in India and Irretrievable breakdown of marriages : A Socio-Legal Study / Dr. Raj Kumar, Issue 102, January-March 2020, P. 102

5. न्यायपालिका

1. न्यायपालिका में महिला न्यायाधीश / संतोष खन्ना, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 497
2. अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना : दंड न्याय व्यवस्था की प्रमुख चुनौती तथा समाधान / डॉ. जयश्री जायसवाल, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 29
3. नक्सलवाद एवं मानव गरिमा (सर्वांगीण न्याय के संदर्भ में) /डॉ. निशा दुबे एवं मुकेश कुमार मालवीय, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 59
4. जनहित याचिकाएँ और न्याय /सन्तोष खन्ना, अंक 63, अप्रैल-जून, 2010, पृ. 166
5. When Law Strips Naked : Justice (s) Flees / Arvind Jain, Issue 63, April – June, 2010, P.169
6. भारतीय न्याय व्यवस्था : एक सिंहावलोकन / डॉ. के. एस. भाटी, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 223
7. विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं न्याय / डॉ. मुकेश कुमार मालवीय, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 243
8. दलित आरक्षण : यथार्थ वर्गीकरण के प्रश्न और न्यायपालिका / डॉ. अजमेर सिंह काजल, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 153
9. Atrocities on Dalits and Shocking Interpretations / Arvind Jain, Issue 72, July-September, 2012, P. 329
10. न्याय क्या है ? / प्रिंस कुमार गुप्ता एवं रहिसा तरन्नुम, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 282
11. न्यायिक सक्रियता का समाज में योगदान / इंद्रप्रीत कौर सग्गू, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 187
12. Equal Justice and Free Legal Aid / Dr. Ranjan Kumar, Issue 79, April - June, 2014, P. 175

13. न्यायिक जवाबदेही : एक आवश्यकता / अंकुर सिंह, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 185
14. उच्चतम न्यायालय का फैसला : एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं / सन्तोष खन्ना, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 77
15. उच्चतम न्यायालय का निर्णय और आधार कार्ड / डॉ. नीलिमा सिंह, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 260
16. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय और सरकारी प्राईमरी स्कूल / सन्तोष खन्ना, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 283
17. गलत जानकारी से चुनाव रद्द / रेनू, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 254
18. दूध में मिलावट पर उच्चतक न्यायालय का निर्णय / रेनू, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 102
19. प्रश्न न्यायाधीशों की नियुक्ति का / डॉ. श्रीमती जयश्री गुप्ता, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 155
20. Judiciary be Above Board / Santosh Khanna, Issue 94, January – March 2018, P. 32
21. (1) सबरीमाला मंदिर पर उच्चतम न्यायालय का फ़ैसला ; (2) विभाजन त्रासदी का दंश : न्यायमूर्ति सेन का फैसला / सन्तोष खन्ना, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 379
22. भारतीय न्यायपालिका द्वारा पीड़ित प्रतिकर : एक अध्ययन / डॉ. गणेश दुबे एवं सत्यम चंसोरिया, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 151
23. भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और न्यायालय / डॉ. जनार्दन कुमार तिवारी, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 160
24. विपक्ष में नेता का पद / ख्याली राम पांडेय, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 181
25. न्यायपालिका और हिंदी : अवरोध और चुनौतियाँ / प्रो. कष्ण कुमार गोस्वामी, अंक 102, जनवरी-मार्च, 2020, पृ. 43
26. भारतीय न्यायालयों एवं कारावासों पर अतिभार / डॉ. जयश्री नंदेश्वर, अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 123
27. विधि, न्याय और न्याय प्रक्रिया / सत्यम चंसौरिया, अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 156

6. बाल अधिकार

1. बाल श्रम : आज़ाद बचपन और बालक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक कुप्रथा : संवैधानिक और क़ानूनी प्रावधान / डॉ. रोशनी लीला, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 419
2. Status of Child in India : Human Rights Perspective / Dr. Raj Bali Jaisal, Issue 69, October – December 2011, P. 460
3. भारत में मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बच्चों की स्थिति / अनु. सन्तोष खन्ना, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 461

4. बालश्रम, मनोरंजन उद्योग और मानव अधिकार / राजकुमार, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 141
5. Parents Should Support Their Children /Dr. A. K. Sharma, Issue 72, July-September, P. 279
6. बालकों में लैंगिक शोषण एवं नया क़ानून / श्रीमती डॉ. हिमांशु भाटिया तनेजा, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 119
7. बाल उपचार : परिवार एवं पारिवारिक दशाएँ अखिलेश शुक्ल अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 168
8. समस्या बालक : मनोवैज्ञानिक विश्लेषण / डॉ. अमर सिंह वधान, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 287
9. बाल श्रम की रोकथाम हेतु बाल श्रमिक पहचान, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु मानक संचालन प्रक्रिया : राजस्थान का संदर्भ / डॉ. रोशनी लीला, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 71
10. बच्चे, शिक्षा एवं बाल अधिकार / डॉ. सोनिया शर्मा, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 127
11. Child Labour : Violation of Fundamental and Human Rights / Dr. Kaushal Soni, Issue 84, July – September 2015, P. 251
12. स्कूलों में बाल यौन शोषण : एक गंभीर समस्या / डॉ. कालिन्द्री, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 253
13. पारिवारिक मूल्य : बच्चे और आप / डॉ. शकुंतला कालरा, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 351
14. ई-बचपन / चंदा आर्य, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 158
15. भारत में पास्को एक्ट, 2012 एवं बच्चों का यौन शोषण / डॉ. राजेश जैन, अंक 102, जनवरी-मार्च, 2020, पृ. 29

7. विविध क़ानून

1. ई-अपशिष्ट से मुक्ति : वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ /डॉ. हरीश कुमार सेठी, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 447
2. मानव मित्र कुत्ते और क़ानून /डॉ. पुष्पलता तनेजा, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 453
3. Law Relating to Refugees / Shradha Malviya, issue-61, October-December, 2009, P. 482
4. Interim Measure of Protection Under Arbitration and Conciliation Act, 1996 / Vijay Kumar Dungarwal, issue-61, October-December, 2009, P. 507
5. Protection of Computer Software in Copyright Regime : An International Perspective / Vaibhav Priyadarshi, issue-62, January – March, 2010, P. 76

12. ख़तरनाक अपशिष्टों का मायाजाल और क़ानून / सन्तोष खन्ना, अंक 63, अप्रैल-जून, 2010, पृ. 163
13. बुजुर्गों के क़ानूनी हक़ / डॉ. रोशनी लीला, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 260
14. Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 : Implementation and Challenges / Santosh Khanna, Issue 64, July – September, 2010, P. 268
15. प्ली बारगेनिंग और दंड न्याय / जर्नादन कुमार तिवारी, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 274
16. शिक्षा का अधिकार एक सच्चाई / मुकेश कुमार मालवीय, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 343
17. Plea Bargaining : A Remedy to Reduce Backlog in Indian Courts // Dr. Kamal Jeet Singh, Issue 65, October – December, 2010, P. 400
18. जनजातियों की समस्याएँ एवं विकास : एक अध्ययन / डॉ. जितेंद्र कुमार पांडेय, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 425
19. राष्ट्रीय सुरक्षा और क़ानून / डॉ. अखिलेश शुक्ल, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 207
20. सामाजिक परिवर्तन में विधि का योगदान / संध्या सिंह, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 215
21. Victory of Passive Euthanasia in India / S.S. Das, Issue 67, April – June 2011, P. 219
22. Bouncing of Cheque Under Negotiable Instrument Act and Guidelines of Supreme Court / Dr. Siddh Nath, Issue 67, April – June 2011, P. 247
23. Sustainable Development and its Legal Dimensions in India / Dr. Chittaranjan Mohanty, Issue 67, April – June 2011, P. 277
24. क्या जन-लोकपाल से भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकेगा? / डॉ. भगवानदास, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 308
25. निःशक्त व्यक्तियों का संवैधानिक एवं विधिक सशक्तिकरण / डॉ. शीतल प्रसाद मीणा, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 328
26. 15वीं जनगणना में घटता लिंगानुपात और क़ानून / डॉ. गिरिश चंद्र पांडेय, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 349
27. The Law Nomination / R.S. Solanki and Dr. Kala Munet, Issue 68, July – September 2011, P. 394
28. नामांकन एवं क़ानून / आर. एस. सोलंकी एवं डॉ. कला मुणेत, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 395
29. Gram Nyayalaya : A Participatory Forum of Justice / Dr. Raj Kumar, Issue 68, July – September 2011, P. 402

30. ग्राम न्यायालय : न्याय में भागीदारी / डॉ. राजकुमार, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 403
31. विधिक सहायता : मूल अधिकार / जर्नादन कुमार तिवारी, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 454
32. भारत में सेरोगेसी पैमाने / मुकेश कुमार मालवीय, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 252
33. शिक्षा का अधिकार : विधिक पक्ष / डॉ. ओंकार नाथ तिवारी, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 414
34. उपेक्षा से संबंधित राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व : एन. नगेंद्र राव के परिपेक्ष्य में / ममता यादव, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 60
35. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 : एक विश्लेषण / डॉ. विनोद कुमार बागोरिया, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 77
36. बलात्कार क़ानून में फेरबदल की माँग : एक नैतिक विश्लेषण / डॉ. वेद प्रकाश, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 85
37. भारतीय लोक जीवन और लोकपाल / डॉ. भगवानदास, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 129
38. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 / सन्तोष खन्ना, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 138
39. दंड (संशोधन) अधिनियम, 2013 : एक विश्लेषण / कु. कालिंद्री, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 145
40. भारत में बाल यौन संरक्षण अधिनियम, 2012 / डॉ. श्रीमती राजेश जैन, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 168
41. गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम : आवश्यकता पुरर्विचार की / डॉ. शिल्पा सेठ, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ.199
42. वास्तविक संपदा विनियमन एवं विकास विधेयक : एक नज़र / सन्तोष खन्ना, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 211
43. भारत में लोकपाल : भ्रष्टाचार निवारक संस्था के रूप में / राजेंद्र, अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 234
44. Nature of Scope of FIR / Mukesh Kumari Malviya and Km. Priyanka Chakrayatri, Issue 75 (1)-76, July-September 2013, P. 270
45. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 / सन्तोष खन्ना, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 247
46. Indecent Representation of Women in Media : Legislative and Judicial Response / Dr. Samiksha Godhra, Issue 77, October-December, 2013, P. 25

47. राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में पेसा क़ानून का मूल्यांकन / डॉ. लालाराम जाट, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 282
48. Right to Forest Land : Who Benefits / Rachana Kumari Prasad, Issue 77, October-December, 2013, P. 293
49. Plea Bargaining And Indian Criminal Justice System / Dr. Shobha Bhardwaj, Issue 77, October-December, 2013, P. 304
50. लोकपाल अधिनियम, 2103 : एक संक्षिप्त अध्ययन / सन्तोष खन्ना, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 73
51. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी योजना, 2010 की लोक कल्याणकारी भूमिका / डॉ. प्रतिभा चौधरी, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 275
52. Law on Child Protection, Care and Education in India : Whether Adequate / Radheshyam Prasad, Issue 78, January - March 2014, P. 81
53. Impact of Improper Admission and Rejection of Evidence / Sanket Yadav, Issue 80, July – September 2014, P. 244
54. चिकित्सक द्वारा की गई लापरवाही से विधि में उपलब्ध संरक्षण / मोहन सोंलकी, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 389
55. मृत्यु दंड : एक आलोचनात्मक विवरण / नेमीचंद, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 109
56. इच्छा मृत्यु : संवैधानिक परिप्रेक्ष्य / डॉ. शिल्पा सेठ, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 132
57. जनजातियों का विधिक संरक्षण : छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में / डॉ. राम आशीष श्रीवास्तव, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 141
58. भारत में पेटेंट का अधिकार : एक विश्लेषण / डॉ. विनोद कुमार बागोरिया, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 153
59. Legal Aid to Poor and the Law / Sandeep Kumar Hudiwal, Issue 83, April – June 2015, P. 158
60. प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य अधिकार /संतोष बंसल, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 177
61. न्यायालय अवमानना क़ानून और मीडिया / सन्तोष खन्ना, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 388
62. सशक्त लोकतंत्र की दिशा में सार्थक पहल : नोटा / डॉ. अनुपमा यादव, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 28
63. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं एकांतता का अधिकार / डॉ. रहीसा तरन्नुम, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 23
64. किशोर न्याय क़ानून में संशोधन और महिला सुरक्षा / श्रीमती कालिंद्री, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 250
65. Study of Key Provisions of the Competition Act, 2002 / Anjay Sharma, Issue 89, October – December 2016, P. 255
66. Right to Food in Global and National Perspective / Garima Yadav, Issue 91, April – June 2017, P. 160
67. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अब नए स्वरूप में / डॉ. प्रेमलता, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 22
68. वस्तु एवं सेवा कर : एक परिचय ई.वे. बिल के लिए विशेष संदर्भ में / डॉ. ममता चतुर्वेदी, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 117
69. अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 : एक अनिवार्य आवश्यकता / साधना शर्मा, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 129
70. सामाजिक परिवर्तन के नए आयाम : विधिक सहायता, लोकहितवाद एवं स्थायी लोक अदालत / डॉ. प्रियंका सिंह, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 135
71. भारत में दल-बदल की स्थिति / डॉ. किरण त्रिपाठी, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 148
72. तीन तलाक़ तथा बहु-विवाह और निकाह हलाला / संतोष बंसल, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 180
73. शैक्षणिक संस्थाओं में लैंगिक उत्पीड़न एवं वैधानिक प्रावधान / डॉ. विभा त्रिपाठी, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 212
74. भारतीय राष्ट्रिकता विधि : संदर्भ नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 / डॉ. दिनेश बाबू गौतम, अंक 102, जनवरी-मार्च, 2020, पृ. 11
75. महामारी अधिनियम, 1897 : आपात स्थिति में कितना पर्याप्त? / सन्तोष खन्ना, अंक 102, जनवरी-मार्च, 2020, पृ. 25
76. कोरोना संकट का विधिक एवं सामाजिक विश्लेषण / डॉ. बिभा त्रिपाठी, अंक 102, जनवरी-मार्च, 2020, पृ. 37
77. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पर इंटरनेट पायरेसी के प्रभाव और कोविड-19 / नीति निपुण सक्सेना, अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 131
78. केरल हिंसा के आयाम और कोविड-19 / डॉ. सुनीता श्रीवास्तव, अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 150
79. कोरोना महामारी : भारत में विधिक विनियम / डॉ. शीतल प्रसाद मीना, अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 160
80. A Cursory Study of Liability of Internet Service Providers Under I.T. Act, 2000 / Poonam Pant and Bhumika Sharma, Issue 103, April-June, 2020, pp 169

8. भाषा, शिक्षा और न्याय

1. राजभाषा नीति और दंड व्यवस्था का प्रश्न / कष्ण कुमार ग्रोवर, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 500
2. दिल्ली उच्च न्यायालय में हिंदी की पहली दस्तक / सन्तोष खन्ना, अंक 63, अप्रैल-जून, 2010, पृ. 168
3. राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान और विधि क्षेत्र में हिंदी की स्थिति / डॉ. अजमेर सिंह काजल, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 234
4. Urgent Need for Reforms in Modern Indian Legal Profession / Dr. V.K. Sharma, Issue 65, October – December, 2010, P. 351
5. उच्चतम न्यायालय की भाषा और संसदीय राज भाषा समिति / कष्ण कुमार ग्रोवर अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 392
6. वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव : एक विश्लेषण / जितेंद्र कुमार वैद्य, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 343
7. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : एक सार्थक पहल? / डॉ. शिल्पा सेठ, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 9
8. शिक्षा का अधिकार कैसे प्राप्त करें / डॉ. नीता बोरा शर्मा शर्मा एवं डॉ. पूर्णेन्दु प्रकाश त्रिपाठी, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 13
9. भारतीय लोकतंत्र में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पाने के अधिकार की सार्थकता / डॉ. (श्रीमती) राजेश जैन, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 24
10. शिक्षा का अधिकार : चुनौतियाँ एवं सुझाव / डॉ. चंदन बाला, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 29
11. मुफ़्त व अनिवार्य शिक्षा : क़ानून और चुनौतियाँ / डॉ. विशाल महलवार, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 34
12. शिक्षा : एक मानव-अधिकार / डॉ. कला मुणेत, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 38
13. शिक्षा का अधिकार : अभी चुनौतियाँ बाकी हैं / डॉ. अनुपमा उज्जवल, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 44
14. बाल शिक्षा का अधिकार : समस्याएँ एवं चुनौतियाँ / डॉ. सुनेंद्र कुमार गुप्ता, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 49
15. शिक्षा का बदलता स्वरूप / डॉ. एल. एल. सालवी, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 52
16. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम / डॉ. कुचटा राम, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 58
17. बुनियादी शिक्षा : एक संवैधानिक और वैधानिक अधिकार / डॉ. हिमांशु भाटिया, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 63
18. बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार / डॉ. एस.पी. मीना, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 69
19. तब और अब / डॉ. (श्रीमती) नीरज मिश्रा देव, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 80
20. आधुनिक शिक्षा-पद्धति एवं गांधी विचारधारा / सरिता गुप्ता, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 83
21. शिक्षा का अधिकार और राजस्थान / डॉ. शकुंतला कालरा, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 94
22. शिक्षा का अधिकार : राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य / डॉ. अजीत कुमार, अंक 70, जनवरी-मार्च, 2012, पृ. 100
23. Right to Education : Historical Perspective / Surendra Kumar Jakhar, Issue 70, January – March 2012, P. 105
24. Good Governance and Law in Higher Education / Dr. Mamta Rao, Issue 70, January – March 2012, P. 110
25. प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण की चुनौती / डॉ. किलिंद्री, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 248
26. शिक्षा का अधिकार : एक मूलभूत आवश्यकता / डॉ. जनार्दन कुमार तिवारी, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 260
27. भारत में संविधान के संविदात्मक दायित्व की समीक्षा / डॉ. जितेंद्र सिंह, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 379
28. भारत में विधि शिक्षा : महत्त्व और चुनौतियाँ / डॉ. ममता चतुर्वेदी, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 382
29. Legal Education and regulation of Legal Prfession in India : An Overview / Dr. S.S. Jaswal, Issue 75(1)-76, P. 243
30. राजभाषा हिंदी और क़ानून / महेश चंद्र शर्मा, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 139
30. शिक्षा का अधिकार व चुनौतियाँ / डॉ. उर्मिल वत्स, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 236
31. भारत के संविधान में हिंदी और हिंदी का बढ़ता संसार / डॉ. सीमा शर्मा, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 342
32. सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका और क़ानून / डॉ. निशा केवलिया शर्मा, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ.17
33. Protection of Indian Tradinational Knowledge : A Contribution to the National Income / Bhagwati Singh Bareth, Issue 83, April – June 2015, P. 137

34. संसद, हिंदी और भारतीय भाषाएँ / सन्तोष खन्ना, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 227
35. भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी / प्रदीप कुमार अग्रवाल, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 358
36. 'वर्तमान हिंदी कथा-साहित्य के अंतर्गत नारी एवं पारिवारिक संबंधों में बदलाव' / बोस्की मैंगी, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 374
37. विधि की भाषा पर क्लिष्टता का आक्षेप / डॉ. हरीश कुमार सेठी, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 56
38. उच्चतम न्यायालय में हिंदी का प्रवेश क्यों वर्जित है? / सन्तोष खन्ना, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 83
39. मौलाना आज़ाद और शिक्षा का अधिकार / डॉ. रणवीर सिंह, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 172
40. विधि शिक्षा व्यवस्था में हिंदी भाषा का प्रयोग / डॉ. प्रतिभा चौधरी, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 60
41. भ्रष्टाचार एवं शिक्षा की गुणवत्ता / डॉ. अनुपमा यादव, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 143
42. विधि क्षेत्र की हिंदी-शब्दावली की विकास यात्रा / डॉ. हरीश कुमार सेठी, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 245
43. हिंदी के अच्छे दिन : एक रिपोर्ट / सन्तोष खन्ना, अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 122

9. पर्यावरण एवं पर्यावरण क़ानून

1. पर्यावरण संरक्षण एवं क़ानून / डॉ. चंद्र प्रकाश, अंक 63, अप्रैल-जून, 2010, पृ. 145
2. विश्व बनाम पर्यावरणीय विमर्श : गाँधी की अंतर्दृष्टि / डॉ. (श्रीमती) वीणा गोपाल मिश्रा, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 226
3. Public Interest Litigation and Ensuring Dynamic Environmental Jurisprudence / B. N. Mishra, Issue 65, October – December, 2010, P. 368
4. औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण प्रदूषण : समस्या और समाधान / डॉ. सुरेंद्र कुमार गुप्ता, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 239
5. भारत का संविधान एवं पर्यावरण संरक्षण / डॉ. विनय कुमार पिंजानी, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 314
6. पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरणी संगठनों की भूमिका / प्रज्ञा मिश्रा, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 509
7. भारत में प्रदूषण एवं स्वरूप / डॉ. विनय कुमार पिंजानी, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 132
8. पर्यावरण संरक्षण में उच्चतम न्यायालय का योगदान / अमित दुबे, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 310
9. पर्यावरणीय चेतना के प्रति महिलाओं का नैतिक दृष्टिकोण / डॉ. अनुपमा यादव, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 93
10. पर्यावरण प्रदूषण : समस्या और उसके समाधान / डॉ. प्रियंका जैन, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 190
11. पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका / डॉ. आनंद प्रकाश, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 213
12. National and International Socia-Keak Aspects of Environmental Issues with Special Reference to Climate Change / Vinod Chaudhary, Issue 94, January – March 2018, P. 67
13. भारतीय दर्शन, पर्यावरण संरक्षण एवं क़ानून / रितु उमाहिया, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 317
14. The Environmental Protection in Armed Conflict : An Overview / Dr. Jaishree Jaiswal, Issue 99, April – June 2019, P. 191

11. सम्मान एवं पुरस्कार/राष्ट्रीय विधि भारती सम्मान

11.1. राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार

1. राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार / अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, कवर 3
2. श्री ब्रज किशोर शर्मा को राष्ट्र भारती सम्मान / डॉ. आशु खन्ना, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 98

12.2. राष्ट्र भारती सम्मान

1. डॉ उष देव एवं मेजर रतन जांगिड़ राष्ट्र भारती सम्मान से सम्मानित / डॉ. शंकुतला कालरा, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 101

13. रचनात्मक साहित्य

13.1. कविता

1. उम्मीदों का मंज़र /डॉ. कष्णा एन. शर्मा, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 435
2. (1) आश्रय (2) अस्तित्त्व /डॉ. नूतन पांडेय, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 487
3. गांव पुराना याद आया /डॉ. कष्णा एन. शर्मा, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 488
4. (1)दूर उड़ती चिड़िया (2)अब न कहूँगा / डॉ. गंगाप्रसाद विमल, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 36

5. Of Intimacy and Condolence / Birbhadra Karkidholi, Issue 62, January – March, 2010, Pg 37
6. (1) फैसले का दिन (2) हवा का एक झोंका (3) दुष्यंतों का राज्य / विश्वनाथ, अंक 63, अप्रैल-जून 2010, पृ. 140
7. (1) इस बार (2) सपने, महल और गहराई / बीरभद्र कार्कीढोली (अनु. : सुवास दीपक), अंक 63, अप्रैल-जून 2010, पृ. 141
8. (1) कागज़ के फूल (2) राधा-माधव कहीं नहीं है / डॉ. शकुंतला कालरा, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 300
9. (1) माँ (2) नियति / सविता चड्ढा, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 301
10. (1) गाँधी के तीन बंदर (2) मुक्त हँसी / सरिता गुप्ता, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 376
11. (1) स्वयं के लिए (2) आज भी बिटिया / चंदा आर्य, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 377
12. हृदय तल में दीप जलाओ / अशोक कुमार शेरी, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 377
13. कामना / अशोक खन्ना, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 230
14. इनवेजीलेटर/गौरी नायडू (अनु. डॉ. एल. श्रीदेवी), अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 230
15. प्यार कहाँ कर पाए हैं ठीक से / डॉ. दिविक रमेश, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 347
16. वह आ रहा है / डॉ. दिविक रमेश, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 348
17. रेगिस्तान में चीख़ / बी. एम. मेहता, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 492
18. ग़ज़ल/ अशोक खन्ना, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 493
19. आश्चर्यचकित हूँ मैं ? / डॉ. प्रवेश सक्सेना, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 184
20. ज़िंदगी : नदी और नारी / प्रतिभा जैन, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 300
21. माँ! तुम अपने बच्चे को जानती हो ? / डॉ. भाऊसाहेब नवनाथ नवले, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 302
22. यक्ष प्रश्न / सन्तोष खन्ना, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 397
23. जाएँ तो जाएँ कहाँ ? / विनोद शर्मा, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 398
24. वसुंधरा : तुम्हारी याद आती है मुझे / बीरभद्र कार्कीढोली, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 172
25. पेड़ / सन्तोष खन्ना, अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 268
26. पंकज के दोहे / आर.के. पंकज, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 55
27. चूड़ियों की खनखन, अपने, प्रेरणा और स्नेह, नाजुक टहनी पर / सरोज श्रीवास्तव स्वाति, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 67, 68
28. उत्सव / नरंद्र मोदी, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 166
29. मैं झीनी-सी बुनावट / सन्तोष खन्ना, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 167
30. भारत मेरा महान / सन्तोष खन्ना, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 234
31. ये कैसा समय / संतोष बंसल, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 340
32. कविता / अटल बिहारी वाजपेयी, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 341
33. पाँव तले मंजिल / डॉ. उषा देव, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 342
34. फूलो / डॉ. वासंती रामचंद्रन, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 50
35. बिटिया / आदेश त्यागी , अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 51
36. नीलकंठ / सन्तोष खन्ना, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 51
37. थोड़ी सी जगह; बेखबर लड़की / डॉ. सविता मिश्र, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 146
38. सोने वाली चिड़िया / डॉ. नीरज देव मिश्रा, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 147
39. कन्या भ्रूण की नीरव चीख / अनिल तिवारी, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 264
40. निरूत्तरित-प्रसंग / संपूर्णानंद दूबे, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 266
41. अपने देश में; जीवन की कविता / डॉ. रश्मि मल्होत्रा, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 334
42. दीवार, कल रात सपने में, युग बोध / सुशांत सुप्रिय, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 74
43. प्यार की बातें करें / डॉ. योगेंद्र नाथ शर्मा 'अरुण', अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 270
44. माँगती हूँ जवाब / डॉ. निशा केवलिया शर्मा, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 276
45. माँ / डॉ. प्रतिष्ठा श्रीवास्तव, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 42
46. नारी! मत माँग अधिकार / डॉ. उषा देव, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 150
47. बस, चला चल / डॉ. उषा देव, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 150
48. ऐसा पिता ने कहा था / डॉ. अनिता डबोरे, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 151
152. पाठ याद क्यों नहीं / डॉ. उषा देव, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 63
153. हाइकु / श्रीमती सन्तोष खन्ना, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 82
154. ज़िंदगी का मकसद / डॉ. सूफिया अहमद, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 131
155. ईमान, अंतर्यात्रा / डॉ. दीप्ति गुप्ता, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 146
156. ये मेरा देश है प्यारे ; सूरज से बहुत पहले / बी.एल. गौड़, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 238
157. चीख चुलबुली / प्रो. सुरिंदर मोहन धवन, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 239
158. हिंदी / इकबाल अकरम वारसी, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 265

159. कोयल / डॉ. उषा देव, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 362
160. सागर और रात / अरविंद घोष (अनु. सन्तोष खन्ना), अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 362
161. कभी कभार / रविंद्रनाथ टैगोर (अनु. सन्तोष खन्ना) , अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 383

13.2. कहानी

1. बच्चा / डॉ. गंगाप्रसाद विमल, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 466
2. नज़र (लघु कथा) / डॉ. उमाकांत खुबालकर, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 53
3. रिश्ते / डॉ. शकुंतला कालरा, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 65
4. आज तो रुक जाते / तारकेश्वर शर्मा 'विकास', अंक 63, अप्रैल-जून 2010, पृ. 156
5. दान-दृष्टि / डॉ. रश्मि मल्होत्रा, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 263
6. परिवर्तन जैसा परिवर्तन / बीरभद्र कार्कीढोली (अनुवाद : मैना थापा), अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 388
7. नक़ाबपोश / डॉ. अजमेर सिंह काजल, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 255
8. The Eyes / Santosh Khanna, Issue 68, July – September 2011, P. 365
9. अस्मिता / मुकेश पोपली, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 477
10. फर्क तो पड़ता है (लघु कथा) / संजय कटिया, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 146
11. ठाकुर का कुँआ / लेखक-प्रेमचंद, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 147
12. बलात्कार / डॉ. कमल कुमार, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 265
13. चरित्र (लघु कथा) / डॉ. उमाकांत खुबालकर, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 400
14. फर्ज / डॉ. सरिता गुप्ता, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 428
15. नमक का दरोगा / मुंशी प्रेमचंद, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 47
16. तथाकथा (लघु कथा) / डॉ. उमाकांत खुबालकर, अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 268
17. अपाला / डॉ. प्रवेश सक्सेना, अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 290
18. फिलीपीनो / सविता चड्ढा, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 265
19. कहाँ गई यमुना (लघु कथा)/ अशोक खन्ना 'अशोक', अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 303
20. दीया / विवेक मिश्र, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 43
21. देवदूत / डॉ. वासंती रामचंद्रन, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 147
22. मन का बोझ / सरिता गुप्ता, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 265
23. सॉरी, ओ गॉड / सन्तोष खन्ना, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 366
24. नए शहर में / डॉ. (श्रीमती) सविता मिश्र, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 61
25. न्यायाधीश बोल रहा हूँ / डॉ. उषा देव, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 168
26. समय की धार (लघु कथा)/ डॉ. शकुंतला कालरा, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 255
27. पाप-पुण्य / सन्तोष खन्ना, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 346
28. कॉफी / मुक्ता, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 34
29. लहू का रंग / सन्तोष खन्ना, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2016, पृ. 303
30. भाग्य लक्ष्मी / डॉ. जसपाली चौहान, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 183
31. भाग्य-विधाता (चुनाव संबंधी कहानी) / डॉ. उषा देव, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 152
32. गुड-बाय (विज्ञान कथा) / सुशांत सुप्रिय, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 57
33. क्या कहूँ आज / डॉ. उषा देव, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 168
34. फरक (लघुकथा) / शोभना श्याम, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 185
35. बेड़ियाँ / अरविंद जैन, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 348
36. इतिहास दोहराता है। / डॉ. उषा देव, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 177
37. मैं चाहता हूँ / डॉ. शकुंतला कालरा, अंक 102, जनवरी-मार्च, 2020, पृ. 52

13.3 उपन्यास

1. रोशनी / सन्तोष खन्ना, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 512
2. रोशनी / सन्तोष खन्ना, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 96
3. रोशनी / सन्तोष खन्ना, अंक 63, अप्रैल-जून 2010, पृ. 203
4. रोशनी / सन्तोष खन्ना, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 316
5. रोशनी / सन्तोष खन्ना, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 411
6. रोशनी / सन्तोष खन्ना, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 283
7. रोशनी / सन्तोष खन्ना, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 383
8. रोशनी / सन्तोष खन्ना, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 517
9. रोशनी / सन्तोष खन्ना, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 218

13.4 समीक्षा

1. सामाजिक जीवन की विसंगतियों एवं विद्रूपताओं का यथार्थ अंकन : 'आज का दुर्वासा' कहानी-संग्रह / डॉ. शकुंतला कालरा, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 65
2. अफजल अहमद की पुस्तक 'गर्भपात : तथ्य, संदर्भ और तर्क' / शिल्पी श्रीवास्तव, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 324
3. केशव दयाल कृत 'लॉयर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड ट्रायल ऑफ फ्रीडम फाईटर्स' / डॉ. रेखा व्यास, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 327

4. सामाजिक विसंगतियों और विद्रुपताओं का आईना 'आज का दुर्वासा' / उर्मिल सत्यभूषण, अंक 65, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पृ. 429
5. एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक यात्रा वृत्तांत 'मॉरिशिस में भारत' / सन्तोष खन्ना, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 271
6. कवि वीरभद्र कृत 'समाधिस्थ अक्षर' कविता संग्रह /डॉ. संतोष बंसल, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 410
7. समय का आईना : 'इतिहास बनता समय' / उर्मिल सत्यभूषण, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 345
8. अपराध विज्ञान पर एक दुर्लभ दस्तावेजी पुस्तक 'मूक गवाह' एक अध्ययन / सन्तोष खन्ना, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 431
9. जीवन के विराट फलक का आईना : 'रोशनी' (उपन्यास) / डॉ. प्रवेश सक्सेना, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 446
10. Journey of Inner Self / Dr. Archna Tripathi, Issue 73, October-December, 2012, P. 450
11. महिला सशक्तिकरण में प्रभा खेतान का योगदान : एक समीक्षा / मीनाक्षी यादव, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 214
12. समसामयिक समस्याओं के समाधान तलाशता 'इतिहास बनता समय' / प्रो. देवदत्त शर्मा, अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 323
13. सामाजिक सरोकारों का दस्तावेज सन्तोष खन्ना कृत 'रोशनी' उपन्यास / अनुरागेंद्र निगम, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 335
14. गहन आशयों का रेखांकित करता सन्तोष खन्ना का 'रोशनी' उपन्याय / डॉ. अर्चना त्रिपाठी, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 97
15. लोक सेवा गारंटी क़ानून पर एक उपयोगी पुस्तक / डॉ. एस.के. मीणा, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 194
16. काव्यानुभूति का शब्दों से वार्तालाप / प्रो. ओम राज, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 93
17. सृष्टिकर्ता की अनुपम कृति नारी गाथा का दस्तावेज़ / डॉ. उषा देव, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 104
18. समय का सच (काव्य संग्रह) / डॉ. प्रवेश सक्सेना, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 76
19. चक्रव्यूह : एक अध्ययन / प्रो. गगनदीप सिंह, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 88
20. On the Flight of A Skylark Trail / Premnath Manaen, Issue 94, January – March 2018, P. 92
21. बाँध लूँ अनंत को / डॉ. परवेश सक्सेना, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 244

22. सन्तोष खन्ना का 'सेतु के आर-पार' नाटक : अनुवाद विधा का अनोखा नाट्यकरण / डॉ. परवेश सक्सेना, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 285
23. दिशा भ्रमित संस्कृति से साक्षात्कार करवाता है काव्य-संग्रह 'समय का सच' / डॉ. साधना गुप्ता, अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 96
24. खंड-खंड समाज का 'विखंडित राग' / सन्तोष खन्ना, अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 101
25. पुस्तक की नियति / डॉ. प्रताप सहगल, अंक 99, अप्रैल-जून, 2019, पृ. 182
26. अनुवाद-विधा का जीवन -- भाष्य नाटक, सेतु के आर-पार / डॉ. साधना गुप्ता, अंक 102, जनवरी-मार्च, 2020, पृ. 75
27. डॉ. प्रवेश सक्सेना का काव्य-संग्रह 'शून्य में खड़ी-खड़ी' / विशाल पांडेय, अंक 102, जनवरी-मार्च, 2020, पृ. 83

14. जेल सुधार और क़ानून

1. जेल सुधार : समस्याएँ एवं समाधान) / डॉ. के. पी. एस. महलवार, अंक 61, अक्टूबर-दिसंबर, 2009, पृ. 431
2. जेल इतिहास एवं जेल सुधार / डॉ. वृंदा सेन गुप्ता, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 85

15. कंपनी क़ानून

1. Multinational Corporations and the Rights of the Shareholders / Pankaj Bhatt, issue-61, October-December, 2009, P. 436
2. Designated Partners and the Limited Liability Partnership Act, 2008/ Dr. Siddh Nath, issue-62, January – March, 2010, P. 42
3. Limited Liability Partnership : A New Form of Business Organisation / DR. Siddh Nath, issue-63, April – March, 2010, P. 194
4. कंपनी परिसमापन के अंतर्गत अंतरिम समापक की नियुक्ति व उच्चतम न्यायानय का बहुचर्चित निर्णय / डॉ. सिद्धनाथ, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 494
5. सीमित दायित्व भागीदारी का न्यायाधिकरण द्वारा परिसमापन एवं विघटन : एक आलोचनात्मक अध्ययन / प्रो. सिद्धनाथ, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 99
6. नया कंपनी क़ानून, 2013 : एक अवलोकन / प्रो. सिद्धनाथ, अंक 75(1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 317
7. एक व्यक्ति कंपनी : प्राइवेट कंपनी का एक नया स्वरूप / प्रो. सिद्धनाथ, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 56
8. निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) : वरदान या कराधान / सन्तोष खन्ना, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 372

9. कंपनी की परिवर्तित संकल्पना एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (कंपनी अधिनियम; 2013 के परिप्रेक्ष्य में) / प्रो. सिद्धनाथ एवं प्रभुनाथ, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 63
10. कंपनी में कपट एवं कुप्रबंधन के विरुद्ध 'वर्ग कार्यवाही वाद' : एक नया उपचार / विपिन कुमार सिंह, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 52

16. चुनाव और चुनाव सुधार

1. भारत में चुनाव सुधार : समय की माँग / डॉ. राकेश कुमार सिंह, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 30
2. चुनाव और चुनाव सुधार /सन्तोष खन्ना, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 118
3. भारत में चुनाव सुधार : एक तथ्यपरक दृष्टिकोण / डॉ. श्रीमती राजेश जैन, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 13
4. चुनाव आयोग व चुनाव सुधार / डॉ. उर्मिल वत्स, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 18
5. लोकतंत्र व चुनावी राजनीति / रिंकी, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 25
6. निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक दल / डॉ. सुभाष कश्यप, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 29
7. भारत में चुनाव आयोग / सन्तोष खन्ना, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 41
8. भारत में चुनाव सुधार : चिंतन के कुछ बिंदु / डॉ. नीलिमा सिंह, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 46
9. भारतीय चुनाव प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन : (ईवीएम के विशेष संदर्भ में) / डॉ. दिनेश बाबू गौतम, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 53
10. वर्तमान में चुनाव सुधार और निर्वाचन आयोग की भूमिका / राजेंद्र कुमार मीणा, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 62
11. भारत में चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ / डॉ. प्रीति चहल, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 69
12. चुनाव व्यवस्था और लोकतांत्रिक कसावट / डॉ. पूनम माटिया, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 73
13. लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव साथ-साथ हों / सन्तोष खन्ना, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 79
14. कंपनियों का राजनैतिक चंदा एवं चुनाव सुधार / विपिन कुमार सिंह, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 86
15. चुनाव और चुनाव आचार संहिता / गीता, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 93
16. एक विचार जो हुआ साकार / रेनू नूर, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 100
17. हिंदी उपन्यासों में चुनाव सुधार / डॉ. साधना गुप्ता, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 103
18. लोकतंत्र में चुनाव और भ्रष्टाचार / आरती, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 108
19. लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करती हिंदी / डॉ. योगेंद्र नाथ शर्मा 'अरूण', अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 112
20. चुनावी हिंदी : हिंदी भाषा का नवीन स्वरूप / डॉ. शिखा कौशिक, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 117
21. भारतीय दलीय व्यवस्था, चुनाव और हिंदी की भूमिका / कल्याण कुमार, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 130
22. भारत में चुनावों में हिंदी की भूमिका / सुनील भुटानी, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 134
23. चुनावों में हिंदी भाषा का विकसित होता मुहावरा अथवा भाषा का संस्कार / संतोष बंसल, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 140
24. चुनाव प्रचार में नेताओं का मतदाता से संवाद और हिंदी / उमाकांत खुबालकर, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 145
25. भारत के चुनावों में हिंदी की भूमिका / सुमन, अंक 92-93, जुलाई-दिसंबर 2017, पृ. 148
26. Electoral Reforms : An Overview / Santosh Khanna, Issue 92-93, July – December 2017, P.163
27. Electoral Reforms in India : A Reality and Prospect / Dr. S.S. Das and Keertika Singh, Issue 92-93, July – December 2017, P.172
28. Indirect Election : No to Money and Muscle Power / P. L. Jaiswal, Issue 92-93, July – December 2017, P.185
29. Booth Capturing : An Overview / Santosh Khanna, Issue 92-93, July – December 2017, P.188

17. विविध

1. क्रेडिट कार्ड का महाजाल /रमेश चंद्र, अंक 62, जनवरी-मार्च, 2010, पृ. 91
2. क्रेडिट कार्ड का महाजाल /रमेश चंद्र, अंक 63, अप्रैल-जून 2010, पृ. 188
3. इच्छा मृत्यु : एक विधिक वास्तविकता / डॉ. रहीसा तरन्नुम, अंक 64, जुलाई-सितंबर, 2010, पृ. 305
4. सदगुण और भारतीय समाज : एक तुलनात्मक अध्ययन / डॉ. वेद प्रकाश एवं डॉ. विनोद कुमारी, अंक 67, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 231

5. क्या है 'स्लट वॉक' या 'बेशर्मी मोर्चा' ? / सन्तोष खन्ना, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 339
6. दहेज क़ानूनों का दुरुपयोग न हो / सन्तोष खन्ना, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 346
7. जनपद चंपावत में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना / डॉ. मीना पथनी एवं रवि जोशी, अंक 68, जुलाई-सितंबर, 2011, पृ. 375
8. कब रुकेगा आतंकवाद ? / रहीसा तरन्नुम, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 423
9. DNA Technology to Determine Paternity / Dr. Anupama Ujjwal and Dr. Ashutosh Pitaliya, Issue 69, October-December, 2011, P. 480
10. पितृत्व तय करने के लिए डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी / अनु. कृष्ण गोपाल अग्रवाल, अंक 69, अक्टूबर-दिसंबर, 2011, पृ. 481
11. अंवेषण के सामान्य सिद्धांत / डॉ. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 169
12. दवाईयों के भ्रामक विज्ञापन / संतोष बंसल, अंक 71, अप्रैल-जून, 2012, पृ. 150
13. भूमंडलीकरण के अंतर्विरोध / डॉ. प्रमोद अवस्थी, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 289
14. घोटालों की धरती (2जी स्पेक्ट्रम का विशेष संदर्भ) / डॉ. एस.एस. दास, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 292
15. पानी : एक मौलिक अधिकार एवं भारतीय मानवीय मूल्य / डॉ. आलोक चांटिया एवं प्रीति मिश्रा, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 317
16. स्वतंत्रता सैनानी एवं महायोगी श्री अरविंद / सन्तोष खन्ना, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 338 भारत में सेरोगेसी पैमाने / मुकेश कुमार मालवीय, अंक 72, जुलाई-सितंबर, 2012, पृ. 252
17. भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार पर संचार एवं मीडिया का प्रभाव : एक विश्लेषण / डॉ. (श्रीमती) राजेश जैन, अंक 73, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 362
18. Amendment of Constitution and Basic Structure Theory / Dr. Kamal Jeet Singh and Bhumika Sharma, Issue 73, October-December, 2012, P. 373
19. आधुनिक जीवन में इंटरनेट का प्रभाव / भूमिका शर्मा, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2013, पृ. 73
20. अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण : मुद्दे और मूल्यांकन / डॉ. अजमेर सिंह काजल, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 151
21. विधि भारती परिषद् : एक नज़र / सन्तोष खन्ना, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 174
22. अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए / अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 202
23. जेल में प्रताड़ना / राजीव जैन, अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 261
24. प्रश्न और उत्तर / क्या आप जानते हैं ?/ अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 268
25. विधि भारती परिषद् : एक नज़र / सन्तोष खन्ना, अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 268
26. भ्रष्टाचार और नैतिकता और क़ानून : एक विश्लेषण / डॉ. वेद प्रकाश, अंक 75 (1)-76, जुलाई-सितंबर, 2013, पृ. 297
27. Our New Life Members / Issue 75 (1)-76, July-September 2013, P. 327
28. On-Line-Crime and their Impacts / Rakesh Pariyani, Issue 77, October-December, 2013, P. 271
29. देश का समग्र विकास रूपी सपना : एक नैतिक मूल्यांकन / डॉ. वेद प्रकाश एवं भूप सिंह, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 321
30. Changing Role of the Civil Servents / Yogendra Narain, Issue 77, October-December, 2013, P. 253
31. अच्छे स्वास्थ्य को पाना आपके हाथ में / डॉ. आशु खन्ना, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 287
32. किशोरों में बढ़ती मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृति : कारण और निवारण / डॉ. जनार्दन कुमार तिवारी, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 297
33. विधि भारती परिषद् : एक नज़र / सन्तोष खन्ना, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 310
34. काली मशाल (Poetry can also be their weopon) का काव्यानुवाद (दक्षिण अफ्रिका के स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ी कविताएँ) / डॉ. उर्मिल सत्यभूषण, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 331
35. अश्लीलता फैलाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगे / महेश चंद्र शर्मा, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 41
36. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाजवाद का औचित्य : एक विश्लेषण / डॉ. प्रियंका जैन, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 69
37. साठोत्तरी हिंदी कहानियों में वृद्धों की आत्मीयता व अनुराग की समस्या / सी. गुरू प्रसाद, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2014, पृ. 92
38. जलियाँ वाला बाग हत्याकांड की त्रासद दास्तान / डॉ. अमर सिंह वधान, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 142
39. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा / रामचंद्र चौहान, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 159

40. Freedom and Social Accountability of Media / Neetishri Sharma, Issue 80, July – Septemeber, 2014, P. 239
41. इच्छा-मृत्यु / दया-मृत्यु : वरदान या अभिशाप / रहीसा तरन्नुम एवं प्रिंस कुमार गुप्ता, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 250
42. युवा पीढ़ी की नशे की ओर बढ़ती प्रवृति : क्या है समाधान ? / डॉ. वृंदा सेन गुप्ता, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 275
43. Government Employees Policies – Issues – Rational : Suggestions for 7th Pay Commission / Dr. Ved Prakash, Issue 80, July – Septemeber, 2014, P. 293
44. परम तत्त्व में लीन हो गई ज्योति : डॉ. सरोजिनी महिषी : एक बहुमुखी व्यक्तित्व / सन्तोष खन्ना, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 306
45. Corrption : An Anti-thesis of Good Governance / Neelam, Issue 81, October-December, 2014, P. 315
46. आंतकवाद पर अंकुश के लिए राष्ट्रों की सक्रिय होती कूटनीती / डॉ. अनुपमा यादव, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 321
47. Privacy in Wired World : Regulation at International Level / Bhumika Sharma, Issue 81, October-December, 2014, P. 349
48. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का संरक्षण तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग / हंसराज, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 385
49. क्या गठबंधन सरकारों का दौर खत्म होना देश के हित में है? / डॉ. भगवानदास, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 9
50. आज का भारत : दशा और दिशा / सन्तोष खन्ना, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 31
51. Poverty Elimination Programmes in Uttar Pradesh / Kaviraj, Issue 82, January-March, 2015, P. 41
52. नई सदी के प्रथम दशक के उपन्यासों में चित्रित बाल अपराध / डॉ. अमर सिंह वधान, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 82
53. फिल्मों के सौ साल / सविता बजाज, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 88
54. स्थानीय स्वशासन में संस्थागत समस्याओं का विश्लेषण / डॉ. प्रमोद अवस्थी, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 91
55. प्रधानमंत्री की चीन यात्रा एवं भारत चीन संबंध / डॉ. भगवान दास अहिरवार, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 123
56. मध्यस्थम् : सरल और शीघ्र विवाद निपटान प्रणाली /ऋचा बाली तथा भूमिका शर्मा, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 164

57. सी. बी. आई. पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का सच /सन्तोष खन्ना, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 187
58. Sarojini Mahishi : 1927 – 2015 / Prahlad B. Mahishi, Issue 84, July – September 2015, P. 209
59. बौद्धिक संपदा अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समझौते एवं संधियाँ / डॉ. राजश्री चौधरी, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 235
60. समझौते के विरुद्ध एक सशक्त हथियार / सुमन, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 211
61. The Working Life of Clerks / Bhavna Kataria, Issue 84, July – September 2015, P. 247
62. आदिवासी उपन्यासों में स्त्री-वेदना /नीलम मीणा, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 274
63. A Crusader of Justice /M. Rabindranath and Sujay Kapil, Issue 84, July – September 2015, P. 280
64. राज्य सभा बनाम राष्ट्र सभा / डॉ. श्रीमती जयश्री गुप्ता, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 340
65. क्या मानव व्यापार रोकने में भारतीय क़ानून सक्षम है? / कु. ताई चौरसिया, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 380
66. माँगे पूरी करो / डॉ. उषा देव, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 384
67. I was sexually Harassed in the Corridoors of the Supreme Court / Indira Jai Singh, Issue 89, October – December 2016, P. 278
68. बलिदान के शिखर पुरुष गुरु गोविंद सिंह / सन्तोष खन्ना, अंक 90, जनवरी-मार्च, 2017, पृ. 9
69. स्वतंत्रोत्तर भारत में पुलिस की भूमिका / डॉ. अनुपमा यादव एवं ऋतु व्यास, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 130
70. Understanding E-Contracts / Shubhi Mehta Dhaker, Issue 91, April – June, 2017, P. 186
71. लोक साहित्य और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम / डॉ. श्रीमती राजेश जैन, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 200
72. आओ कुछ नेक करें / रेनू, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 154
73. महात्मा गाँधी की प्रासंगिकता / डॉ. सूर्यबाला, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 43
74. राष्ट्रवाद बनाम उग्र राष्ट्रवाद / डॉ. भगवानदास, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 125
75. लिव-इन-रिलेशन का औचित्य / डॉ. कविता विकास, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 132
76. गाँधी दर्शन में रामराज्य की अवधारणा : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन / डॉ. (श्रीमती) राजेश जैन, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 139

77. दांपत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की प्रासंगिकता / डॉ. विदुषी शर्मा, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 152
78. 'भारत रत्न' पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन-जन का कोटिशः नमन (श्रद्धांजलि) / डॉ. उषा देव, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 240
79. धारा 497 हटाने का अर्थ.... / संपादक, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 343
80. झारखंड के जनजाति मे खेती-बाड़ी के विकास में कषि विज्ञान केंद्र की भूमिका / डॉ. अनिल कुमार यादव एवं मार्शल बिरूआ, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 266
81. स्वप्न या सच? / सन्तोष खन्ना, अंक 96, जुलाई-सितंबर, 2018, पृ. 27
82. Juvenile Offenders in India : An Analysis / Prof. (Dr.) Jay Prakash Yadav, Issue 96, July – September 2018, P. 257
83. भारतवर्ष में सांस्कृतिक विविधता एवं एक समान नागरिक संहिता : विश्लेषण एवं संभावनाएँ / डॉ. एस.एस. दास एवं कीर्तिका सिंह, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 312
84. भारत भारत है इंडिया नहीं / प्रो. कष्ण कुमार गोस्वामी, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 320
85. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि एवं सामाजिक न्याय / डॉ. प्रो. विभा त्रिपाठी एवं शंभुशरण मिश्रा, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 325
86. धारा 497 हटाने का अर्थ / संतोष बंसल, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 331
87. संसद भवन की ख़ौफ़नाक दास्ताँ / डॉ. दीप्ति गुप्ता, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 346
88. सरकारी कर्मचारियों की छंटनी और सामाजिक समस्या : एक नैतिक मूल्यांकन / डॉ. वेद प्रकाश, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 355
89. भारत में विधिक सहायता : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन / डॉ. डी. के. सिंह, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 363
90. राजस्थान के जैसलमेर तथा पोखरण के मरुस्थल में खेती-बाड़ी के विकास में कषि विज्ञान केंद्र की भूमिका / डॉ. अनिल कुमार यादव एवं अरूण कुमार, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 370
91. Positions of the Migrant Workers From India : A Brief Survey / Dr. Archana Vashishth, Issue 97, October – December 2018, P. 384
92. Rashtra Bharati Samman : Some After Thoughts / Birbhadra Karkidholi, Issue 97, October – December 2018, P. 392
93. Impact of Education on the Socio-Economic Development of Scheduled Castes & Scheduled Tribes With Special Reference to Badwani District (Madhya Pradesh) / Shaifali Gautam, Issue 99, April – June 2019, P. 201

18. रिपोर्ट

1. सन्तोष खन्ना का कहानी-संग्रह 'आज का दुर्वासा' का लोकार्पण /डॉ. आशु खन्ना, अंक 63, अप्रैल-जून 2010, पृ. 212
2. कन्या भ्रूण हत्या : पाप और अभिशाप /डॉ. प्रेमलता, अंक 71, अप्रैल-जून 2012, पृ. 216
3. 'महिलाएँ एवं पर्यावरण' संगोष्ठी / प्रतिमा श्रीवास्तव, अंक 75, अप्रैल-जून, 2013, पृ. 183
4. संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान समारोह / प्रेमचंद सहजवाला, अंक 77, अक्टूबर-दिसंबर, 2012, पृ. 341
5. संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्र भाषा हिंदी उत्सव-2014 / डॉ. आशु खन्ना, अंक 81, अक्टूबर-दिसंबर, 2014, पृ. 395
6. डॉ सरोजिनी महिषी एवं राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान का डेढ़ दशक /उर्मिल सत्यभूषण एवं सन्तोष खन्ना, अंक 84, जुलाई-सितंबर, 2015, पृ. 293
7. 'आओ बदलें तस्वीर' कहानी-संग्रह का लोकार्पण समारोह : एक रिपोर्ट / अतुल कुमार, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 400
8. संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्र भाषा उत्सव कार्यक्रम : एक रिपोर्ट / डॉ. सुधेश, अंक 85, अक्टूबर-दिसंबर, 2015, पृ. 402
9. 'हिंदी और भारतीय साहित्य में महिला सरोकार और अधिकार' विषय पर एक-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी / सपना, अंक 86, जनवरी-मार्च, 2016, पृ. 94
10. विधि भारती परिषद् का भारत में चुनाव, हिंदी की भूमिका और चुनाव सुधार विषय पर सेमिनार / डॉ. आशु खन्ना, अंक 91, अप्रैल-जून, 2017, पृ. 104
11. राष्ट्रभाषा उत्सव एवं राष्ट्रभाष गौरव सम्मान 2017 : एक रिपोर्ट / रेनू नूर, अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 64
12. पुस्तक लोकार्पण, विचार एवं काव्य संगोष्ठी 2018 : एक रिपोर्ट / रेनू नूर, अंक 95, अप्रैल-जून, 2018, पृ. 178
13. प्रकाशन विभाग द्वारा सन्तोष खन्ना की उपभोक्ता के अधिकारों पर पुस्तक का लोकार्पण / रेनू नूर, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 359
14. संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा उत्सव कार्यक्रम / डॉ. विदूषी शर्मा, अंक 97, अक्टूबर-दिसंबर, 2018, पृ. 375
15. पारिवारिक क़ानून एवं पारिवारिक मूल्य विषय पर संगोष्ठी / दिनेश दिनकर, अंक 98, जनवरी-मार्च, 2019, पृ. 73
16. कोविड-19 संकट और प्रवासी मजदूरों की समस्याएँ / डॉ. निशा केवलिया शर्मा, अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 147
17. काव्य मंथन संगोष्ठी : विधि भारती परिषद / अरविंद भारत, अंक 103, अप्रैल-जून, 2020, पृ. 169

19. आपके विचार

1. सविता चड्ढा, 2. डॉ. सीता शर्मा
2. उर्मिल सत्यभूषण, अध्यक्ष परिचय साहित्य परिषद् अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 106
3. आर.के. पंकज, नई दिल्ली, अंक 79, अप्रैल-जून, 2014, पृ. 106
4. कानन बाला, अमृतसर, पंजाब, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 206
5. डॉ बसंती रामचंद्रन, द्वारका, नई दिल्ली, अंक 80, जुलाई-सितंबर, 2014, पृ. 206
6. डॉ सपना, दिल्ली विश्वविद्यालय, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2015, पृ. 4
7. डॉ वीरेंद्र सक्सेना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, अंक 83, अप्रैल-जून, 2015, पृ. 104
8. डॉ योगेंद्र नाथ शर्मा 'अरुण', अंक 94, जनवरी-मार्च, 2018, पृ. 6

❑

फोन : 011-27491549
मोबाइल : 09899651272
09899651872

सदस्यता फॉर्म

विधि भारती परिषद्

बीएच-48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110088

महिला विधि भारती पत्रिका यू.जी.सी. की सूची में भी शामिल है।
क्रमांक 156, पत्रिका संख्या 48462

कपया मुझे विधि भारती परिषद् का सदस्य बनाने की कपा करें। मेरा चैक/बैंक ड्रॉफ़्ट संलग्न है --

1.	वार्षिक सदस्य शुल्क	500/-- रुपए
2.	आजीवन सदस्य शुल्क	5,000/-- रुपए
3.	संस्थागत वार्षिक सदस्य शुल्क	500/-- रुपए
4.	संस्थागत आजीवन सदस्य शुल्क	20,000/-- रुपए

नाम : .....

शैक्षिक योग्यता : .....

व्यवसाय : .....

कोई प्रकाशित कृतियाँ : .....

स्थाई पता : .....

फोन (कार्यालय) : ..... **(घर) :** .....

मोबाइल : ..... **ई-मेल :** .....

नोट : विधि भारती परिषद् की सदस्यता के लिए शुल्क परिषद् के बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है। कपया शुल्क के साथ बैंक सेवा चार्ज 100/-- रुपए जमा कराएँ।

Vidhi Bharati Parishad : SBI SB Account No. 10115361055
IFSC Code : SBIN0003702

विधि भारती परिषद् के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

1. अनुवाद के नये परिप्रेक्ष्य, लेखक : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 500/- रुपए
2. हिंदी और भारतीय साहित्य में महिला सरोकार, सं. : सन्तोष खन्ना, 2016, मूल्य : 450/- रुपए
3. सामाजिक-विधिक सरोकारों की संस्कृति, लेखिका : सन्तोष खन्ना, 2012, मूल्य : 77/- रुपए
4. इतिहास बनता समय, लेखिका : सन्तोष खन्ना, 2012, मूल्य : 300/- रुपए
5. 'क्या पाया? क्या खोया?' (कहानी-संग्रह), डॉ. उषा देव, मूल्य : 200/- रुपए
6. रोशनी, (उपन्यास), लेखिका : सन्तोष खन्ना, 2013, मूल्य : 410/- रुपए
7. 'संग्राम शेष है' (कहानी-संग्रह), डॉ. उषा देव, मूल्य : 250/- रुपए
8. 21वीं शती में नारी : क़ानून और सरोकार, मूल्य : 350/- रुपए
9. 'क्या मैं ग़लत थी?' (कहानी-संग्रह), डॉ. उषा देव, मूल्य : 200/- रुपए
10. 21वीं शती में मानव अधिकार : दशा और दिशा, मूल्य : 250/- रुपए
11. भारत का संविधान : अनुचिंतन के नये क्षितिज, मूल्य : 250/- रुपए (उपलब्ध नहीं है)
12. भारतीय क़ानूनों का समाजशास्त्रा, सन्तोष खन्ना, मूल्य : 500/- रुपए (विधि, न्याय मंत्राालय द्वारा पुरस्कत)
13. Dimensions of Environmental Law, Ed. Santosh Khanna, Price : 400/–Rs.
14. Reappraisal of the Constitution, Ed. Santosh Khanna, Price : 350/-Rs.
15. Human Rights Today, Ed. Santosh Khanna, Price : 500/–Rs.
16. The Consumer Protection Law and the Rights of Consumers
    Ed. Santosh Khanna, Price : 400/–Rs.
17. स्मृतियाँ (कहानी-संग्रह) लेखक : अख्तरुल हनीफ, विधि भारती परिषद्, मूल्य : 100/-रुपए
18. उपभोक्ता संरक्षण क़ानून और न्याय, मूल्य : 250/- रुपए
19. 'साक्षी' (कविता-संग्रह), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 60/- रुपए
20. 'भावी कविता' (कविता-संग्रह), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 120/- रुपए
21. 'संत जोन', (नाट्यानुवाद), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 245/- रुपए
22. पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण क़ानून, सं. सन्तोष खन्ना, मूल्य : 200/- रुपए
23. 'तुम कहो तो!' (मौलिक नाटक) नाटककार : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 125/- रुपए
24. 'कजरी' (कथा-संग्रह) लेखिका : डॉ. उषा देव, मूल्य : 175/- रुपए
25. 'द्रौपदी ज़िंदा है' (कथा-संग्रह) लेखिका : डॉ. उषा देव, मूल्य : 150/- रुपए
26. 'खुशी के पल' (कथा-संग्रह) डॉ. सरस्वती बाली, मूल्य : 150/- रुपए (हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कत)
27. सूचना का अधिकार अधिनियम : कार्यान्वयन और चुनौतियाँ, सं. सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
28. 'अब की लड़का नहीं' (कहानी-संग्रह) लेखिका : डॉ. उषा देव, मूल्य : 250/- रुपए
29. 'आज का दुर्वासा!' (कहानी-संग्रह), लेखिका : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
30. 'सन्धि-पत्रा' (कहानी-संग्रह), लेखिका : डॉ. उषा देव, 2011, मूल्य : 300/- रुपए
31. 'भारत की संसद और सामाजिक सरोकार', सं. सन्तोष खन्ना, 2011, मूल्य : 350/- रुपए
32. 'सब सुंदर है!' (कहानी-संग्रह), लेखिका : डॉ. उषा देव, 2012, मूल्य : 300/- रुपए
33. Birbhadra Karkidholi : The Flight of a Skylark, Ed. Prof. Om Raz, 2017, 300/-
34. 'समय का सच' (कविता-संग्रह), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
35. भारत में चुनाव, हिंदी की भूमिका और चुनाव सुधार, सं. सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
36. सेतु के आर-पार, (नाटक) नाटककार : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 300/- रुपए
37. भारत का संविधान : नए परिप्रेक्ष्य, 2020, मूल्य : 500/- रुपए

पुस्तकें मिलने का पता : **विधि भारती परिषद्**
बी.एच/48 (पूर्वी), शालीमार बाग, दिल्ली-110088
टेलीफोन : 011-27491549, **मोबाइल** : 9899651872, 9899651272